

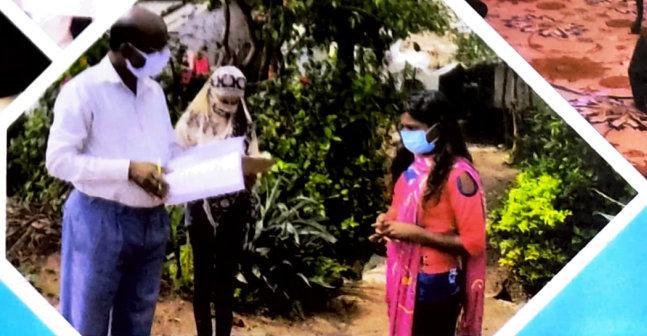


मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21



स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश





मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
भाग-एक		
1.1	विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन	1
1.2	अधीनस्थ कार्यालय	7
1.3	विभाग के दायित्व	16
1.4	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	18
भाग-दो		
2.1	बजट विहंगावलोकन	33
2.2	योजनावार बजटीय विवरण	37
भाग-तीन		
3.1	राज्य योजनाएं	47
3.2	केन्द्र प्रवर्तित योजना	68
3.3	अन्य योजनाएं/गतिविधियाँ	123
भाग-चार		
4	सामान्य प्रशासनिक विषय	147
भाग-पांच		
5	अभिनव योजना/पहल	153
भाग-छः		
6	प्रकाशन	167

भाग - एक

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 1.1 | विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन |
| 1.2 | अधीनस्थ कार्यालय |
| 1.3 | विभाग के दायित्व |
| 1.4 | महत्वपूर्ण सांख्यिकी |

1.1 विभागीय संरचना

1.1.1 विभागीय संरचना

विभागीय संरचना निम्नानुसार है:-

मध्यप्रदेश शासन	
विभाग का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग	
मंत्री	श्री इन्दर सिंह परमार
सचिवालय	
प्रमुख सचिव	श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा
उप सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
उप सचिव (पदेन)	श्री के.के. द्विवेदी
उप सचिव (पदेन)	श्री प्रमोद सिंह
अवर सचिव	श्री राजेन्द्र डेकाटे
वित्त	
वित्तीय सलाहकार	डॉ. राजीव सक्सेना

1.1.2 विभागीय प्रमुख

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती जयश्री कियावत
आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री लोकेश कुमार जाटव
संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री लोकेश कुमार जाटव
सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	श्री उमेश कुमार
संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड	श्री प्रभातराज तिवारी
निदेशक, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान	श्री प्रभातराज तिवारी
सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी
राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाईड	श्री अशोक जनवदे
अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय	मेजर जनरल संजय शर्मा

1.1.3 विभागीय संस्थाओं/विभागीय प्रमुख एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी

1.1.3.1 लोक शिक्षण संचालनालय

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती जयश्री कियावत
संचालक (प्रभारी)	श्री के.के. द्विवेदी
अपर संचालक	श्री डी.एस.कुशवाह
	डॉ. कामना आचार्य
	श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी
संयुक्त संचालक	श्री संजय कुमार
	श्री शीतांशु शुक्ला
	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी

1.1.3.2 राज्य शिक्षा केन्द्र

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री लोकेश कुमार जाटव
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री लोकेश कुमार जांगिड़
अपर संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री ओ.एल. मण्डलोई
नियंत्रक, वित्त	श्री पंकज मोहन
संयुक्त संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री रवीन्द्र सिंह
	श्री देवभूषण प्रसाद

1.1.3.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

अध्यक्ष	श्री राधेश्याम जुलानिया
सचिव	श्री उमेश कुमार
अतिरिक्त सचिव	सुश्री शीला दाहिमा
उपसचिव	डॉ. प्रियंका गोयल
परीक्षा नियंत्रक	श्री बलवंत वर्मा
वित्ताधिकारी	श्री गोपाल प्रसाद सिंह

1.1.3.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

अध्यक्ष (पदेन)	श्री इन्दर सिंह परमार माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
संचालक	श्री प्रभात राज तिवारी
उपसंचालक	डॉ. संजय पटवा
वित्त अधिकारी	श्री राजेश मौर्य

1.1.3.5 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश

चेयरमेन	श्री इन्दर सिंह परमार माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन विभाग
निदेशक	श्री प्रभातराज तिवारी
उप निदेशक	श्री प्रशांत डोलस

1.1.3.6 म.प्र मदरसा बोर्ड

अध्यक्ष	श्री इन्दरसिंह परमार माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
सचिव	श्री सैयद सरवर हुसैन रिजवी

1.1.3.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

अध्यक्ष	माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
प्रबंध संचालक	—
मुख्य महाप्रबंधक	श्री विनय निगम

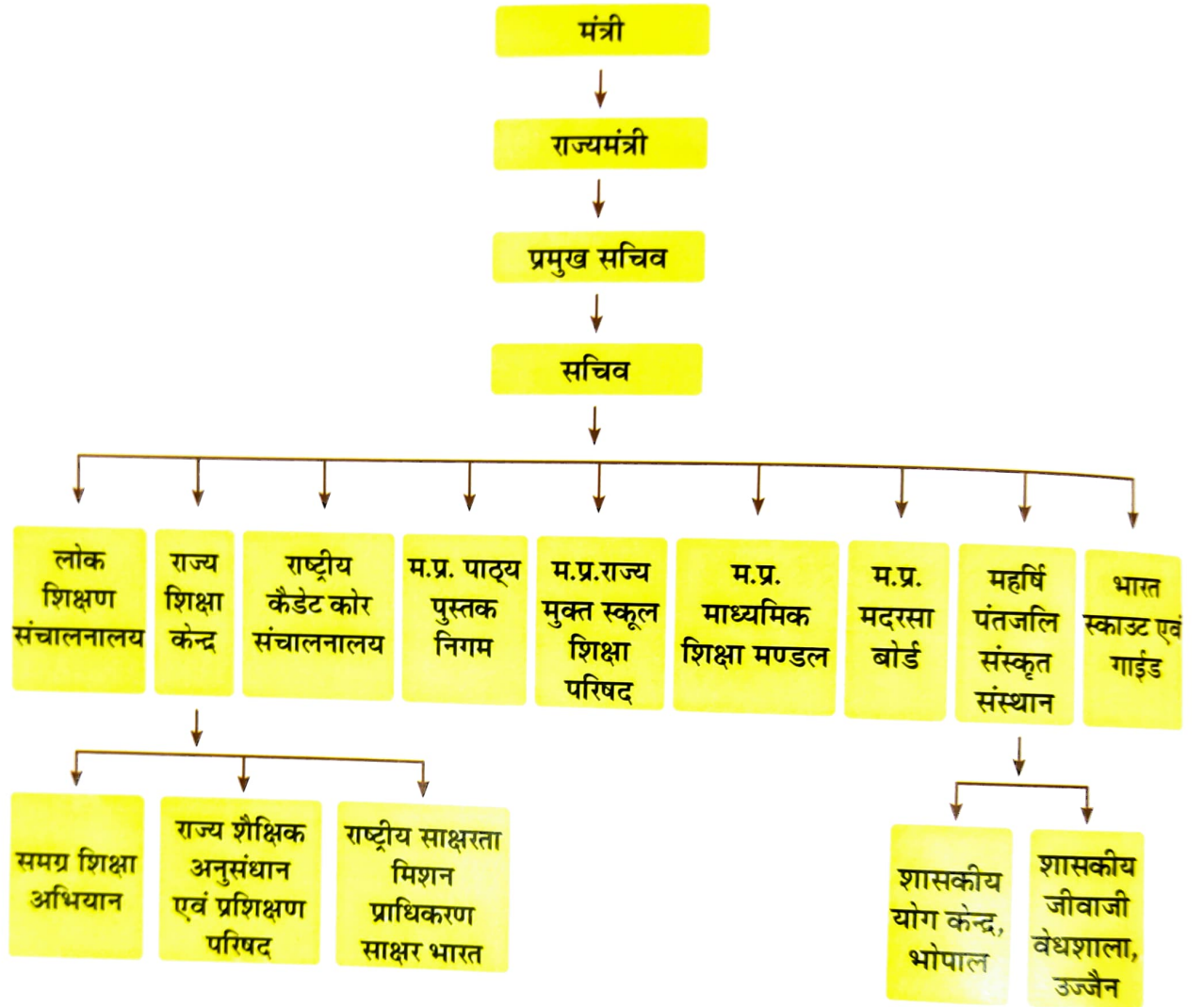
1.1.3.8 भारत स्काउट एवं गाईड

अध्यक्ष	श्री अशोक अर्गल, महापौर, नगर निगम मुरैना
राज्य मुख्य आयुक्त	श्री पारसचन्द्र जैन, माननीय विधायक उत्तर क्षेत्र, उज्जैन
राज्य सचिव	श्री अशोक जनवदे

1.1.3.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय

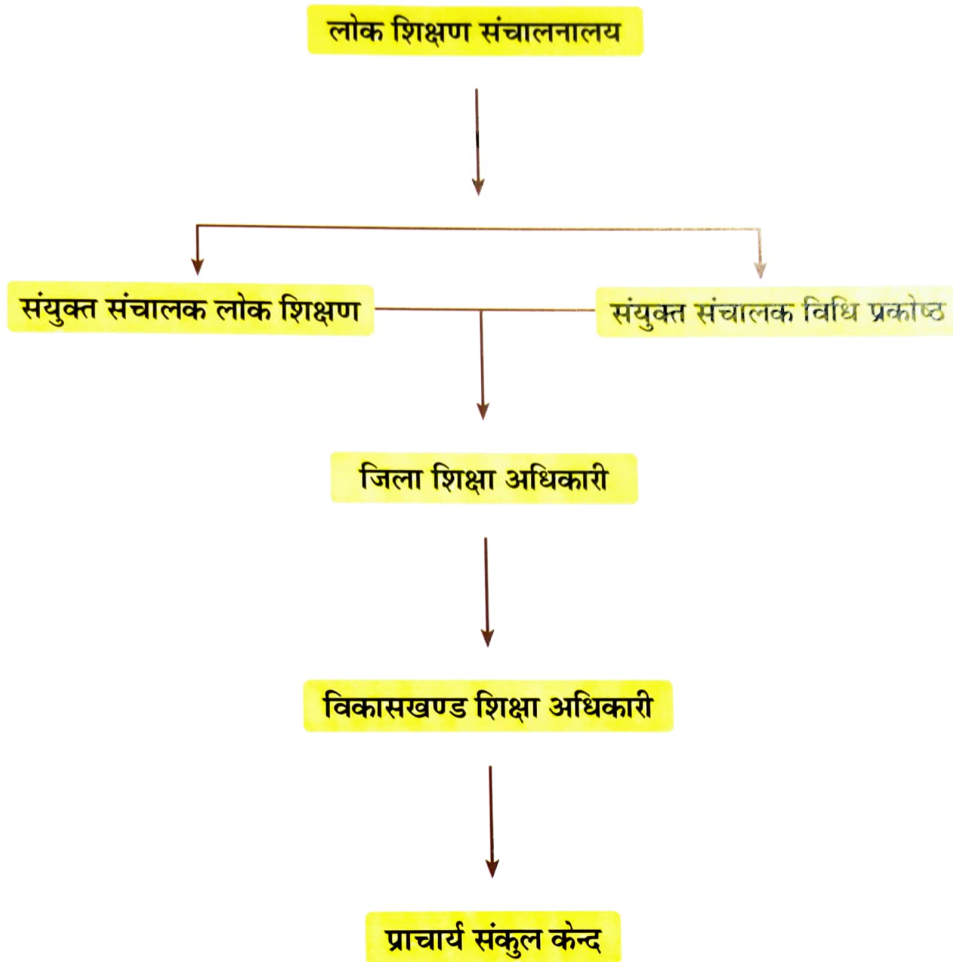
अपर महानिदेशक (विभागाध्यक्ष)	मेजर जनरल संजय शर्मा
उप महानिदेशक	ब्रिगेडियर अश्विनी नैय्यर
संचालक	ग्रुप कैप्टन ए.के. उपाध्याय, वा.से.मे.
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)	कर्नल उम्मेद सिंह
अपर निदेशक (योजना एवं समन्वय)	ले. कर्नल ए.के. मोहन्ती
अपर निदेशक (पर्स)	ले. कर्नल वी.के. शर्मा
अपर निदेशक (प्रशासनिक)	मेजर राहुल राय
उप संचालक (राज्य कोष्ठ), म.प्र. वित्त सेवा	श्री संतोष खोइया

1.1.4 विभागीय संगठन

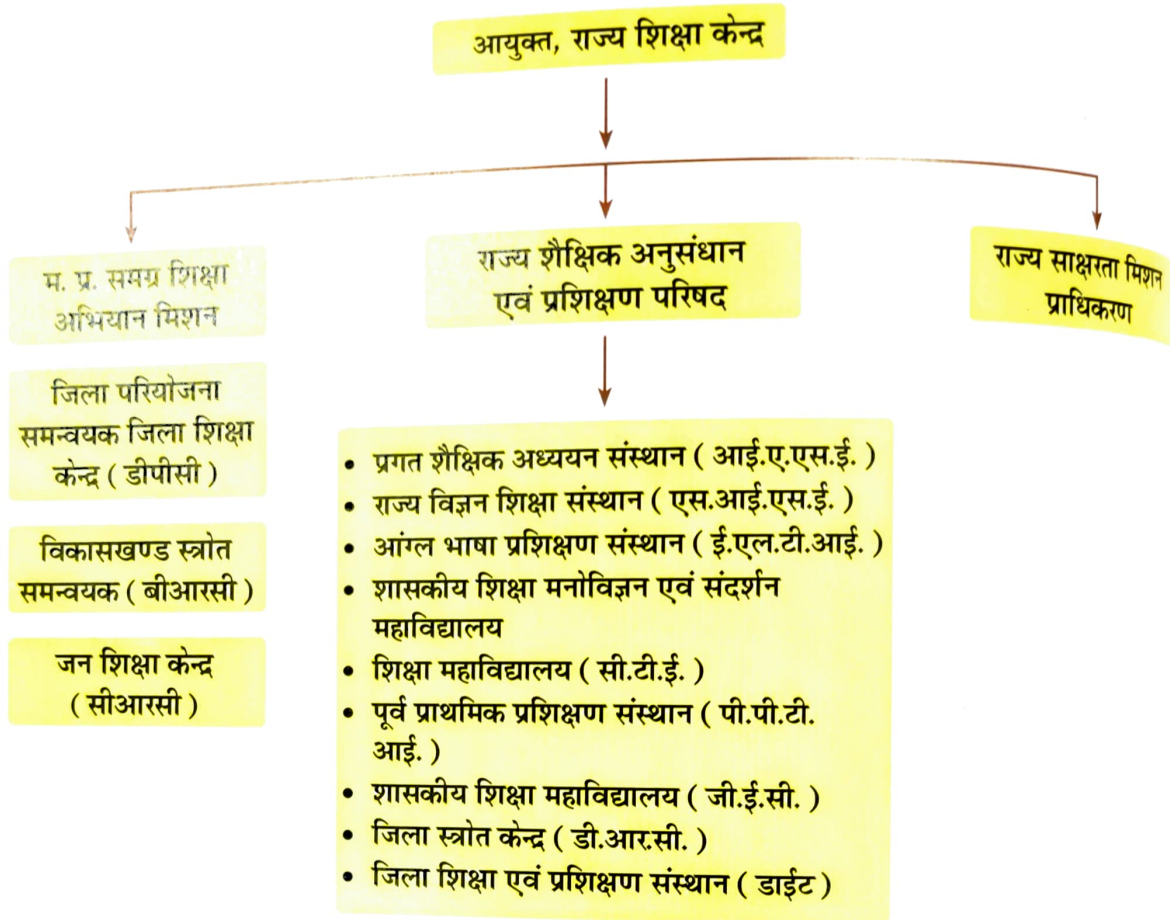


1.2 अधीनस्थ कार्यालय

1.2.1 आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालय

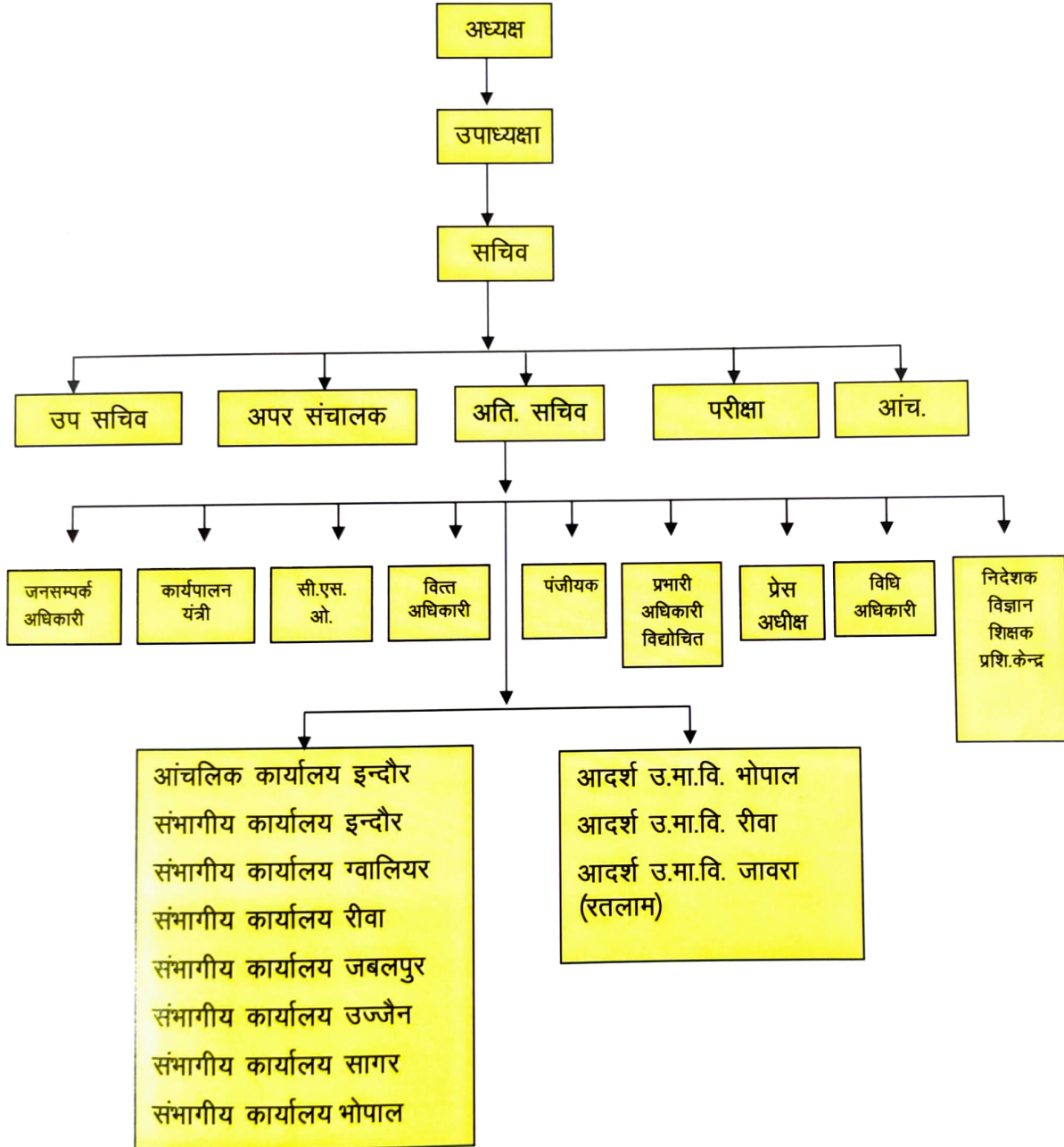


1.2.2 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीनस्थ कार्यालय



1.2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा अधिनियमित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (कं. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वयत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, की अधिसूचना पत्र दिनांक 02/12/2020 द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, (कं. 23 सन् 1965) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्ड (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) और (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा 20 सदस्यों एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कं. 23 सन् 1965) की धारा-4 की उपधारा (1) (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना पत्र दिनांक 07 जुलाई 2020 द्वारा एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

मण्डल सदस्यों की सूची

पदेन सदस्य—

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा
5. आयुक्त, आदिम जाति
6. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला लोक शिक्षण संचालनालय का एक अधिकारी जो संयुक्त संचालक की पंक्ति से नीचे का न हो।
8. संचालक, खेलकूद, खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग।
9. विश्वविद्यालय का एक कुल सचिव जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।
(कुलाधिपति जी द्वारा निम्नानुसार नामांकन किया गया है)
डॉ. एस.एस. कुशवाह, कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट रोड भोपाल
10. (जज) राज्य के विश्वविद्यालयों की कार्य परिषदों के सदस्यों में से दो सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।
(1) वर्तमान में रिक्त
(2) वर्तमान में रिक्त
11. स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।
(वर्तमान में रिक्त)
12. वित्त विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

मण्डल में कार्यरत समितियाँ—

- 1— साधारण-सभा
- 2— कार्यपालिका समिति
- 3— परीक्षा समिति
- 4— वित्त समिति
- 5— पाठ्यचर्या समिति
- 6— विषय समिति
- 7— शिक्षक कल्याण कोष

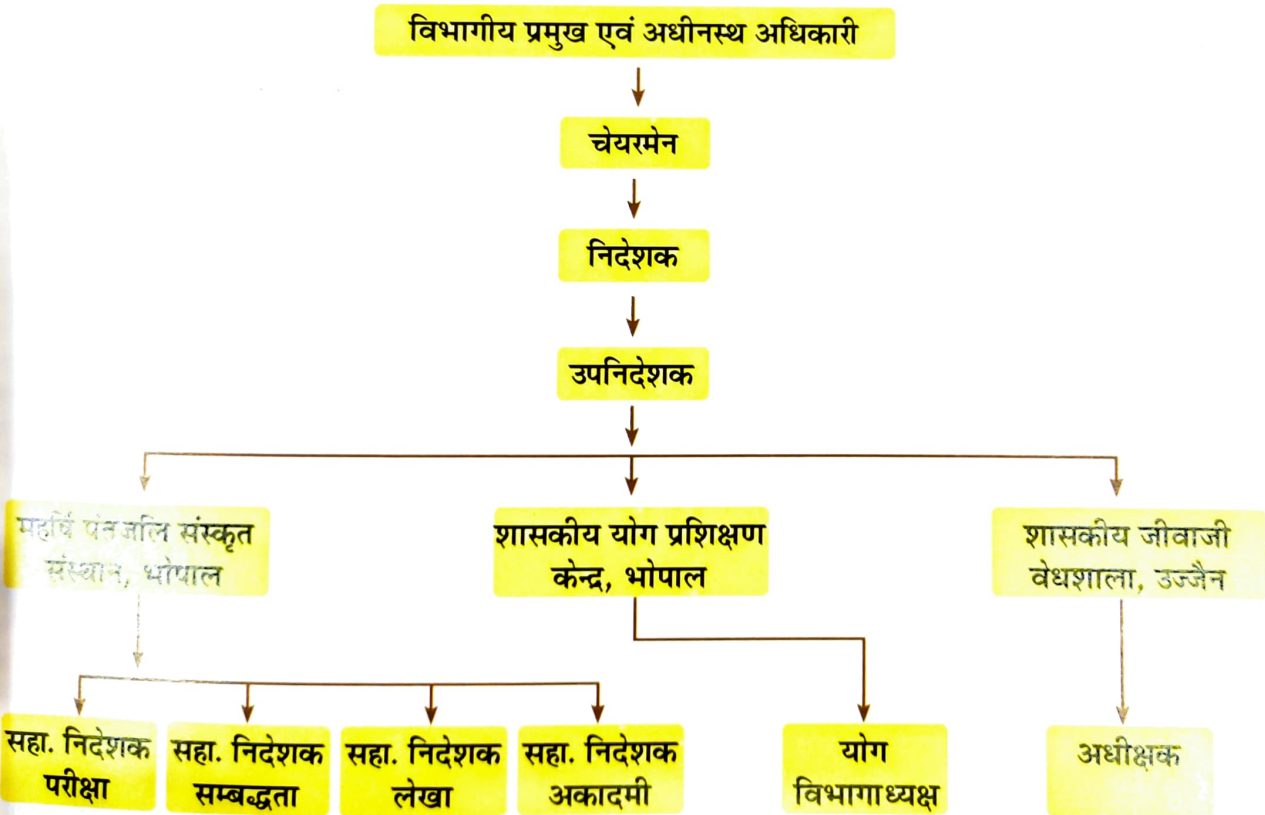
1.2.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

सन 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तरह म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मंत्रि-परिषद् के संकल्प द्वारा वर्ष 1995 में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है।



1.2.5 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के आदेश क्रमांक एक 44-1/2007/20-3 द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम 2007 की धारा 3(1) के प्रावधान अनुसार महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान दिनांक 18.08.2008 से प्रभावशील हो गया है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं राज्य योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को निहित किया गया है।



1.2.6 म.प्र. मदरसा बोर्ड

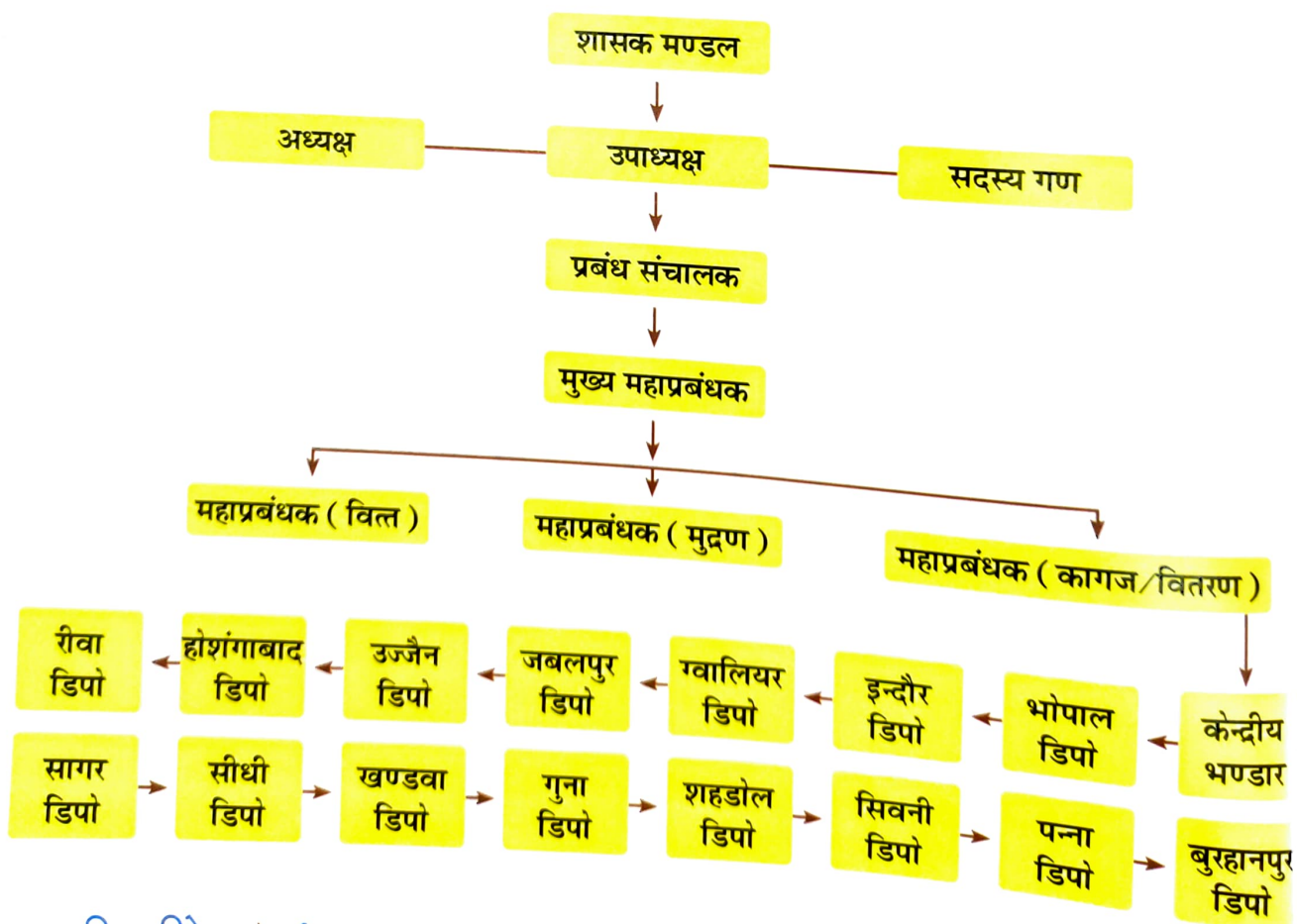
म.प्र. मदरसा बोर्ड का गठन म.प्र. विधान सभा द्वारा पारित म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 द्वारा 22 सितम्बर 1998 को किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त सात सदस्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तथा शासन के विभिन्न विभागों के 12 सचिव एवं विभागाध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड के प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु शासन द्वारा मदरसा बोर्ड में सचिव की पद स्थापना की जाती है।



1.2.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 07.08.1968 को की गई। निगम का कार्य संचालन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है।

इसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शालेय स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें लागत मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

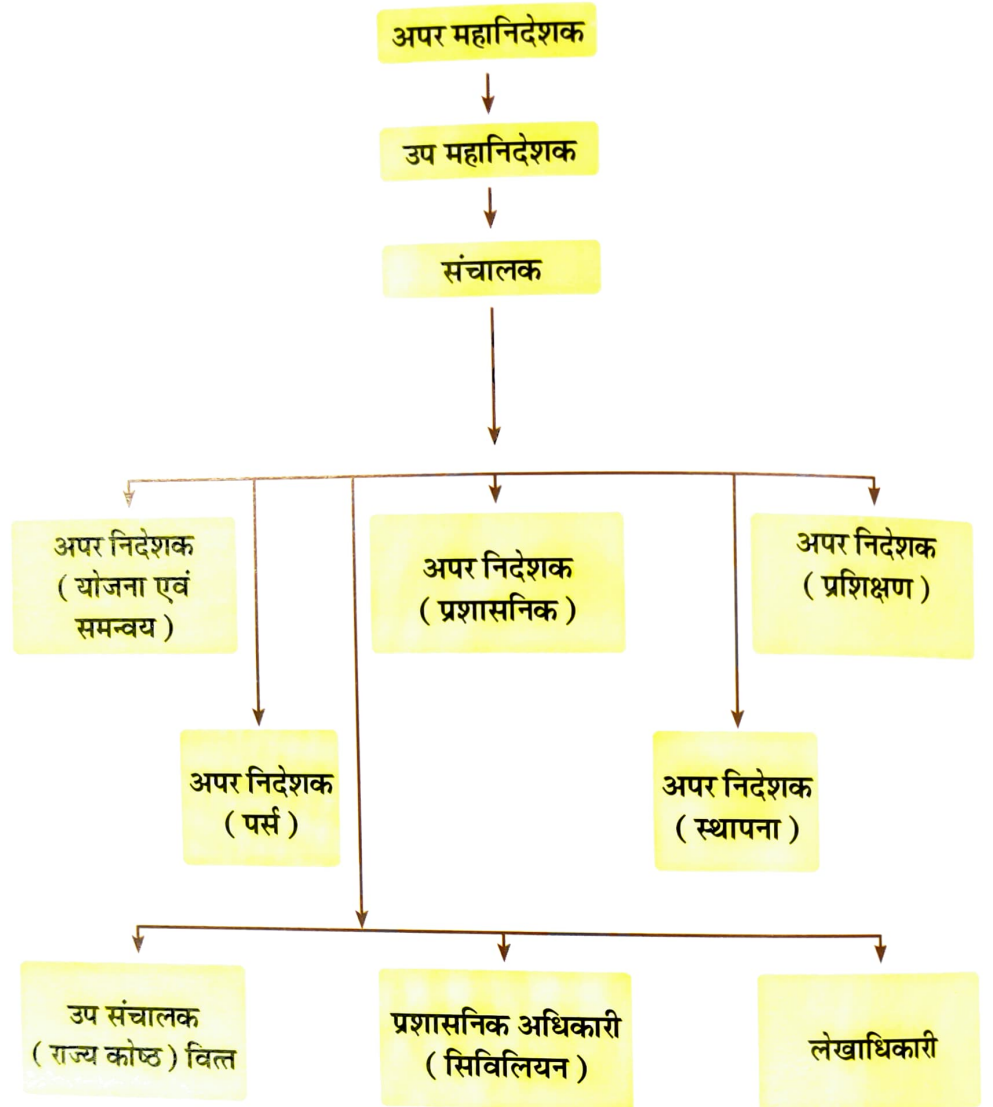


1.2.8 भारत स्काउट एवं गाईड

भारत स्काउट एवं गाइड आंदोलन का प्रारंभ में इसके मात्र 502 सदस्य थे, लेकिन आज लगभग 4.4 मिलियन है। जिसमें 2.5 मिलियन स्काउट एवं 1.5 मिलियन गाइड भारत में है एवं सम्पूर्ण विश्व में 40 मिलियन स्काउट-गाइड एवं कार्यकर्ता है, जो विश्व बंधुत्व और शांति का अलख जगा रहे है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं विश्व में 161 देश इस आंदोलन के सदस्य है विश्व स्काउट संगठन का मुख्यालय स्विटजरलैण्ड में एवं विश्व गाइड संगठन का मुख्यालय लंदन में है।



1.2.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय



मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारी वर्ग में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत एक पद स्वीकृत है। अधिकारी वर्ग के शेष सभी पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भरे गये हैं।

1.2.9.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालय

भोपाल

जबलपुर

सागर

ग्वालियर

इंदौर

युनिट्स भोपाल ग्रुप

- 4 बटालियन भोपाल
- 4 गर्ल्स बटालियन भोपाल
- 1 नेवल युनिट भोपाल
- 2 एयर स्क्वा भोपाल
- 1 सी0टी0आर0 भोपाल
- 13 बटालियन होशंगाबाद
- 5 गर्ल्स बटालियन होशंगाबाद
- 14 बटालियन विदिशा

युनिट्स सागर ग्रुप

- 11 बटालियन सागर
- 7 गर्ल्स बटालियन सागर
- 3 सिग्नल कंपनी सागर
- 25 बटालियन छतरपुर
- 3 बटालियन रीवा
- 3 आर एण्ड व्ही स्क्वा0 रीवा
- जे0डी0 इन्डिप कंपनी रीवा
- 4 (ई) कंपनी कटनी
- 33 बटालियन सागर

युनिट्स इंदौर ग्रुप

- 9 बटालियन इंदौर
- 1 गर्ल्स बटालियन इंदौर
- 2 आर्मड स्क्वा0 इंदौर
- 1 एयर स्क्वा0 इंदौर
- 2 आर एण्ड व्ही स्क्वा महु
- 36 बटालियन खण्डवा
- 21 बटालियन रतलाम
- 10 बटालियन उज्जैन
- 2 आर्टि बेट्री उज्जैन
- 5 (ई) कंपनी नीमच

युनिट्स जबलपुर ग्रुप

- 1 बटालियन जबलपुर
- 1 आर्मड स्क्वा जबलपुर
- 1 आर एण्ड व्ही स्क्वा0 जबलपुर
- 1 सिग्नल कंपनी जबलपुर
- 1 आर्टि बेजिमेंट जबलपुर
- 2 गर्ल्स बटालियन जबलपुर
- 2 नेवल युनिट जबलपुर
- 4 सी0टी0आर0 जबलपुर
- 24 बटालियन छिन्दवाड़ा
- 6 (ई) कंपनी बालाघाट
- 7 (ई) कंपनी शहडोल

युनिट्स ग्वालियर ग्रुप

- 8 बटालियन ग्वालियर
- 15 बटालियन ग्वालियर
- 3 गर्ल्स बटालियन ग्वालियर
- 3 नेवल युनिट ग्वालियर
- 3 सी0टी0आई0 ग्वालियर
- 30 बटालियन भिण्ड
- 35 बटालियन शिवपुरी

1.3 स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व

1. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
3. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध नीति
4. अनौपचारिक शिक्षा
5. शालाओं का सेट अप तथा स्वरूप से सम्बद्ध नीति
6. नवीन शालाएं खोलना तथा शालाओं का विस्तार और विकास
7. शाला पाठ्यचर्या
8. शाला भवन
9. शालाओं के लिए उपकरण, जिसमें कागज तथा अभ्यास पुस्तिका शामिल हैं ।
10. शालाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें, शाला पुस्तकालय, पुस्तक बैंक
11. अध्यापन की पद्धतियाँ तथा तकनीकें
12. शाला के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण
13. अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना
14. अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान
15. शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद
16. बालचर तथा पथदर्शिकाएं
17. शाला की परीक्षाओं का संचालन
18. राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान
19. दिव्यांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा योजना
20. प्रौढ़ शिक्षा
21. राष्ट्रीय छात्र सेना
22. भाषाई अल्प संख्यकों का संरक्षण
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो, (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग आदि विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, ड्यूटी, निवृत्त वेतन, पदोन्नति, निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन
24. योग

1.3.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अधिनियम एवं नियम

1. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965
2. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1969
3. मध्य प्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था) अधिनियम 1973
4. मध्यप्रदेश (तृतीय श्रेणी कार्यपालन एवं शिक्षा वर्ग शिक्षा सेवा अमहाविद्यालयीन शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1973
5. मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, अमहाविद्यालयीन तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1973
6. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) अधिनियम 1974
7. मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002
8. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
9. मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, अमहाविद्यालयीन तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2009 (संशोधन)
10. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011
11. मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2012 (संशोधन)
12. राज्य शिक्षा सेवा का गठन वर्ष 2013
13. (मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1982 को अतिष्ठित करते हुए) मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती नियम, 2016
14. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017)
15. मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित मार्च 2020)
16. मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018
17. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020

1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.4.1 साक्षरता, शालाएं एवं नामांकन

1.4.1.1 साक्षरता

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर और वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर निम्नानुसार है-

विवरण	साक्षरता दर			
	म0प्र0		राष्ट्रीय	
	2001	2011	2001	2011
महिला साक्षरता दर	50.3	59.2	53.7	64.6
पुरुष साक्षरता दर	76.1	78.7	75.3	80.9
कुल साक्षरता दर	63.7	69.3	64.8	73.0
अनु0 जाति की साक्षरता दर				
महिला	43.3	54.7	41.9	56.5
पुरुष	72.3	76.7	66.6	75.2
कुल	58.6	66.2	54.7	66.1
अनु0 जन जाति की साक्षरता दर				
महिला	28.4	41.5	34.8	49.4
पुरुष	53.6	59.6	59.2	68.5
कुल	41.2	50.6	47.1	59.0

1.4.1.2 स्कूलों की संख्या

स्तर	शालाओं की संख्या
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	68208
मिडिल (कक्षा 1 से 8)	34755
हायर सेकेंडरी (कक्षा 1 से 12)	5341
मिडिल (कक्षा 6 से 8)	12868
हायर सेकेंडरी (कक्षा 6 से 12)	939
सेकेंडरी (कक्षा 1 से 10)	4689
सेकेंडरी (कक्षा 6 से 10)	825
सेकेंडरी (कक्षा 9 से 10)	2782
हायर सेकेंडरी (कक्षा 9 से 12)	2961
हायर सेकेंडरी (कक्षा 11 से 12)	11
कुल योग	133379

नोट - इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

1.4.1.2.1 शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति

स्तर	2002 के पूर्व की स्थिति में	वर्ष 2019-20 की स्थिति में
प्राथमिक स्तर की कक्षाएं	55980	79805
माध्यमिक स्तर की कक्षाएं	12490	30122
हाई स्कूल स्तर की कक्षाएं	1704	4936
हायर सेकेंडरी स्तर की कक्षाएं	1517	4303

1.4.1.3 प्रदेश में छात्रों की संख्या/नामांकन (शासकीय एवं निजी)

स्तर	छात्रों की संख्या/नामांकन (संख्या लाख में)
प्राथमिक स्तर	76.15
माध्यमिक स्तर	42.96
हाई स्कूल स्तर	24.08
हायर सेकेंडरी स्तर	14.61

स्रोत - यू डाईस 2019-20

1.4.1.4 शासकीय एवं निजी स्कूलों में छात्रों के वर्गवार नामांकन (संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
प्राथमिक	39.65	36.50	12.79	19.27
माध्यमिक	22.45	20.51	7.29	10.07
हाईस्कूल	12.96	11.12	4.17	4.68
हायर सेकेंडरी	7.65	6.96	2.27	2.21

स्रोत - यू डाईस 2019-20

1.4.1.5 शासकीय शिक्षकों की संख्या

स्तर	शिक्षकों की संख्या
प्राथमिक शिक्षक / सहायक शिक्षक	161667
माध्यमिक शिक्षक/ उच्च श्रेणी शिक्षक	67605
उच्च माध्यमिक शिक्षक/ व्याख्याता	14162

स्रोत - एजुकेशन पोर्टल

1.4.1.6 मदरसा

मदरसों की जानकारी				
मदरसों की संख्या	कार्यरत शिक्षक	नामांकन (लाख में)		
2030	6800	बालक	बालिका	योग
		0.66	0.64	1.30

1.4.1.7 डी.एल.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं		डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट्स की संख्या	
	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
2020-21	43	508	3600	45240

1.4.1.8 बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2018-19	09	1385	797
2019-20	09	1385	1287
2020-21	09	1385	1317

1.4.1.9 एम.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या (01 संस्था देवास में एम.एड. नहीं)	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2018-19	08	340	247
2019-20	08	340	247
2020-21	08	340	242

1.4.2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

- 1.4.2.1 शिक्षण सत्र 2020-21 की हाईस्कूल परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 9,96,588 तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 7,30,860 छात्र सम्मिलित है। इस प्रकार परीक्षार्थियों की कुल संख्या 17,27,448 है।
- 1.4.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी नियमित परीक्षाओं के संदर्भ में गत 3 वर्षों के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का प्रतिशत का सांख्यिकीय विवरण

परीक्षा में उत्तीर्ण	वर्ष								
	2018			2019			2020		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
हाईस्कूल	64.09%	69.34%	66.54%	59.15%	63.69%	61.32%	60.09%	65.87%	62.84%
हायर सेकेण्डरी	64.39%	72.39%	68.07%	68.34%	76.31%	72.37%	64.66%	73.40%	68.81%

1.4.2.3 वर्ष 2020-21 अप्रैल की परीक्षाओं हेतु स्थापित परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

स.क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा केन्द्र संख्या
1.	हाईस्कूल	निर्धारित नहीं हुए है।
2.	हायर सेकेण्डरी	निर्धारित नहीं हुए है।

1.4.2.4 शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता देना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अशासकीय संस्थाओं को नवीन सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की अद्यतन जानकारी

स. क्र.	संभाग का नाम	नवीन सम्बद्धता जारी की गई		हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सम्बद्धता जारी की गई	कुल सम्बद्धता प्राप्त
		कक्षा-9वीं	कक्षा-11वीं		
1.	ग्वालियर	21	13	0	34
2.	अगर	11	14	1	26
3.	रीवा	25	16	1	42
4.	उज्जैन	27	26	3	56
5.	इन्दौर	08	05	0	13
6.	भोपाल	23	23	0	46
7.	जबलपुर	14	33	3	50
योग		129	130	08	267

शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल हा.से. संस्थाओं की जानकारी

	हाईस्कूल	हा.से.
शासकीय	9245	4275
अशासकीय	7822	4444

1.4.3 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

1.4.3.1 विभिन्न प्रवेश वर्ष में प्रविष्ट छात्र-संख्या

क्र.	वर्ष	कुल छात्र संख्या (प्रविष्ट)			कुल (10+12)
		8वीं	(10वीं)	12वीं	
1	2018	.	103655	102919	206574
2	2019	.	115138	93629	208767
3	2020	35 / 115.	127186	113140	240326

1.4.3.2 सफल परीक्षार्थियों के प्रतिशत का विवरण

क्र.	वर्ष	हाईस्कूल (कक्षा 10वीं)			हायर सेकण्डरी (12वीं)		
		कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	2019	115138	30526	26.51	93629	39422	42.10
2	2020	127186	33108	26.03	113140	51187	45.24

1.4.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल

1.4.4.1 परीक्षा परिणाम (कक्षा –प्रवेशिका से उत्तर मध्यमा द्वितीय खण्ड तक)

क्र.	परीक्षा का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
		सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	प्रवेशिका (5वीं)	—	—	—	—	53*	53
2	प्रथमा तृतीय वर्षम् (8वीं)	—	—	—	—	494*	494
3	पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड (9वीं)स्थानीय परीक्षा	1244	1244	1236	1236	1314**	1314
4	पूर्वमध्यमा द्वितीय खण्ड (10वीं) बोर्ड परीक्षा	2709	1066	3078	1395	3619#	3522
5	उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड (11वीं) स्थानीय परीक्षा	975	975	970	970	979**	979
6	उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड (12वीं) बोर्ड परीक्षा	1591	1018	1763	1127	2055	1402
7	पूर्वमध्यमा द्वितीय खण्ड (10वीं) विशेष परीक्षा	—	—	—	—	1016###	159
	कुल	6519	4303	7047	4728	9530	7923

* नोबल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सत्र 2019-20 मे राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/मूल्यांकन /2019/7053/भोपाल दिनांक 14.11.2019 के परिपेक्ष्य में संस्थान से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की गयी।

** कोविड 19 की परिस्थिति के परिपेक्ष्य में संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की गयी।

कक्षा 10वीं में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा के आंकलन आधार पर वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।

कोरोना महामारी के संपूर्ण प्रोटोकाल का पालन करते हुये कक्षा 12वीं हेतु बोर्ड परीक्षा का नियमानुसार आयोजन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।

कक्षा 10 वीं के ऐसे नियमित विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित / अनुत्तीर्ण थे उनके लिये विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया

1.4.5 मदरसा बोर्ड

वर्ष 2020 में नवीन पंजीयन/मान्यता की संख्या	:	19
पूर्व वर्षों से मान्यता प्राप्त मदरसों की नवीनीकरण संख्या	:	2011
कुल मदरसे	:	2030

म.प्र.राज्य ओपन स्कूल के सहयोग से म.प्र.मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल सामान्य, हाई स्कूल मौलवी, हायर सेकण्डरी सामान्य एवं हायर सेकण्डरी आलिम में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या :-

वर्ष 2020	हाई स्कूल	हायर सेकण्डरी
2019-2020	846	405

1.4.6 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण

स.क्र.	वर्ष	वितरित पुस्तकों की संख्या (लाख में)	पुस्तकों का मूल्य (रु. लाख में)
1.	2017-18	693.56	27771.00
2.	2018-19	773.96	34259.44
3.	2019-20	699.14	33241.01

1.4.7 भारत स्काउट एवं गाइड

1.4.7.1 सत्र 2020-2021 में आयोजित शिविर एवं उपलब्धियाँ

कोरोना वायरस काल में भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश संस्था द्वारा किये गये सेवा कार्य

हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना और हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा जैसी पंक्तियों ने प्रेरित किया और फिर उन्होंने मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में धन की आवश्यकता की पूर्ति भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश संस्था के पदाधिकारी श्री राजीव जैन सहायक राज्य आयुक्त (स्का.) एवं श्री बी०एल०शर्मा राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का०) ने सोशल मीडिया माध्यम से अपने उद्देश्य को जन मानस के समक्ष रखा और इस पुनीत कार्य को सम्पादित कराने के लिये प्रदेश भर के लोगों में सहयोग की होड सी लग गई।

निःशुल्क भोजन व्यवस्था संस्था के शुभ चिंतकों के द्वारा आर्थिक एवं अन्नदान के सहयोग से भोजन के 170000 पैकेट वितरण किय गये। जिससे सामुदायिक रसोई राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर

भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर तुलसीनगर भोपाल में पूरे एक माह तक संचालित किया गया। शुभचिंतको द्वारा जरूरत की पोटली बनाकर गरीबों को वितरण की गई।

मास्क वितरण की जानकारी संभागवार

क्र०	संभाग	प्राप्त मास्क	वितरण मास्क
1	भोपाल	3447	3447
2	ग्वालियर	2159	2159
3	इन्दौर	1100	1100
4	जबलपुर	5674	5674
5	रीवा	1185	1185
6	सागर	8245	8245
7	उज्जैन	1470	1470
8	मुरैना	1263	1263
9	शहडोल	470	470
	योग	25013	25013

कोविड-19 वायरस सेवा कार्य हेतु सदस्यों का पंजीयन की जानकारी-

कोविड-19 वायरस महामारी में सेवा कार्य करने हेतु 3116 सदस्यों ने पंजीयन कराये हैं और अपनी सेवाये दी है।

प्लास्टिक टाइट र्नर चैलेंज - सदस्यों का पंजीयन की जानकारी-

भारत स्काउट एवं गाइड ने प्लास्टिक टाइट र्नर पर काम करना स्वीकार किया है। यह चैलेंज बैज कार्यक्रम (पीटीटीसी) WAGGS के साथ है जो वर्तमान समय की आवश्यकता है।

यह गतिविधि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में है जो पानी में भी जीवन को खतरे में डाल रही है। यह वास्तव में (पीटीटीसी) कार्यक्रम दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिये वैश्विक रूप से प्रदान की जाने वाली एक गतिविधि है। युवा व वयस्कों को अपने प्लास्टिक की खपत को प्रतिबिंबित करने के लिये समाधान खोजने के लिये सुधार करने के लिये अपनायी गई है। इस खपत को कम करने और अपने घरों, समुदायों, संस्थानों व कार्यालयों में परिवर्तन का नेतृत्व करें।

एक बेहतर कल के निर्माण हेतु संकल्प की जानकारी -

परियोजना " संकल्प " बेहतर कल का सृजन के अन्तर्गत लॉक डाउन में घर पर रहते हुये कोविड-19 के विरुद्ध जन जागरण हेतु ऑनलाईन विभिन्न चुनौतियों/गतिविधियों को घर बैठकर हमारे स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर एवं यूनिट लीडर ने सराहनीय कार्य किया है और यह कार्य अभी भी जारी है।

क्रम	जिला	संख्या
1	ग्वालियर	19
2	दतिया	17
3	गुना	26
4	सागर	06
5	दमोह	01
6	टीकमगढ़	07

7	जबलपुर	17
8	कटनी	36
9	अलीराजपुर	01
10	देवास	48
11	रतलाम	15
12	मन्दसौर	21
13	श्योपुर	27
	योग	241

वयस्क प्रशिक्षण की जानकारी वर्ष 2020-21

क्रम	शिविर का नाम	शिविर संख्या	प्रतिभागी संख्या
1	बिगिनर्स कोर्स	4	117
2	जिला प्रशिक्षण आयुक्त बैठक ऑनलाइन	1	49
3	रि-ओरियटेशन कोर्स ऑनलाइन	3	14
4	प्री ए0एलटी0 कोर्स ऑनलाइन	1	5
	कुल	9	185

जिला स्तरीय :- जिला स्तर पर निम्न कार्य किये गये-

क्रम	कार्यक्रम	कार्यक्रम आयोजित करने वाले जिले
1	पर्यावरण दिवस	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
2	वृक्षारोपण कार्यक्रम	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
3	फिट इंडिया हिट इंडिया	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी।
4	विश्व शांति दिवस	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
5	भारत स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस	भोपाल, सीहोर, रासेन, राजगढ, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर भिण्ड, इन्दौर झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर खरगौन बडवानी, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर आगर नीमच

		सागर दमोह टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाडा सिवनी, मण्डला, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया
6	योगा दिवस	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
7	रक्तदान	भोपाल, कटनी, दतिया, मुरैना, विदिशा, छिंदवाडा श्योपुर, देवास अशोकनगर दमोह भिण्ड
8	विश्व बालिका दिवस	देवास, दमोह,
9	स्वच्छता अभियान	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
10	विश्व एड्स दिवस	श्योपुर, देवास
11	यातायात सप्ताह	कटनी, इन्दौर
12	पल्स पोलियो	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
13	मतदाता जन जागरूता अभियान	भोपाल, सीहोर विदिशा, छिंदवाडा, कटनी, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी, मुरैना श्योपुर, भिण्ड, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर, मन्दसौर, इन्दौर, धार बडवानी
14	सायकल रैली	जिलों में कोविड-19 वायरस महामारी के बचाव हेतु जन जागरण के लिये सायकल रैली का आयोजन स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर एवं यूनिट लीडर द्वारा किया गया ।
15	भारत निर्माण	समस्त जिलों में स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर एवं यूनिट लीडर द्वारा लॉगडाउन के दौरान मास्क तैयार कर समाज के बीच जाकर वितरण किये और कलेक्टर कार्यालय में भी जमा कराये ।
16	राष्ट्रीय कार्यक्रम	भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा उड़ान कार्यक्रम के अन्तर्गत नृत्य प्रतियोगिता, श्लोगन, गायन, वाद्ययंत्र भोजन, सलादसजावट, ट्रेकिंग, विश्व हाथ धुलाई कार्यक्रम, कोविड-19, अवेरनेस प्रोग्राम आदि कार्यक्रमों में स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर एवं यूनिट लीडर ने प्रतिभागिता कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया ।,
17	प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास	भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के 10 संभागों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है। इनके विकास हेतु इस समस्त केन्द्रों की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य कर सुविधा जनक बनाया गया है।

18	स्कार्फ दिवस	भारत स्काउट एवं गाइड की सेवा कार्य की पहचान स्कार्फ दिवस को सेवा कार्य दिवस के रूप में सभी जिलों में मनाया गया। स्कार्फ पहनाकर नवीन सदस्यों को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया गया।
19	फैलोशिप सदस्यता	भारत स्काउट स्काउट एवं गाइड में संस्था की गतिविधियों को विस्तृत स्वरूप देने हेतु फैलोशिप सदस्यता अभियान चलाया गया जिससे संस्था में समर्पित सदस्यों को जोड़ा गया।



प्रदेश के जिलों में स्काउट/गाइड के द्वारा किये गये सेवा कार्य के फोटोग्राफ

1.4.8 एनसीसी संचालनालय

1.4.8.1 एनसीसी की गतिविधियों का जिलेवार संचालन

क्रमांक	संभाग/ जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या	महाविद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या
		शासकीय	निजी		शासकीय	निजी	
1.	भोपाल	12	12	3140	18	16	2632
2.	सीहोर	15	09	1724	04	02	540
3.	रायसेन	12	05	1070	04	0	196
4.	राजगढ़	04	03	270	02	0	213
5.	विदिशा	23	03	2050	10	01	1020
6.	बैतूल	10	05	1357	02	0	266
7.	होशंगाबाद	22	09	2515	10	0	1392
8.	हरदा	06	01	674	01	01	95
9.	श्यामपुर	0	0	0	01	0	53
10.	मुरैना	08	01	825	05	0	617
11.	भिण्ड	08	0	600	07	0	481
12.	ग्वालियर	26	08	2472	15	12	2754
13.	शिवपुरी	08	0	625	06	0	405
14.	गुना	04	0	310	01	0	120
15.	अशोक नगर	03	0	0	0	0	0
16.	दतिया	05	0	454	01	0	114
17.	देवास	03	01	341	03	0	177
18.	रतलाम	06	01	640	03	0	256
19.	शाजापुर	04	01	367	03	0	205
20.	आगर	01	0	89	0	0	0
21.	मंदसौर	07	01	705	02	0	213
22.	फर्रुखाबाद	03	0	225	03	0	209
23.	उज्जैन	12	03	1317	10	02	1496
24.	इंदौर	23	34	3375	16	04	2255
25.	धार	04	0	450	04	0	265
26.	अलीराजपुर	01	01	150	01	0	54
27.	झाबुआ	04	0	350	01	0	160
28.	खरगौन	05	01	400	02	01	173
29.	बड़वानी	04	01	375	01	0	53
30.	खण्डवा	10	02	850	04	0	267
31.	बुरहानपुर	12	01	850	02	0	196
32.	जबलपुर	38	10	3496	29	10	2971
33.	नरसिंहपुर	11	05	1200	04	01	378

क्रमांक	संभाग / जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या	महाविद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या
		शासकीय	निजी		शासकीय	निजी	
34.	छिंदवाड़ा	20	0	1500	08	0	745
35.	सिवनी	04	0	400	01	01	107
36.	मंडला	08	02	800	03	0	213
37.	बालाघाट	09	02	850	03	0	200
38.	डिण्डौरी	02	0	200	0	0	0
39.	उमरिया	02	0	150	0	0	0
40.	शहडोल	06	0	500	02	0	188
41.	अनूपपुर	04	0	350	02	0	172
42.	सागर	25	06	2400	12	06	1309
43.	दमोह	08	0	950	05	01	428
44.	पन्ना	07	02	750	01	0	107
45.	छतरपुर	10	02	1050	07	0	660
46.	टीकमगढ़	03	02	400	02	0	263
47.	कटनी	08	02	625	03	0	213
48.	रीवा	18	03	1824	07	0	916
49.	सिंगरौली	01	0	100	01	0	119
50.	सीधी	04	01	400	02	0	161
51.	सतना	11	01	1100	05	01	400
	कुल	462	138	47615	239	58	26427

भाग - दो

2.1 बजट विहंगावलोकन

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

2.1 बजट विहंगावलोकन

2.1.1 बजटीय विवरण, स्कूल शिक्षा विभाग

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष 2018-19		2019-20		2020-21	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
2563152.02	2014862.52	2648337.06	2217751.71	2402684.30	1200882.35

*(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

2.1.2 संचालनालय, लोक शिक्षण, के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष 2018-19		2019-20		2020-21	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
2155390.72	1672327.62	2091189.79	1714831.47	1950940.28	1015474.44

*(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

2.1.3 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तक का बजटीय विवरण

(राशि लाख में)

वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन #	व्यय	बजट आवंटन	व्यय*
403043.34	338592.80	551770.70	498524.36	446851.98	182613.87

*(व्यय 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

(समग्र शिक्षा अभियान पूंजीगत मद में रु. 177.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो बजट आवंटन में सम्मिलित है)

2.1.4 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

2018-19		2019-20		2020-21	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय (31 दिसम्बर 2020 तक)
4717.96	3942.10	5376.57	4395.88	4892.04	2794.04

2.1.5 म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक का बजटीय विवरण

2018-19		2019-20		2020-21	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
20797.23	18033.92	23658.64	19967.33	27380.11	13537.00

*(दिसम्बर 2020 स्थिति में)

2.1.6 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड का 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 तक का बजटीय विवरण

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल पंजीकृत स्वशासी संस्था है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बजट व आय-व्यय का प्रावधान पंजीयन/परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-2019, 2019-2020, एवं 2020-2021 प्रावधिक एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

2018-19		2019-20		2020-2021	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
5707.10	2404.78	4141.60	3927.11	4240.20	1046.54

*(वर्ष 2020-2021 के आंकड़े दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

2.1.7 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक का बजटीय विवरण

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये राज्य शासन से रुपये 3 करोड 50 लाख का प्रावधान है।

आय के अन्य स्रोत - संस्थान द्वारा अन्य आय-व्यय स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किये जाते हैं, जो सम्बद्धता शुल्क एवं परीक्षा सम्बन्धित कार्यों से प्राप्त शुल्क पर निर्भर है।

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के व्यय आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2018-19		2019-20		2020-21	
बजट प्रावधान	व्यय *	बजट प्रावधान	व्यय *	बजट प्रावधान	व्यय* दिसम्बर 2020 की स्थिति में
315.00	339.86	350.00	413.00	350.00	392.00

* अधिक व्यय का भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से दिया गया है।

2.1.8 म.प्र.मदरसा बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 का बजटीय विवरण :

म.प्र. मदरसा बोर्ड को राज्य शासन से राशि रु. 32 लाख वार्षिक अनुदान स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2018 - 19		2019-20		2020 - 21 (31/12/2020 की स्थिति में)	
बजट प्राप्त	व्यय	बजट प्राप्त	व्यय	बजट प्राप्त	व्यय
32.00	46.96	32.00	42.76	32.00	44.38 *

अधिक व्यय का भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से किया गया।

* म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. मदरसा बोर्ड को वार्षिक अनुदान 32 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। मदरसा बोर्ड के कार्यालयीन व्यय, अध्यक्ष महोदय के मानदेय एवं अन्य सुविधाएं तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर वार्षिक लगभग राशि रु. 80 लाख का व्यय होता है। दिसम्बर 2018 के उपरांत से माननीय अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति न होने से माननीय अध्यक्ष पर होने वाले व्यय नहीं हो रहे हैं। म.प्र. मदरसा बोर्ड का अनुदान व्ययों की तुलना में कम होने के कारण वर्तमान में शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान एवं मान्यता शुल्क तथा परीक्षा शुल्क से अर्जित आय से पूर्ति की जा रही है।

2.1.9 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम का 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान शासक मण्डल/साधारण सभा की बैठक में पारित किये गये, जिसमें राशि रुपये 38288.94 लाख की प्राप्तियों तथा रुपये 36064.54 लाख के भुगतानों का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वर्षांत में निगम के शासक मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

बजट 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (प्राप्तियाँ एवं भुगतान)

(राशि रुपये लाख में)

2017-18		2018-19		2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
32967.72	32011.65	38288.94	36064.54	41029.7	39318.95

2.1.10 भारत स्काउट एवं गाइड का 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं

2018-19		2019-20		2020-21	
प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय (दिसम्बर 2020 की स्थिति में)
236.75	236.75	283.27	283.27	280.00	250.00

(राशि रुपये लाख में)

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

2.2.1 संचालनालय, लोक शिक्षण के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का बजट एवं व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
			बजट	बजट	बजट	व्यय	बजट	व्यय दिसम्बर 2020
1	1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	8087.31	6829.82	8794.30	7617.31	8375.49	4434.46
2	3930	विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	7653.97	6784.02	8280.37	7617.57	9401.18	4917.03
3	4396	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	421146.05	281794.70	705290.26	622637.84	890545.71	502589.40
4	3491	माध्यमिक शालाएँ	253432.99	170238.24	364019.60	339722.83	503218.38	265033.50
5	9949	अशासकीय शालाओं की अनुदान	50000.00	36175.34	55000.00	49523.36	28584.00	9469.01
6	0222	शासकीय संस्कृत विद्यालय (0581 में समाहित)	498.39	430.45	533.12	470.76	163.09	145.07
7	0581	हायर सेकेंडरी शालाएँ	157318.23	125124.04	222660.49	214216.60	271750.70	135437.43
8	1516	जीवाजी वैद्यशाला-उज्जैन	76.15	69.70	88.72	77.12	87.04	46.47
9	1797	टी.टी.महाविद्यालय, शिवपुरी तथा आवासीय खेलकुद स्कूल सीहोर	268.21	212.95	344.49	210.35	278.93	127.32
10	3858	लोक शिक्षण संचालनालय	3170.25	2270.52	3240.29	2566.88	3217.32	1408.07
11	4193	शास.विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायिकरण (0581 में समाहित)	8729.24	8087.58	9890.04	8565.01	3148.92	2990.56
12	4395	सरकारी पुस्तकालय (4514 एवं 5538 में समाहित)	1931.52	850.13	1305.26	913.08	1178.16	598.30
13	6007	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन (वित्त 0581 में समाहित)	5433.93	1247.31	3538.50	1115.09	1282.40	335.01
14	6068	शालाओं का उन्नयन	2409.51	1375.76	2141.73	1433.57	4515.97	648.32
15	6090	गायन विद्यालयों को अनुदान (9949 में समाहित)	100.00	85.19	50.00	47.59	16.00	12.43
16	8230	संगठित संचालक कार्यालयों की स्थापना	2129.80	1976.28	2370.48	2230.50	2522.63	1254.92
17	0701	अतिथि शिक्षकों का मानदेय	18590.00	18336.82	37561.22	36860.45	30000.12	13088.64
18	5545	महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान	350.00	315.00	350.00	350.00	350.01	112.00
19	4514	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान (4395 में समाहित)	4.00	1.78	0.80	0.50	0.00	0.00
20	4598	स्काउट एसोसिएशन को अनुदान	240.00	236.75	289.09	285.45	280.32	260.92

21	6968	शालाओं का उन्नयन (मांग संख्या 40-6968 में समाहित)	10000.00	2330.81	2862.00	2852.78	492.00	483.30
22	8403	पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानेद	960000.01	850860.55	554576.67	332053.95	143167.00	53985.87
23	2669	नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	15000.00	13465.81	14639.67	8971.03	2262.00	691.28
24	6005	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	75000.00	44610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	6344	मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	2266.75	2230.15	2300.00	567.12	300.00	0.00
26	1235	मदरसा बोर्ड को अनुदान एवं मदरसों का अधोसंरचना विकास	482.00	410.80	736.52	388.33	1300.00	438.11
27	7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
28	2267	निशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	11000.00	9541.42	10274.50	10274.50	10274.50	941.86
29	6813	साइकिलों का प्रदाय	21099.79	21099.79	20204.00	20204.00	37.00	586.02
30	2076	1736/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में विद्युत कनेक्शन	615.04	430.51	512.50	27.88	128.03	21.03
31	2077	आवासीय खेलकूद एवं शा. शारीरिक शिक्षा विद्यालय का संचालन (1797 में समाहित)	325.00	0.00	272.79	85.99	0.00	0.00
32	2078	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	6950.00	896.45	1758.60	0.00	97.18	0.00
33	0732	राष्ट्रीय अकादमी एवं मुख्य सैन्य सेवायें	0.06	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
34	0816	छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	7942.00	934.15	2329.25	503.96	129.31	76.46
35	1265	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	17700.00	17638.54	2000.00	42.54	500.00	75.74
36	2446	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान म.प्र. इकाई	33.00	23.10	31.83	17.82	31.83	6.37
37	4980	उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान	1000.01	552.55	882.04	243.55	87.83	47.91
38	5133	विविध छात्रवृत्तियां	1469.48	1075.03	2321.21	1488.15	2106.85	15.45
39	5539	ग्रंथालयों की सुदृढीकरण (4395 में समाहित)	33.00	21.32	202.16	82.23	0.00	0.00
40	5541	शैक्षिक अभ्युत्थान	207.00	43.07	949.41	194.30	129.78	50.20
41	5542	खेलकूद परिसर का निर्माण एवं गतिविधियों का संचालन	660.00	394.55	636.53	280.49	32.62	0.00
42	5732	सैनिक स्कूल सेवा को अनुदान	448.00	181.97	236.43	189.14	190.00	67.11
43	6017	कृषि विद्यालयों का सुदृढीकरण	25.00	6.98	22.73	9.82	12.00	3.45
44	6019	वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	800.00	503.99	454.66	316.28	150.89	81.35
45	6493	व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण	400.00	349.20	363.72	209.75	100.49	72.75
46	5473	राज्य पुरतकालय की स्थापना	0.00	0.00	200.00	0.00	0.06	0.00
47	9516	सी.एम.राईज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
48	7127	बेटी बचाओ योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति	80.00	1.90	100.00	48.20	100.00	0.00
49	0327	अरबख धन्ध में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (अ.जा. वि. में समाहित)	640.00	639.93	268.80	268.80	0.00	0.00
50	5133	विविध छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जाति उपयोगना) (अ.जा.वि. में समाहित)	4850.00	3487.49	1637.00	1583.06	0.00	0.00
51	5133	विविध छात्रवृत्तियां (केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोगना) (अ.जा.वि. में समाहित)	7700.00	7699.79	3234.00	3234.00	0.00	0.00
52	5902	राज्य शासन अनु.	450.00	6.49	189.00	189.00	0.00	0.00

		जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 एवं 10) (अ.जा.वि. में समाहित)							
53	8805	राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 एवं 8) (अ.जा.वि. में समाहित)	2200.00	2199.72	924.00	924.00	0.00	0.00	
54	0727	स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए उन्नयन विकास अनुरक्षण	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
55	7765	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जाति उपयोजना) (अ.जा.वि. में समाहित)	6400.00	3631.16	2940.00	2940.00	0.00	0.00	
56	7765	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना) (अ.जा.वि. में समाहित)	1000.00	999.99	420.00	420.00	0.00	0.00	
57	0816	छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन (6970 में समाहित) पूँजी अनुभाग	5540.00	2363.96	5004.77	4870.81	1504.00	834.50	
58	2077	आवासीय खेलकूद एवं शा. शारीरिक शिक्षा विद्यालय का संचालन (6970 में समाहित) पूँजी अनुभाग	225.00	215.02	135.82	135.82	0.00	0.00	
59	3858	लोक शिक्षण संचालनालय, पूँजी अनुभाग	11.78	9.56	12.00	0.00	0.00	0.00	
60	5542	खेलकूद परिसर का निर्माण एवं गतिविधियों का संचालन (6970 में समाहित) पूँजी अनुभाग	600.00	91.01	225.91	225.91	70.80	70.30	
61	6007	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन (6970 में समाहित) पूँजी अनुभाग	268.23	0.00	267.50	125.03	56.00	0.00	
62	6007	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन, जिला खनिज प्रतिष्ठान पूँजी अनुभाग	4000.00	44.81	4000.00	0.00	1280.00	324.30	
63	6970	शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार पूँजी अनुभाग	45900.00	20393.68	25512.44	23921.69	14020.08	13633.53	
64	7128	मुख्यालय/संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण, पूँजी अनुभाग	500.00	500.00	992.50	479.01	317.60	57.94	
65	4395	सरकारी पुस्तकालय पूँजी अनुभाग	0.00	0.00	10.00	0.70	2.74	0.74	
66	5473	राज्य पुस्तकालय की स्थापना पूँजी अनुभाग	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
67	5732	सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान पूँजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	9516	सी.एम.राईज पूँजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
योग:-			2155390.72	1672327.62	2091189.79	1714831.47	1950940.28	1015474.44	

* (दिसंबर 2020 की स्थिति में)

2.2.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तक का बजट एवं व्यय

(आंकड़े लाख में)							
क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय*
(अ)-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं							
1	समग्र शिक्षा अभियान (राजस्व) (5330)	0.00	0.00	424235.46	403597.44	365800.00	169013.33
2	समग्र शिक्षा अभियान (पूँजीगत) (5330)	0.00	0.00	64837.27#	62116.28	33500.00	0.00
3	सर्व शिक्षा अभियान (राजस्व) (8810)	304524.00	288444.13	समग्र शिक्षा अभियान (5330) में समाहित			
4	सर्व शिक्षा अभियान (पूँजीगत) (8810)	30529.96	12666.78	समग्र शिक्षा अभियान (5330) में समाहित			
5	साक्षर भारत (6011)	700.00	0.00	691.10	691.07	योजना बंद हो चुकी है	
6	स्टार्स परियोजना (राजस्व) (9675)	वर्ष 2020-21 से प्रारंभ				0.01	0.00
7	पढ़ना लिखना अभियान (7657)	वर्ष 2020-21 से प्रारंभ				741.00	0.00
	योग (अ)	335753.96	301110.92	489763.83	466404.79	400041.01	169013.33
*(लगभग 34 विद्यालय 2020-21 में शुरू हुए)							

* (व्यय 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में)

(समग्र शिक्षा अभियान पूँजीगत मद में रु. 17700.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो बजट आवंटन में सम्मिलित है)

(ब)-राज्य बजट से संचालित कार्यक्रम/योजनाएं							
1	निःशुल्क गणवेश (6716)	5600.00	5600.00	5976.90	3347.06	0.00	0.00
2	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रदाय (2267)	1100.00	660.00	981.15	549.44	629.00	0.00
3	सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना (5776)	418.00	125.40	425.00	297.50	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	
4	आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (6484)	31000.00	17670.00	30011.20	11351.00	27300.00	5400.00

5	छात्रावास भवन निर्माण (8799)	1750.05	0.00	0.03	0.00	छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (5658) में समाहित	
6	विद्यालय भवन निर्माण (7728)	0.01	0.00	800.00	560.00	छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (5658) में समाहित	
7	शिक्षक योग्यता (One-Step-up) (7472)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8	कक्षा 6-8 तक के छात्रों हेतु छात्रावास सहित उत्कृष्ट विद्यालय (7618)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
9	वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन (1233)	0.01	0.00	0.01	0.00	60.00	0.00
10	प्राथमिक स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु निधि (7478)	700.00	378.00	556.10	200.20	1.00	0.00
11	शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (7479)	1500.00	450.00	1505.00	1053.50	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	
12	एकेडेशन ऑफ स्कूल (7485)	262.50	70.88	209.14	46.00	0.01	0.00
13	ई-गवर्नेन्स (6735)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
14	शालाओं में शौचालय निर्माण/जीर्णोद्धार (7592)	0.01	0.00	0.01	0.00	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	
15	शालाओं में अकादमिक मूल्यांकन (7616)	55.00	29.70	600.00	336.00	100.00	0.00
16	राजाराम माहन राय लायब्ररी (2071)	80.00	0.00	80.00	2.00	80.00	0.00
17	छात्रावास में चौकीदार कक्ष का निर्माण (7733)	976.00	263.52	1200.00	720.00	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	
18	Intervention of CWSN (7734)	400.00	108.00	150.00	60.00	0.01	0.00
19	ड्रिंकिंग वाटर (2067)	2000.00	1000.00	800.00	560.00	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	

20	इलेक्ट्रिकेशन ऑफ स्कूल (2068)	3000.00	0.00	0.00	0.00	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	
21	इलेक्ट्रिकेशन ऑफ स्कूल (पूजीगत) (2068)	3000.00	0.00	0.00	0.00	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068) में समाहित	
22	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068)	0.00	0.00	4200.00	1275.00	4000.00	0.00
23	स्कारुट एवं गाईड की गतिविधियाँ (0729)	133.00	95.76	121.85	81.88	135.00	0.00
24	माध्यमिक शालाओं में फनीचर (0730)	545.80	0.00	1000.00	318.60	110.00	0.00
25	शोध एवं मूल्यांकन (0739)	50.00	47.00	290.00	180.00	150.00	73.79
26	छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (5658)	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
योग (ब)		52570.40	26498.26	48906.42	20938.19	33565.04	5473.79
योग (अ+ब)		388324.35	327609.17	538670.25	487342.98	433606.05	174487.12

*(व्यय 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में)

नोट- वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान में रु.65800.00 लाख, पढ़ना लिखना योजना में रु. 741.00 लाख एवं आर.टी.ई. के तहत अशा. विद्यालयों को द्यूशन फीस प्रतिपूर्ति में रु. 12300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित है।

(स) बजट म0प्र0 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय*
1	1502 - डाइट्स	8696.53	7077.23	7738.37	7070.45	8453.15	5064.48
2	5788 - पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान - जबलपुर	118.93	97.25	126.20	101.06	111.17	76.95
3	3668 - राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान - जबलपुर	362.37	332.51	414.07	357.42	401.10	230.5
4	3694 - राज्य शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा भोपाल (P/ NP)	1504.82	1266.00	1544.43	1325.73	1471.29	926.9
5	67 - आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान - भोपाल (P/ NP)	132.32	117.85	159.08	126.10	143.42	88.78

(आंकड़े लाख में)

6	4402 - सरकारी शिक्षा महाविद्यालय (P/ NP)	2353.94	1832.09	2026.44	1949.56	2165.80	1505.58
7	5481 - बृहद निर्माण कार्य	1500.00	260.70	1000.00	251.06	500.00	233.48
8	7617 - पीएसएम परिसर, जबलपुर	50.00	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
9	7471 - शाला भवन एवं छात्रावास संधारण पर व्यय	0.08	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
	योग (स)	14718.99	10983.63	13100.45	11181.38	13245.93	8126.75
	महायोग (अ+ब+स)	403043.34	338592.80	551770.70	498524.36	446851.98	182613.87

*(व्यय 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में)

2.2.3 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

स्कीम कोड	स्कीम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय (31 दिसम्बर 2020)
3755	वरिष्ठ संभाग	4507.96	3942.10	5230.37	4395.88	4745.84	2794.04
2081	एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु	210.00	00	146.20	00	146.20	-
	योग	4717.96	3942.10	5376.57	4395.88	4892.04	2794.04

भाग - तीन

- 3.1 राज्य योजनाएं
- 3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं
- 3.3 अन्य योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएँ

3.1.1 लोक शिक्षण संचालनालय के तहत प्रमुख राज्य योजनाएँ

3.1.1.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना म.प्र. शासन की एक महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत समस्त वर्ग के शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

शिक्षण सत्र 2020-21 हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण मद में राज्य शासन द्वारा राशि रुपये 102.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, योजना अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत समस्त वर्गों के कुल 23,03,390 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाकर लाभान्वित किया गया है।

3.1.1.2 सुपर 100 योजना

सुपर-100 योजना अन्तर्गत प्रदेश के शासकीय स्कूलों के म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल/शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर में अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा इंजीनियरिंग/मेडीकल/सी.ए. फाउण्डेशन आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग प्रदाय की जाने की योजना है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण शासन निर्देश अनुसार चयन परीक्षा नहीं कराते हुए मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं की राज्य स्तरीय मेरिट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन सुपर-100 योजना अंतर्गत किया गया।

शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर में वर्ष 2020-21 में कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में 51, गणित संकाय में 51, एवं जीव विज्ञान संकाय में 51, विद्यार्थियों एवं कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में 50, गणित संकाय में 51, एवं जीव विज्ञान संकाय के 50 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल में वर्ष 2020-21 में प्रवेश से चयनित छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में 51, गणित संकाय में 51, एवं जीव विज्ञान संकाय में 51, विद्यार्थियों एवं कक्षा 12वीं में गणित संकाय में 51 जीव विज्ञान संकाय में 50 एवं वाणिज्य संकाय में 51 विद्यार्थी प्रवेशित होकर अध्ययन कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2020-21 में योजना अंतर्गत 609 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020 में आयोजित जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 64, जे.ई.ई. एडवांस परीक्षा में 21 तथा नीट परीक्षा में 93 विद्यार्थी सफल रहे। वर्ष 2020 की सी.ए. फाउण्डेशन की परीक्षा होनी शेष है।

3.1.1.3 प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना



स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत 2019-20 की माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र की हायर सेकेण्ड्री कक्षा 12वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले सभी वर्ग के 40537 विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी रुपये 25000/- की राशि का प्रदाय किया जाकर राशि रु.101,34,25,000 (रुपये एक सौ एक करोड़ चौतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) का व्यय किया गया। वर्ष 2020-21 में योजना अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

3.1.1.4 निःशुल्क साइकिल वितरण योजना

निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत है, तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय हाईस्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उस निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना लाभ छात्र को कक्षा 9 वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा अर्थात् कक्षा 9 वीं में पुनः प्रवेश पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मजरे / टोले जिनकी दूरी विद्यालय 2 कि.मी. या इससे अधिक है, तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्रों को भी साइकिल जावेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएँ जिनकी शाला छात्रावास से 2 कि.मी या अधिक दूरी पर है, को भी साइकिल प्रदाय की जावेगी। ये साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जायेगी और छात्रावास में रहने वाली बालिकाएँ इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय

साइकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा। कक्षा 9 वीं के विद्यार्थी को 20 इंच की साइकिल प्रदान की जाती है।

निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित है। वर्ष 2016-17 से पूर्व पात्र बच्चों को साइकिल क्रय हेतु राशि रु. 2400/- प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से लघु उद्योग निगम के माध्यम से साइकिल क्रय कर प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2019-20 में कक्षा 9वीं के लगभग 3.81 लाख छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अन्तर्गत साइकिल वितरण के संबंध में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्थगित रखी जायें " के निर्देश दिये गये थे।

योजना के तहत विगत 3 वर्ष में निःशुल्क साइकिल योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं के लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या (लाख में)
1	2017-18	4.50
2	2018-19	4.21
3	2019-20	3.81

3.1.1.5 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

भारत शासन की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना प्रदेश में वर्ष 2011-12 में की गई थी। इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किये जाने की योजना है। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा सहायता बंद करने के कारण अब यह योजना राज्य योजना के रूप में संचालित है। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित की गई हैं। मॉडल स्कूल हेतु मॉडल स्कूल में कक्षा 9 वीं में प्रवेश, चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में मॉडल स्कूलों में 51869 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह मॉडल स्कूल शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। वर्ष 2020-21 से इन मॉडल स्कूलों में कक्षा 6वीं को आरंभ किया गया है। जिससे प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से लेकर 12 वी तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्राप्त होगी।

वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 197 स्थानों पर स्वयं के मॉडल स्कूल भवन निर्मित हो चुके है। शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन स्कूलों के संचालन हेतु विद्यार्थी संख्या के मान से स्कूल ग्रांट दिया जाता है।

3.1.1.6 उत्कृष्ट स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

शासकीय स्कूलों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थापित एक

शासकीय उ.मा.विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में 43 जिला मुख्यालयों पर एवं 193 विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 41280 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1,51,961 विद्यार्थी लाभांविता हुए हैं।



उक्त जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन की योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत 41 उत्कृष्ट विद्यालयों में 100 सीटर बालक तथा 100 सीटर बालिका छात्रावास स्वीकृत हैं। छात्रावासों स्वयं के भवन निर्माणाधीन होने से अभी इन छात्रावासों का संचालन 50 सीटर क्षमता के साथ किया जा रहा है।

3.1.1.7 बालिका छात्रावास (200 सीटर बालिका छात्रावास भवन निर्माण एवं संचालन)

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 200 सीटर 6 स्थानों पर (हरसूद जिला खंडवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, शहडोल और उज्जैन) बालिका छात्रावास भवन निर्माण हेतु प्रति भवन राशि रुपये 579.00 लाख के मान से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 04 स्थानों पर छात्रावास संचालन प्रारंभ हो गया है। जिसमें 330 बालिकायें लाभांविता हो रही हैं। 05 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

3.1.1.8 हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय निर्माण

वर्ष 2016-17 के पूर्व स्वीकृत हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2017-18 से 622 हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 285 स्कूल पूर्ण हो चुके हैं तथा 323 स्कूलों का कार्य प्रगतिरत है।

3.1.1.9 हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय विद्युतीकरण

प्रदेश के 1736 हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल विद्युत विहीन थे, इस हेतु म.प्र. विद्युत मंडल को आवश्यक राशि प्रदान कर सभी स्कूलों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। नवीन निर्मित स्कूलों में आवश्यकता अनुसार विद्युतीकरण की कार्यवाही जारी है।

3.1.1.10 दिव्यांग छात्रावास की स्थापना एवं संचालन

संभागीय मुख्यालयों पर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संभाग 50 सीटर बालक एवं 50 सीटर बालिका दिव्यांग छात्रावास के निर्माण हेतु (कुल 100 सीटर) लागत राशि रुपये 346.00 लाख प्रति ईकाई निर्माण हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका निर्माण संभागीय मुख्यालय पर

स्थित ऐसे स्कूलों में किया जायेगा जहां सह शिक्षा उपलब्ध है। वर्तमान में ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं तक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावास में रह कर 8वीं पास करते हैं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु, उन्हें राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावास में व्यवस्था की गई है। 04 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, शेष में शीघ्र कार्यारंभ संभावित है।

3.1.1.11 शास0 उत्कृष्ट उ0मा0विद्यालयों मे मल्टीपरपज हॉल के निर्माण

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत 17 शास0 उत्कृष्ट उ0मा0विद्यालयों मे मल्टीपरपज हॉल के निर्माण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड प्रति हॉल की दर से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 01 (एक) स्थान पर कार्य पूर्ण है। शेष स्थानों पर प्रगति पर है।

3.1.1.12 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन

सैनिक स्कूल, रीवा की स्थापना वर्ष 1962 में प्रदेश के छात्रों को सेना के लिए तैयार करने के लिए की गई थी। सैनिक स्कूल रीवा, म.प्र. में 541 छात्र अध्ययन करते हैं। जिसमें प्रदेश के छात्रों को एन.डी.ए. के लिए तैयार किया जाता है। सैनिक स्कूल, रीवा के संचालन हेतु कर्नल रैंक के अधिकारी को प्राचार्य का दर्जा दिया जाता है। शेष शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारी स्थानीय समिति के द्वारा चयनित किये जाते हैं।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 में देश एवं प्रदेश की बालिकाओं के बहुआयामी विकास एवं सेना की तैयारी हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2020-21 में प्रावधानित राशि रु. 1,52,72,200/- (एक करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार दौ सौ रुपये मात्र) में से राशि रु.1,04,38,960 /- (एक करोड़ चार लाख अड़तीस हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र) का व्यय पोषण एवं अनुरक्षण के लिये व्यय की गई है। "

3.1.1.13 समेकित छात्रवृत्ति योजना (समग्र शिक्षा पोर्टल)

मध्यप्रदेश विधानसभा के संकल्प क्र. 37 में लिए गए निर्णय अनुसार 6 विभागों की 27 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वितरित कराने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामांकित किया गया। समेकित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2013-14 से संचालित है। इसके तहत प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत 1.48 करोड विद्यार्थियों प्रोफाईल ऑनलाइन लिया जाकर उसके आधार पर छात्रवृत्ति की गणना कर वितरित कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होकर सम्पूर्ण देश में अपने तरह का पहला प्रयास था।

योजना अन्तर्गत प्रत्येक स्कूली विद्यार्थी का समग्र यूनिक ID के आधार पर उसके स्कूल के DISE Code के साथ मैपिंग कर, कक्षा वार, स्कूल वार नामांकन ऑनलाइन लिए जाने का सिस्टम " शिक्षा पोर्टल" NIC के माध्यम से तैयार कराया गया। प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल यथा (जाति, माता पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, BPL स्टेटस, छात्रावासी स्टेटस, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम आदि जानकारी) जो कि छात्रवृत्ति की गणना करने के लिए आवश्यक होते हैं) ऑनलाइन लिया जाता है। जिसके आधार पर सिस्टम द्वारा छात्रवृत्ति की गणना की जाकर स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति स्वीकृत कर छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भुगतान की जाती है।

समग्र छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-2021 का बजटीय विवरण परिशिष्ट 1 पर अंकित है। वर्ष 2019-20 में लगभग 78 लाख विद्यार्थियों को लगभग 676 करोड की छात्रवृत्ति का वितरण सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में किया गया। शेष वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है।

वर्ष 2020-21 में शिक्षा पोर्टल पर 1.34 करोड विद्यार्थियों का नामांकन किया जा चुका है।



समग्र छात्रवृत्ति योजना जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का बजटीय विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
			प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय *
1	आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.	सामान्य निर्धन वर्ग एवं अन्य छात्रवृत्ति एवं सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8) (1.1 To 1.7)	1324.48	1069.831	2223.00	1488.16	2067.00	156.09
2		ईकलौती बेटा को "शिक्षा" विकास छात्रवृत्ति (1.8)	80.00	1.90	100.00	48.20	100.00	64.55
3	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग म.प्र.।	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए) (2.1)	2200.00	2199.72	3233.00	3232.97	2310.00	2310.00
4		राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 (2.1.1)						
5		प्री मेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) (2.2, 2.1.2)	13000.00	11193.77	16432.00	12656.88	11998.00	341.43
6		पोस्ट मेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12) (2.3)	7400.00	4631.15	7060.00	7059.65	6000.00	243.07
7		सफाई एवं जोखिमपूर्ण कार्य छात्रवृत्ति (अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति) (कक्षा 01 से 10 तक) (2.5)	640.00	639.93	940.80	940.80	672.00	672.00
8		अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11 वी) (2.6)	1300.00	1299.97	1400.00	1400.00	1400.00	403.33
9	आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहारिया) के बालकों के लिए (3.1, 3.1.1)	4915.2	4814.02	4634.00	4634.00	4400.00	3591.31
10		राज्य शासन अनु.जनताति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक)			7066.00	4687.15	983.42	50.31

		(3.1.1 To 3.1.2)						
11		प्री मेट्रिक अ.ज.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) (3.2)	7000.00	6999.93	7700.00	7700.00	10000.00	567.09
12		पोस्ट मेट्रिक अनु.जनजाति छात्रवृत्ति (3.3)	3000.00	3000.00	6575.00	5900.00	2834.52	686.61
13		अ.ज.जा. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं) (3.5)	1125.00	1124.97	1125.00	1125.00	0.00	0.00
14	संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग म.प्र.।	राज्य छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) (4.1)	70.00	47.76	65.00	42.92	35.95	0.00
15		राज्य छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर (कक्षा 06 से 10 तक) (4.1.1)	120.00	110.2	120.00	120.00	110.33	50.97
16		पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (4.2)	60.00	60.00	106.00	106.00	83.88	0.00
17		कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कक्षा 11 वी (4.4)	16.00	16.00	34.07	27.06	19.05	1.35
18	आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक	राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक) (5.1)	16627.34	16625.47	19000.00	19000.00	17000.00	9600.93
19		पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं व 12वीं तक)(5.2)						
20	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र.।	निःशक्त जन छात्रवृत्ति (8.1)	371.11	173.75	265.08	218.66	200.50	14.32
महायोग:-			59249.13	54008.37	78079.00	70387.44	60214.65	18753.36

3.1.1.14 आवासीय खेलकूद संचालन

विभाग द्वारा जिला शिवपुरी में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं जिला सीहोर में शासकीय आवासीय विद्यालय संचालित है। उक्त संस्थाएँ निम्नानुसार संचालित है :-

- शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय (शिवपुरी) में शिक्षा विभाग के शिक्षक/अध्यापक/पी.टी. आई. संवर्ग को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के उपरांत चयनित किया जाता है। शिवपुरी में डी. पी.एड. (डिप्लोमा इन फिजिकल एज्युकेशन) दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है। कुल 55 सीट निर्धारित है जिसमें 28 सीटें विभागीय एवं 27 सीटें विभागेत्तर अभ्यर्थियों के लिए आवधानित है।
- शासकीय आवासीय विद्यालय सीहोर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए कुल 200 सीट निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्रों को चयन किया जाता है। छात्र विद्यालय में 04 वर्ष अध्ययनरत रहकर अपनी रुचि अनुसार खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

शासकीय आवासीय विद्यालय, सीहोर में अध्ययनरत छात्रों की विगत चार वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	वर्ष	सीटों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2017-18	200	115
2	2018-19	200	108
3	2019-20	200	118
4	2020-21	200	160

3.1.1.15 खेलकूद

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में म.प्र. के खिलाड़ियों की सहभागिता

वर्ष 2018-19 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस.जी.एफ.आई. द्वारा फुटबाल का आयोजन इंडोनेशिया में आयोजित कराया गया जिसमें प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है, जो म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं वर्ष 2020-21

वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण प्रभावशील होने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में किसी भी खेलकूद गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया।

राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2020-21

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2020-21 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण प्रभावशील होने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी भी खेलकूद गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया। वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ संपन्न हो चुकी हैं के अनुसार पदक तालिका निम्नानुसार है:-

स. क्र.	वर्ष	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	कुल योग	पदक तालिका में स्थान
1	2016-17	78	71	114	263	चौथा
2	2017-18	103	100	134	337	चौथा

3	2018-19	166	104	137	407	तृतीय
4	2019-20	183	111	129	423	तृतीय
5	2020-21	कोविड-19 संक्रमण के कारण खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ।				

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 2020-21

वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण प्रभावशील होने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में किसी भी खेलकूद गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया।

फिट इंडिया मूवमेंट अन्तर्गत संचालित विभागीय खेलकूद गतिविधियां

- फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत फिजीकल एजुकेशन फाउण्डेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 02.11.2020 तक आयोजित ऑनलाइन ट्रेनिंग में म.प्र. के शिक्षक संवर्ग के व्यायाम शिक्षक, जिला कीड़ा अधिकारियों ने सहभागिता की।
- फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत- फिटनेस का डोज-आधा घंटा रोज प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में संचालित किया गया जिसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ/शिक्षकगण/अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक खेल गतिविधियों में सहभागिता की जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- फिट इंडिया स्कूल वीक।
- 2- फिट इंडिया प्रभात फेरी।
- 3- फिट इंडिया सायक्लोथोन।
- 4- देश की मिट्टी देश के खेल संबंधी वेबिनार।

- खेल मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में पहली बार ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े समस्त लोक सेवकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- संचालनालय स्तर पर 26 जनवरी के अवसर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का मैत्री मैच आयोजित किया गया।

शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर एवं तात्या टोपे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी में सत्र 2020-21 में कोरोना संक्रमण के परिणामस्वरूप सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की गई।

3.1.1.16 ग्रंथालय

विभाग में प्रदेश के पाँच केन्द्रीय पुस्तकालय हैं। शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल, शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा एवं छत्तीस जिलों में जिला पुस्तकालय संचालित हैं -

भोपाल	सीहोर	रायसेन	राजगढ़	विदिशा	जबलपुर
नरसिंहपुर	छिन्दवाड़ा	सिवनी	मंडला	बालाघाट	धार
झाबुआ	खरगौन	खण्डवा	सीधी	सतना	सतना(नागौद)
ग्वालियर	भिण्ड	मुरैना	गुना	दतिया	शिवपुरी
उज्जैन	शाजापुर	रतलाम	देवास	सागर	दमो
पन्ना	छत्तरपुर	टीकमगढ़	बैतूल	होशंगाबाद	शहडो

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अधिग्रहित स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी (पूर्व में ब्रिटिश) भोपाल को संचालित किया जाता है।

शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल— मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल में इस वर्ष विद्यार्थी सदस्यों की माँग के आधार पर पुस्तकालय में एक लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदी गई। जिससे वे आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके साथ ही वरिष्ठ सदस्यों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा की बहुचर्चित पुस्तकें खरीदी गई हैं। संचालनालय से आवंटित बजट से पुरुषों एवं महिलाओं के लिये अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण करवाया गया। पुस्तकालय से लगे खेल मैदान की ऐतिहासिक छतरी के पुनर्निर्माण के साथ ही सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल की टूटी दीवार को ठीक करवाया गया, पेवर ब्लॉक लगवाकर पहुँच मार्ग को भी ठीक करवाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सेनिटाइजर छिड़काव व सफाई कर पुस्तकों को पुनः नए रूप में व्यवस्थित किया गया। ओपन सेमिनार की श्रृंखला में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से विद्यार्थी सदस्यों ने एमपीपीएससी, यूपीएससी, समय प्रबंधन आदि में मार्गदर्शन के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के उपयोगी सुझाव प्राप्त किये गये।

शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर— केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालय की विकास योजना के अंतर्गत उन्नयन हेतु रुपये—87.00 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। जिसमें रुपये—50.00 लाख से भवन मरम्मत, ई—लेब, रीडिंग रूम के रिनोवेशन का कार्य किया गया। पुस्तकालय परिसर में नवगृह, नक्षत्र गार्डन तथा वातानुकूलित सभागृह, कलाविधिका प्रदर्शनी हॉल उपलब्ध है। जिसका उपयोग इन्दौर शहर के नागरिकगण, सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों के लिये करते हैं एवं स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित बैठकों व अन्य कार्यक्रमों के लिये सभागृह निःशुल्क उपलब्ध है।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर— केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर को ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत—भवन आगन्तुक कक्ष, सीनियर सिटीजन कक्ष, गेम जोन, बच्चों की मूवीज हेतु बाल थियेटर, इवेंट हेतु हॉल, हॉबी सेन्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, कॉम्पिटिशन कार्नर एवं रिसर्च सेन्टर तैयार कर पुस्तकालय संचालन की गतिविधियाँ कम्प्यूटराईज्ड करने की कार्यवाही प्रचलन में है। पुस्तकालय की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों को स्कैनिंग कर डाटाबेस तैयार कर क्लाउड पर सेव किया गया है।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर में निर्धन छात्र—छात्राओं के लिये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु माँग अनुसार पुस्तकें एवं अध्ययन के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से “कॉम्पिटिशन कार्नर” संचालित किया जाता है। पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है जिसे प्रति वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर 25 नवम्बर को शहर के नागरिक उत्साह पूर्वक अवलोकन करने आते हैं।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर— केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, विशेष दिवसों पर गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय विषय विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। संचालनालय से विभिन्न मदों में प्राप्त बजट का पूर्ण उपयोग पुस्तकालय को सुव्यवस्थित करने में किया जाता है। पुस्तकालय हेतु अतिरिक्त हॉल का निर्माण कर वृहदस्वरूप देने के लिये राशि रुपये—42.71 लाख स्वीकृत की गई है।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा— केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा में इस वर्ष पुस्तकालय के कुल 2850 वर्गफिट एरिया में डबल इमलसन कर पुताई, फॉल्स सीलिंग की मरम्मत, बिजली उपकरणों एवं पंखों की रिपेयरिंग, एस.सी. रिपेयरिंग, आर.ओं की मरम्मत, आदि कार्य किये गये हैं। पुस्तकालय भवन को आकर्षित करने हेतु कंप्लीट स्टील वर्क से निर्मित 100 वर्ग फिट का साइन बोर्ड स्थापित किया गया है।

जिला पुस्तकालय भोपाल— हिन्दी भाषा के समृद्ध—संग्रह सहित वर्ष 1958 से संचालित है। वर्तमान में पुस्तकालय न्यू मार्केट में मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग के द्वितीय तल पर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन

3	2018-19	166	104	137	407	तृतीय
4	2019-20	183	111	129	423	तृतीय
5	2020-21	कोविड-19 संक्रमण के कारण खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ।				

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 2020-21

वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण प्रभावशील होने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में किसी भी खेलकूद गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया।

फिट इंडिया मूवमेंट अन्तर्गत संचालित विभागीय खेलकूद गतिविधियां

- फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत फिजीकल एजुकेशन फाउण्डेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 02.11.2020 तक आयोजित ऑनलाइन ट्रेनिंग में म.प्र. के शिक्षक संवर्ग के व्यायाम शिक्षक, जिला क्रीड़ा अधिकारियों ने सहभागिता की।
- फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत- फिटनेस का डोज-आधा घंटा रोज प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में संचालित किया गया जिसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ/शिक्षकगण/अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक खेल गतिविधियों में सहभागिता की जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
 - 1- फिट इंडिया स्कूल वीक।
 - 2- फिट इंडिया प्रभात फेरी।
 - 3- फिट इंडिया सायक्लोथोन।
 - 4- देश की मिट्टी देश के खेल संबंधी वेबिनार।
- खेल मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में पहली बार ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े समस्त लोक सेवकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- संचालनालय स्तर पर 26 जनवरी के अवसर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का मैत्री मैच आयोजित किया गया।

शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर एवं तात्या टोपे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी में सत्र 2020-21 में कोरोना संक्रमण के परिणामस्वरूप सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की गई।

3.1.1.16 ग्रंथालय

विभाग में प्रदेश के पाँच केन्द्रीय पुस्तकालय हैं। शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल, शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा एवं छत्तीस जिलों में जिला पुस्तकालय संचालित हैं-

भोपाल	सीहोर	रायसेन	राजगढ़	विदिशा	जबलपुर
नरसिंहपुर	छिन्दवाडा	सिवनी	मंडला	बालाघाट	धार
झाबुआ	खरगौन	खण्डवा	सीधी	सतना	सतना(नागौद)
ग्वालियर	भिण्ड	मुरैना	गुना	दतिया	शिवपुरी
उज्जैन	शाजापुर	रतलाम	देवास	सागर	दमोह
पन्ना	छत्तरपुर	टीकमगढ़	बैतूल	होशंगाबाद	शहडोल

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अधिग्रहित स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी (पूर्व में ब्रिटिश लाइब्रेरी) भोपाल को संचालित किया जाता है।

शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल— मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल में इस वर्ष विद्यार्थी सदस्यों की मांग के आधार पर पुस्तकालय में एक लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदी गईं। जिससे वे आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके साथ ही वरिष्ठ सदस्यों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा की बहुचर्चित पुस्तकें खरीदी गई हैं। संचालनालय से आवंटित बजट से पुरुषों एवं महिलाओं के लिये अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण करवाया गया। पुस्तकालय से लगे खेल मैदान की ऐतिहासिक छतरी के पुनर्निर्माण के साथ ही सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल की टूटी दीवार को ठीक करवाया गया, पेवर ब्लॉक लगवाकर पहुँच मार्ग को भी ठीक करवाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सेनिटाइजर छिड़काव व सफाई कर पुस्तकों को पुनः नए रूप में व्यवस्थित किया गया। ओपन सेमिनार की श्रृंखला में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से विद्यार्थी सदस्यों ने एमपीपीएससी, यूपीएससी, समय प्रबंधन आदि में मार्गदर्शन के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के उपयोगी सुझाव प्राप्त किये गये।

शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर— केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालय की विकास योजना के अंतर्गत उन्नयन हेतु रुपये—87.00 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। जिसमें रुपये—50.00 लाख से भवन मरम्मत, ई—लेब, रीडिंग रूम के रिनोवेशन का कार्य किया गया। पुस्तकालय परिसर में नवगृह, नक्षत्र गार्डन तथा वातानुकूलित सभागृह, कलाविधिका प्रदर्शनी हॉल उपलब्ध है। जिसका उपयोग इन्दौर शहर के नागरिकगण, सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों के लिये करते हैं एवं स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित बैठकों व अन्य कार्यक्रमों के लिये सभागृह निःशुल्क उपलब्ध है।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर— केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर को ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत—भव्य आगन्तुक कक्ष, सीनियर सिटीजन कक्ष, गेम जोन, बच्चों की मूवीज हेतु बाल थियेटर, इवेन्ट हेतु हॉल, हॉबी सेन्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, कॉम्पिटिशन कार्नर एवं रिसर्च सेन्टर तैयार कर पुस्तकालय संचालन की गतिविधियाँ कम्प्यूटराईज्ड करने की कार्यवाही प्रचलन में है। पुस्तकालय की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों को स्कैनिंग कर डाटाबेस तैयार कर क्लाउड पर सेव किया गया है।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर में निर्धन छात्र—छात्राओं के लिये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मांग अनुसार पुस्तकें एवं अध्ययन के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से “कॉम्पिटिशन कार्नर” संचालित किया जाता है। पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है जिसे प्रति वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर 25 नवम्बर को शहर के नागरिक उत्साह पूर्वक अवलोकन करने आते हैं।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर— केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, विशेष दिवसों पर गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय विषय विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। संचालनालय से विभिन्न मदों में प्राप्त बजट का पूर्ण उपयोग पुस्तकालय को सुव्यवस्थित करने में किया जाता है। पुस्तकालय हेतु अतिरिक्त हॉल का निर्माण कर वृहदस्वरूप देने के लिये राशि रुपये—42.71 लाख स्वीकृत की गई है।

शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा— केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा में इस वर्ष पुस्तकालय के कुल 2850 वर्गफिट एरिया में डबल इमलसन कर पुताई, फॉल्स सीलिंग की मरम्मत, बिजली उपकरणों एवं पंखों की रिपेयरिंग, एस.सी. रिपेयरिंग, आर.ओं की मरम्मत, आदि कार्य किये गये हैं। पुस्तकालय भवन को आकर्षित करने हेतु कंप्लीट स्टील वर्क से निर्मित 100 वर्ग फिट का साइन बोर्ड स्थापित किया गया है।

जिला पुस्तकालय भोपाल— हिन्दी भाषा के समृद्ध—संग्रह सहित वर्ष 1958 से संचालित है। वर्तमान में पुस्तकालय न्यू मार्केट में मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग के द्वितीय तल पर स्मार्ट सिटी डव्लेपमेंट कॉर्पोरेशन

लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये 4000 वर्ग फिट भवन में संचालित किया जा रहा है। उक्त भवन में लगभग 60 हजार पुस्तकों के संग्रह हेतु पर्याप्त स्थान है एवं 50-60 पाठकों/छात्रों के अध्ययन/प्रतियोगिता/व्याख्यान/सेमिनार हेतु स्थान उपलब्ध है।

जिला पुस्तकालय सीहोर की स्थापना दिनांक-21.05.1956 को की गई थी। जिला पुस्तकालय में राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता द्वारा प्रदत्त कहानियों, कविता, योग, उपन्यास, विज्ञान, नाटक, महिला सशक्तिकरण आदि की कुल 19512 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें हिन्दी की 31010 एवं अंग्रेजी की 6502 पुस्तकें पाठकों के उपयोग हेतु उपलब्ध हैं। सीहोर जिले के पुस्तकालय में पठन उपरान्त कई विद्यार्थियों का चयन पुलिस विभाग, बैंकिंग, पटवारी, आर्मी आदि में हुआ है। संचालनालय द्वारा समय-समय पर आवंटित बजट से पुस्तकालय हित के कार्य किये जाते हैं।

जिला पुस्तकालय रायसेन में जनभागीदारी योजनान्तर्गत जनसहयोग से 75 आलमारियों(रैक) प्राप्त हुई हैं। जिसमें पुस्तकों का विधिवत् रख रखाव किया जा रहा है।

जिला पुस्तकालय राजगढ़ में संचालनालय द्वारा जारी बजट से पुस्तकों को रखने के लिये बुक शेल्फ्स कय किये गये हैं। पुस्तकालय भवन की फर्श मरम्मत, भवन में बिजली फिटिंग कार्य एवं पुताई कार्य किया गया।

जिला पुस्तकालय जबलपुर में पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनवर्टर की व्यवस्था की गई।

जिला पुस्तकालय छिन्दवाड़ा में सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। पुस्तकालय हेतु एक अतिरिक्त हॉल का निर्माण भी किया गया है। पुस्तकालय की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं।

जिला पुस्तकालय सिवनी एवं नगर पालिका सिवनी पुस्तकालय नवीन भवन में संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है। जिला पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर लगभग 21032 पुस्तकों का संग्रह है।

जिला पुस्तकालय मण्डला में संचालनालय से प्राप्त बजट से पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया गया। उक्त बजट से प्रथम तल पर निर्मित मंजिल पर प्रशासन के सहयोग से प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निःशुल्क एकलव्य कोचिंग क्लासेस संचालित की जाती हैं।

जिला पुस्तकालय बालाघाट में पाठकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नगर पालिका द्वारा पुस्तकालय भवन में सुधार कार्य करवाया गया।

जिला पुस्तकालय धार में प्रति दिवस निःशुल्क पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों को पढ़ने हेतु सुबह-शाम लगभग 60-70 पाठक आते हैं। जिसमें स्कूली छात्र-छात्राएँ भी सम्मिलित हैं। वाचनालय में पाठकों के बैठने के लिये पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है।

जिला पुस्तकालय खण्डवा पूर्व निमाड खण्डवा के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के अंतर्गत शासकीय भवन में संचालित है। वर्तमान में शासन द्वारा इस पुराने भवन के अतिरिक्त ई-लाइब्रेरी के नये भवन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया जा चुका है। नये भवन हेतु पुस्तकालय उपयोगी आधुनिक उपकरण कय किये गये हैं। उक्त भवन में कमरा: 06 कमरे एवं एक हॉल का निर्माण हुआ है, इसमें बैठने एवं अध्ययन करने की व्यवस्था भी है साथ ही शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था भी है। इस प्रकार राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन से स्वीकृत 73.20 लाख में से 50.00 लाख भवन हेतु एवं 23.20 लाख अन्य सामग्री-कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, सर्वर, फर्नीचर, इत्यादि पर व्यय किये गये। पुस्तकालय में सदस्य संख्या वर्तमान में 1400 है एवं पुस्तकों की संख्या 16050 है जिसमें उपन्यास, कहानी, साहित्य, नाटक, काव्य, उर्दू, अंग्रेजी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

जिला पुस्तकालय सीधी में इस वर्ष पुस्तकालय हेतु विद्यार्थियों/पाठकों की माँग के अनुसार 222 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु पुस्तकें कय की गई है।

शासकीय बरमेन्द्र जिला पुस्तकालय, नागौद को समय समय पर मिलने वाले बजट के कारण पुस्तकालय में नई पत्रिकाओं एवं विभिन्न समाचार पत्रों की उपलब्धता से पाठकों का रुझान पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगा है।

जिला पुस्तकालय भिण्ड द्वारा पाठकों एवं छात्र-छात्राओं को उनकी माँग के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, पाठकों एवं छात्र-छात्राओं हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिससे उन्हें ज्ञानार्जन हो सकें। पाठकों की माँग के अनुक्रम में उनकी सुविधा अनुसार ही कार्य किये जाते हैं।

जिला पुस्तकालय मुरैना की स्थापना वर्ष 1980 में हुई। पुस्तकालय में पाठकों हेतु 5 कम्प्यूटर तथा एक प्रिन्टर की व्यवस्था की गई है तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु (गीगा फाइबर इन्टरनेट) कनेक्शन लगवाया गया है। पाठकों हेतु कम्प्यूटर टायपिंग तथा इन्टरनेट सर्फिंग सहित फोटो कॉपी करने की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय में संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी व्याकरण के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक रविवार को विशेष मार्ग दर्शन प्रारंभ किया गया है जिससे जिले में पुस्तकालय की पहचान स्थापित हुई है।

जिला पुस्तकालय उज्जैन की स्थापना वर्ष 1980 में हुई है। वर्तमान में ग्रंथालय में 3052 सदस्य संख्या है। पुस्तकालय में वाचनालय संचालित है, जिस में लगभग 100 सदस्य नियमित पठन पाठन के लिये आते हैं। पुस्तकालय में पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक बारह पत्रिकाएं आती हैं। वर्तमान में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय म.प्र. शासन एवं माननीय विधायक महोदय विधान सभा क्षेत्र दक्षिण के प्रयासों से 3600 स्क्वैफिट भूमि जिला प्रशासन उज्जैन से आवंटित हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग से भवन निर्माण करवाने हेतु अवतिका गैस उज्जैन के सौजन्य से राशि रु. 30.00 लाख रु. प्राप्त हो चुके हैं। भवन निर्माण कार्य जारी है। माननीय डॉ. मोहन यादव विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण द्वारा विधायक निधि से रु. 30.00 लाख आवंटित करने की घोषणा की गई है।

जिला पुस्तकालय शाजापुर में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता से अभी तक निःशुल्क प्राप्त 20597 पुस्तकों को पंजीयन रजिस्टर में दर्ज कर कमबद्ध किया गया है। प्राप्त पुस्तकें अंग्रेजी एवं हिन्दी में उपन्यास, जीवनी, साहित्य पर आधारित होती हैं। इस संस्था में सदस्यों की संख्या 912 है जिन्हें पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

जिला पुस्तकालय देवास टाटा द्वारा निर्मित बाल वाचनालय भवन में संचालित है। जिसमें प्रथम तल पर एक हॉल एवं द्वितीय तल पर एक हॉल है। पुस्तकालय में प्रतिदिन 19 न्यूज पेपर आते हैं। पुस्तकालय में समय समय पर साहित्यकारों द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। पुस्तकालय में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भ्रमण कराकर ज्ञानवर्धक पुस्तकें एवं अन्य जानकारीयें उपलब्ध कराई जाती हैं। शा. हाई/उ.मा.वि/प्रा.वि/मा.वि/के छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय में आने के लिए संस्था प्रधान को पत्र जारी किये जाते हैं ताकि सभी विद्यार्थी पुस्तकालय का लाभ ले सकें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यालय एवं परिसर की निरंतर साफ सफाई की जाती है। पुस्तकालय के लिए संचालनालय स्तर से जारी बजट से टेबल, अलमारी, कम्प्यूटर, कुर्सी, पंखे आदि फर्नीचर कय किये गये हैं एवं रंगाई, पुताई, लाइटिंग आदि कार्य किये गये हैं।

जिला पुस्तकालय सागर की स्थापना सन् 1954 में की गई थी। पुस्तकालय के लगभग 18000 आजीवन सदस्य जो पुस्तकालय नहीं आ रहे थे उनके धर जाकर संपर्क किया गया और फिर से पुस्तकालय

आने के लिये प्रेरित किया गया और बुजुर्ग पाठकों को उनकी मॉग पर घर जाकर उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की विशेष सुविधा दी गई है। पुस्तकालय में प्रतिमाह साहित्यकारों द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।

जिला पुस्तकालय पन्ना में स्टडी सेंटर का सफल संचालन किया जा रहा है। जिसमें छात्र-छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर लाभान्वित हो रहे हैं।

जिला पुस्तकालय टीकमगढ़ द्वारा व्हाट्स एप पर पुस्तकालय सदस्यों और अन्य साहित्य प्रेमी पाठकों का एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी पर आधारित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता को बहुत ही सराहना मिली। इसी प्रकार इस ग्रुप के माध्यम से चित्र प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगियों को जिला पुस्तकालय की ओर से ई-सर्टिफिकेट प्रदान किये गये। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जिला पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची शेयर की गई है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पाठकों को घर पर ही पुस्तकालय से पुस्तकें मंगवाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिला पुस्तकालय द्वारा मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है उक्त चलित पुस्तकालय अभी तक पाँच गाँव जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका है।

जिला पुस्तकालय शहडोल विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाया गया है। संचालनालय से प्राप्त बजट से पुस्तकों की सुरक्षा हेतु जीर्ण-शीर्ण अलमारियों की मरम्मत एवं नवीन अलमारियों को कय किया जाकर पुस्तकालय को सुसज्जित एवं पुस्तकों का रख-रखाव व्यवस्थित किया गया है।

स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी भोपाल द्वारा लाइब्रेरी मेंबर्स के लिए रीडर्स पार्क को विकसित किया जा रहा है। जिससे हिंदी एवं इंग्लिश की दैनिक पत्रिकाएं पाठकों को लाइब्रेरी से उपलब्ध करवाई जाती है। ये पत्रिकाएं केवल सदस्यों के लिए ना होकर आम नागरिकों के लिये भी उपलब्ध रहेगी। इस वर्ष लाइब्रेरी द्वारा 30 ग्रेजुएट्स को "मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट" की टेनिंग दी गयी। वर्तमान में पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकों के साथ ही हिन्दी पुस्तकों को भी शामिल किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण किसी भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक विशेष आयोजन नहीं किये गये हैं तथा वाचनालय कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते पठन पाठन प्रारंभ करने के साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टि से साफ सफाई व्यवस्था, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है।

3.1.1.17 सी.एम. राईज योजना

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदाय करने हेतु सतत रूप से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं भविष्य में उत्कृष्ट नागरिकों के विकास हेतु शिक्षा एवं उपलब्ध ससाधनों को परिणाम मूलक बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश, शासन द्वारा प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 9200 विद्यालयों को सर्व-सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को सी.एम. राईज के नाम से क्रियान्वित किया जाएगा।

सी.एम. राईज स्कूल विकसित करने के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं/12वीं तक के समग्र/एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की ट्रांजीशन दर को बढ़ाना तथा ड्रापआउट दर को कम करना।

- विद्यार्थियों में आधुनिक 21वीं शताब्दी की क्षमताओं / दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों तकनीक से लैस करना।
- बच्चों के समग्र विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक एवं सहित्यिक आदि, पाठ्येत्तर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
- सी.एम. राईज़ स्कूल में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि कर उनका समुचित उपयोग करते हुए पालकों में अशासकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहे आकर्षण को रोकना।
- नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक हिन्दी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित करना।
- छात्राओं के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करना।
- इन स्कूलों के 15 कि.मी. दायरे की बसाहटों में आने वाले बच्चों को इन शालाओं में शिक्षण हेतु लाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3.1.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत प्रमुख राज्य योजनाएं

3.1.2.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

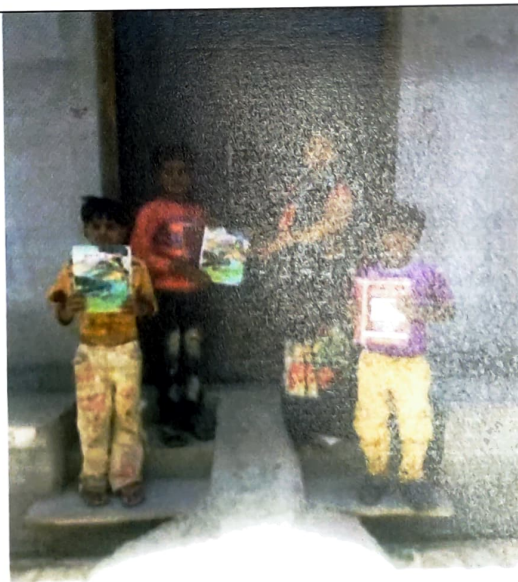
वर्ष 2020-21 में शासकीय प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, म.प्र. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं म.प्र.संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्कृत शालाओं के लगभग 64.37 लाख (प्रावधिक आंकड़े) बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया गया है।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण (लाभावित बच्चे लाख में)	72.52	67.52	66.74

Workbooks distributed door to door



- **Dakshta Unnayan** – Competency enhancement program workbooks distributed
- Door to door contact established with students by several teachers



3.1.2.2 निःशुल्क साईकल वितरण

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत ऐसे बालक-बालिकाएं जो कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 6 में अध्ययन हेतु अन्य गाँव की माध्यमिक शाला में प्रवेश लेते हैं, वे निःशुल्क साईकल वितरण योजनांतर्गत पात्र हितग्राही हैं। वर्ष 2016-17 से साईकल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2017-18 से योजना में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी, जो कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा उसी ग्राम के ऐसे मजरे-टोले में निवासरत हैं, जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 2 कि.मी. की अधिक दूरी पर हैं, को सम्मिलित किया गया है, एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित कन्या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिनकी माध्यमिक/हाईस्कूल शाला 2 कि.मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, को सम्मिलित किया गया है। सत्र 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालयों का नियमित संचालन न होने से छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साईकल वितरण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
निःशुल्क साईकल वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	1.95	1.80	1.83

3.1.2.3 सामान्य निर्धन वर्ग के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण

शासकीय शालाओं में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवार, जिनकी आय रु. 1,00,000/- वार्षिक से कम है, के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदाय योजना वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गयी है। इसके अनुसार बालिकाओं को रु. 300/- वार्षिक तथा बालकों को रु. 200/- वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

3.1.2.4 निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के दर्ज बालक/बालिकाओं में से सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर के बालक/बालिका को निःशुल्क गणवेश हेतु राज्य योजना से राशि दी जा रही है। सत्र 2019-20 में शासकीय शालाओं में कुल नामांकन 64,95,263 के आधार पर सत्र 2020-21 में 55,08,423 छात्रों के लिये गणवेश की राशि 600/- प्रति छात्र की दर से कुल राशि रुपये 3,30,50,53,800 का प्रावधान समग्र शिक्षा अभियान में किया गया है। शेष 9,86,840 छात्रों को दो जोड़ी गणवेश के लिए 600/- प्रति छात्र की दर से कुल राशि रुपये 5,92,10,400 का प्रावधान राज्य योजना मद से किया जाना है। शासन के निर्णय अनुसार सत्र 2020-21 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं महिला वित्त एवं विकास विभाग के अंतर्गत क्रियाशील स्वसहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय हेतु निर्णय लिया गया है। जिन जिलों में स्वसहायता समूह क्षमता अनुरूप नहीं होंगे वहा गणवेश की राशि छात्र/छात्राओं को शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से पालकों/ छात्र/छात्राओं के खातों में सीधे जमा की जायेगी।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
निःशुल्क गणवेश वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	67.42	66.52	64.95

3.1.2.5 मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् स्थापना

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की संस्थापना 04 नवंबर सन् 1982 में

की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय निकाय-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई थी। इसके अन्तर्गत समस्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

उद्देश्य

प्रदेश में एस.सी.ई.आर.टी. के गठन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं -

- 1 राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, शोध हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वित कराना।
- 2 औपचारिक एवं गैर औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें विकसित करना।
- 3 शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- 4 शिक्षा में उचित मूल्यांकन की तकनीक और प्रक्रिया का विकास करना।
- 5 शिक्षकों की विषयगत आवश्यकताओं का आंकलन कर सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 6 भावी शिक्षक तैयार करने हेतु सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 7 प्रारंभिक शिक्षा में लोकव्यापीकरण तथा गुणात्मक सुधार का कार्य करना।
- 8 शैक्षिक समस्याओं को हल करने में परस्पर समन्वय एवं निदानात्मक प्रक्रिया विकसित करना।
- 9 प्रदेश में प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- 10 सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना एवं उन्हें उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना।
- 11 सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रम आयोजित कराना।
- 12 शैक्षिक प्रक्रिया/प्रविधियों/तकनीकी विकास हेतु नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- 13 विद्यालयीन शैक्षिक गतिविधियों की अकादमिक मॉनिटरिंग आयोजित करना।
- 14 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसाओं एवं नीतियों के अनुरूप डाईट्स, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास सुनिश्चित करना।

कार्यक्षेत्र

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् भोपाल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। इसके अधीन निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं -

- 1 आंग्ल भाषा अध्यापन संस्थान, (ई.एल.टी.आई) भोपाल
- 2 प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) भोपाल एवं जबलपुर,
- 3 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (एस.आई.एस.ई.), जबलपुर
- 4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) ग्वालियर, देवास, खंडवा, उज्जैन, छतरपुर, और रीवा
- 5 शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर
- 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) - 47
- 7 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (पी.पी.टी.आई.), जबलपुर

3.1.2.6 सहयोगी उपक्रम/संस्थाएं—आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (E.L.T.I.)

अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री निर्माण में गुणात्मक विकास करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना सन् 1964 में

की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अंतर्गत कार्यरत एक राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं :-

उद्देश्य :

- राज्य की उच्चतर/उच्च/माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार करना।
- विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
- राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय की आधुनिक पद्धति से अवगत कराना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना।
- नवाचार कार्यों, विशेषतया कक्षान्मुखी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षकों/शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए दीर्घकालीन/अल्पकालीन अवधि के उन्मुखीकरण/कार्यशाला / सेमीनार इत्यादि आयोजित करना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन के क्षेत्र में एवं प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य में सहयोग करवाना।
- समय-समय पर विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन एवं मूल्यांकन करना।
- आंग्ल भाषा अध्यापन क्षेत्र में सतत उन्नयन एवं स्तरीकरण हेतु अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना ?

कार्यक्षेत्र :

संपूर्ण राज्य के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समस्त शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

वित्तीय प्रावधान :

इस संस्थान को म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सन् 1988 से ई.एल.टी.आई. सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से सन् 2016 तक प्राप्त होती रही है।

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

यह संस्थान प्रदेश के सभी स्तरों के शिक्षकों के लिये विभिन्न नियमित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व उन्मुखीकरण/सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित करता है।

1. **पी0जी0डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश :**

इस संस्थान द्वारा एक वर्षीय पी0जी0डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जो कि बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस पाठ्यक्रम में राज्य के शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले उच्चतर/उच्च/माध्यमिक विद्यालयों एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं/शिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मैथडॉलॉजी (अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधियाँ), ग्रामर (व्याकरण), फॉनेटिक्स (स्वर विज्ञान), लिंग्विस्टिक्स (भाषा विज्ञान) एवं टीचिंग मटीरियल (पाठ्यक्रम एवं सिलेबस डिजायन से संबंधित) विषय पढ़ाये जाते हैं, चूँकि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण है। अतः प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अभ्यास पाठ हेतु स्कूलों में भी शिक्षण कार्य किया जाता है। उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षित शिक्षक राज्य द्वारा आयोजित

विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्री निर्माण तथा पाठ्य-पुस्तक लेखन आदि में अपना सक्रिय योगदान देते हैं।

2. मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम :

इस संस्थान द्वारा अंग्रेजी भाषा का मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में राज्य के शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले उच्चतर/उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं/शिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मैथिली/अंग्रेजी शिक्षण विधियाँ, ग्रांमर (व्याकरण), फॉनेटिक्स (स्वर विज्ञान), अंग्रेजी लेखन शिक्षण जैसे विषय पढ़ाये जाते हैं।

3. EMPower Project (ब्रिटिश काउंसिल) का समन्वयन :

इसके अंतर्गत ब्रिटिश काउंसिल द्वारा प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं सीहोर जिले के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र एवं ब्रिटिश काउंसिल के मध्य हुए MOU अनुसार EMPower Project सन् 2014 से 2017 तक संचालित किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 210 मास्टर ट्रेनर्स एवं 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

4. प्राथमिक शिक्षकों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण :

राज्य शासन ने प्रदेश के बच्चों की आवश्यकता व बच्चों के पालकों की मांग को देखते हुए कक्षा 01 से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन सन् 2000 से प्रारंभ किया। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य इस संस्थान को दिया गया।

5. सेमिनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएं :

इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित सेमिनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं -

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना।
- पाठ्यपुस्तक लेखन, पुनरीक्षण व मूल्यांकन हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना व प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्रदेश के विद्यालयों के व्याख्याताओं/शिक्षकों के लिये उपयोगी विषयों जैसे कि Classroom Interaction/ Language Game आदि पर कार्यशालाएं आयोजित करना।
- शिक्षक प्रशिक्षकों/शिक्षकों के लिए Teleconferencing आयोजित करना।
- हेड स्टार्ट केन्द्रों के लिये अंग्रेजी भाषा की सी.डी. का निर्माण किया गया।
- प्राथमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा की ऑडियो सी.डी. का निर्माण किया गया।
- वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया।

3.1.2.7 बायलिंगुअल (Bilingual Books) पुस्तकें :

कक्षा 1 एवं 2 हेतु बायलिंगुअल पुस्तकों का निर्माण किया गया, इसमें बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में सरल वाक्य दिये गये हैं एवं अंग्रेजी

वाक्यों के नीचे उनका हिन्दी में उच्चारण एवं अनुवाद भी दिया गया है। प्रदेश की प्राथमिक शालाओं के बच्चों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रूचि जागृत करने व सहायक पठन सामग्री के रूप में वर्ष 2015-16 में रीड फॉर फन अंतर्गत लेवल 1 व 2 की 08 रंगीन बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया :-

1. माय कैट
2. नम्बर राइम
3. इट्स माय डे
4. नटी द स्क्विरिल
5. एट द फेयर
6. रैटीज़ होल
7. इन अ टॉय शॉप
8. बबलूज़ स्वीट्स

उपरोक्त पुस्तकों के 03 सेट्स प्रति शाला व एक-एक सेट डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र व बी.आर.सी.सी. को भी उपलब्ध कराये गए। वर्ष 2017-18 में 05 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण लेवल 3 व 4 हेतु किया गया व प्रति शाला 05 पुस्तकों के 2-2 सेट्स उपलब्ध कराए गए-

1. बिग और स्मॉल
2. माय बेबी
3. माय मेंगो ट्री
4. माय फैमिली
5. अवर फेस्टिवल्स

वर्ष 2019-20 में level V हेतु 10 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया व वर्ष 2020-21 में प्रति प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला हेतु 2-2 सेट्स व 100 से अधिक नामांकन वाली शालाओं में 1-1 सेट और उपलब्ध कराये गए हैं:-

1. फाइव फिंगर्स मेक अ फिस्ट
2. जिमी एण्ड गिनी
3. माय क्यूट लिटिल सिस्टर
4. रिडिल्स
5. राउण्ड द ईयर
6. द परफेक्ट परसन
7. वॉट अ ट्रेज़र
8. हू एम आय
9. सिक्स फ्रेंड्स
10. तोषू एण्ड किटी इन स्पेस

इन पुस्तकों का निर्माण प्राथमिक शाला के बच्चों की रूचि के अनुसार किया गया है। पुस्तकों में आकर्षक रंगीन चित्र हैं व पाठ्यवस्तु बच्चों के परिवेश से ही ली गयी है। पुस्तकों में अंग्रेजी के छोटे-छोटे शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों व कहानियों का प्रयोग किया गया है। बच्चे स्वयं पढ़ सकें, इसलिए देवनागरी में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी दिया गया है।

3.1.2.8 परस्पर रेडियो संवाद Interactive Radio Instructions (आई.आर.आई.)

Interactive Radio Instruction आई.आर.आई. का अर्थ है परस्पर रेडियो संवाद। सामान्यतः जब हम रेडियो सुनते हैं तो वह केवल एक तरफा संवाद होता है। हमें वह सब चुपचाप सुनते रहना होता है, जो रेडियो से प्रसारित होता है। जब इसमें Interaction जुड़ जाता है, तब आप चुपचाप बैठे एक श्रोता नहीं रह जाते। आपको रेडियो में बताई जा रही बातों को सुनने के साथ-साथ कुछ ना कुछ गतिविधि भी करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के सहयोग हेतु "इंग्लिश इज फन" कार्यक्रम के नाम से शैक्षणिक सत्र 2005-06 में, कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का विस्तार करते हुये वर्ष 2009-10 से 4 रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण विवरण निम्नानुसार है-

(i) इंग्लिश इज फन लेवल-1

कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

(ii) इंग्लिश इज फन लेवल-2

कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

(iii) झिलमिल

कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों की कठिन अवधारणाओं पर आधारित कार्यक्रम।

3.1.2.9 शाला दर्पण (अकादमिक मॉनिटरिंग)

शाला स्तर पर होने वाली विभिन्न अकादमिक एवं अधोसंरचना आधारित संचालित

12:30 PM 0 OKR/4 34

एम-शिक्षा मित्र 13.5 - 2309

हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का तन...

कुल प्रश्न: 5

1 2 3 4 5

दारा घर जाने वाले एम-शिक्षा मित्र रिपोर्टिंग फॉर्म को क्रॉस चेक किया जा रहा है ? (HM)

☒ 0-50%

☐ 51-75%

☐ 76-100%

Q 5. क्या रेडियो शिक्षण के माध्यम से पढ़ाये गए पाठों पर मूल्यांकन कार्य का WhatsApp पर चर्चिंग कार्य शिक्षक कर रहे हैं ? (TR) (HM)

☒ कक्षा के कुल बच्चों में से 50% ही बच्चों का चर्चिंग कार्य किया जा रहा है।

☐ कक्षा के कुल बच्चों में से 75% ही बच्चों का चर्चिंग कार्य किया जा रहा है।

☐ नियमित 100% बच्चों का चर्चिंग कार्य किया जा रहा है।

< पिछला जवाब

पाठों की सुनिश्चित करें >



गतिविधियों की सतत अकादमिक गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए NIC के सहयोग से तैयार किये गए शाला दर्पण तैयार किया गया है। सत्र 2020-21 में कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों से शाला संचालित नहीं हुई है। सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न हुए

अवरोध के कारण प्रकट हो रहे लर्निंग लॉस को दृष्टिगत रखते हुए नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 में 'हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत शाला बंद होने के उपरांत भी प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शाला जैसा वातावरण निर्मित कर शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित हुई। साथ ही विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े-बूढ़ों, शाला/कालेज में अध्ययनरत भाई-बहन के सहयोग से घर पर ही रहकर पढ़ाई करे।

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कोविड-19 के अनलॉक-04 की गाइड लाइन अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के माह सितंबर 20 से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विभिन्न स्तर के निरीक्षणकर्ता

3.1.2.2 निःशुल्क साइकिल वितरण

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् ऐसे बालक-बालिकाएं जो कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 6 में अध्ययन हेतु अन्य गाँव की माध्यमिक शाला में प्रवेश लेते हैं, वे निःशुल्क साइकिल वितरण योजनांतर्गत पात्र हितग्राही हैं। वर्ष 2016-17 से साइकिल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2017-18 से योजना में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी, जो कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा उसी ग्राम के ऐसे मजरे-टोले में निवासरत हैं, जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 2 किमी. की अधिक दूरी पर हैं, को सम्मिलित किया गया है, एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित कन्या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिनकी माध्यमिक/हाईस्कूल शाला 2 किमी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, को सम्मिलित किया गया है। सत्र 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालयों का नियमित संचालन न होने से छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
निःशुल्क साइकिल वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	1.95	1.80	1.83

3.1.2.3 सामान्य निर्धन वर्ग के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण

शासकीय शालाओं में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवार, जिनकी आय रु. 1,00,000/-वार्षिक से कम है, के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदाय योजना वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गयी है। इसके अनुसार बालिकाओं को रु. 300/- वार्षिक तथा बालकों को रु. 200/-वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

3.1.2.4 निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के दर्ज बालक/बालिकाओं में से सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर के बालक/बालिका को निःशुल्क गणवेश हेतु राज्य योजना से राशि दी जा रही है। सत्र 2019-20 में शासकीय शालाओं में कुल नामांकन 64,95,263 के आधार पर सत्र 2020-21 में 55,08,423 छात्रों के लिये गणवेश की राशि 600/- प्रति छात्र की दर से कुल राशि रुपये 3,30,50,53,800 का प्रावधान समग्र शिक्षा अभियान में किया गया है। शेष 9,86,840 छात्रों को दो जोड़ी गणवेश के लिए 600/- प्रति छात्र की दर से कुल राशि रुपये 5,92,10,400 का प्रावधान राज्य योजना मद से किया जाना है। शासन के निर्णय अनुसार सत्र 2020-21 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं महिला वित्त एवं विकास विभाग के अंतर्गत क्रियाशील स्वसहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय हेतु निर्णय लिया गया है। जिन जिलों में स्वसहायता समूह क्षमता अनुरूप नहीं होंगे वहा गणवेश की राशि छात्र/छात्राओं को शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से पालकों/ छात्र/छात्राओं के खातों में सीधे जमा की जायेगी।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
निःशुल्क गणवेश वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	67.42	66.52	64.95

3.1.2.5 मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् स्थापना

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की संस्थापना 04 नवंबर सन् 1982 में

की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय निकाय-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई थी। इसके अन्तर्गत समस्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

उद्देश्य

प्रदेश में एस.सी.ई.आर.टी. के गठन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं -

- 1 राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, शोध हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वित कराना।
- 2 औपचारिक एवं गैर औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें विकसित करना।
- 3 शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- 4 शिक्षा में उचित मूल्यांकन की तकनीक और प्रक्रिया का विकास करना।
- 5 शिक्षकों की विषयगत आवश्यकताओं का आकलन कर सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 6 भावी शिक्षक तैयार करने हेतु सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 7 प्रारंभिक शिक्षा में लोकव्यापीकरण तथा गुणात्मक सुधार का कार्य करना।
- 8 शैक्षिक समस्याओं को हल करने में परस्पर समन्वय एवं निदानात्मक प्रक्रिया विकसित करना।
- 9 प्रदेश में प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- 10 सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना एवं उन्हें उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना।
- 11 सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रम आयोजित कराना।
- 12 शैक्षिक प्रक्रिया/प्रविधियों/तकनीकी विकास हेतु नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- 13 विद्यालयीन शैक्षिक गतिविधियों की अकादमिक मॉनिटरिंग आयोजित करना।
- 14 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसाओं एवं नीतियों के अनुरूप डाईट्स, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास सुनिश्चित करना।

कार्यक्षेत्र

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् भोपाल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। इसके अधीन निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं -

- 1 आंग्ल भाषा अध्यापन संस्थान, (ई.एल.टी.आई) भोपाल
- 2 प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) भोपाल एवं जबलपुर,
- 3 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (एस.आई.एस.ई.), जबलपुर
- 4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) ग्वालियर, देवास, खंडवा, उज्जैन, छतरपुर, और रीवा
- 5 शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर
- 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) - 47
- 7 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (पी.पी.टी.आई.), जबलपुर

3.1.2.6 सहयोगी उपक्रम/संस्थाएं -आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (E.L.T.I.)

अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री निर्माण में गुणात्मक विकास करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना सन् 1964 में

की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अंतर्गत कार्यरत एक राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं :-

- उद्देश्य :**
- राज्य की उच्चतर/उच्च/माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार करना।
 - विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
 - राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय की आधुनिक पद्धति से अवगत कराना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना।
 - नवाचार कार्य, विशेषतया कक्षांमुखी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
 - शिक्षकों/शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए दीर्घकालीन/अल्पकालीन अवधि के उन्मुखीकरण/कार्यशाला / सेमीनार इत्यादि आयोजित करना।
 - ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 - अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन के क्षेत्र में एवं प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य में सहयोग करवाना।
 - समय-समय पर विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन एवं मूल्यांकन करना।
 - आंग्ल भाषा अध्यापन क्षेत्र में सतत् उन्नयन एवं स्तरीकरण हेतु अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना ?

कार्यक्षेत्र :

संपूर्ण राज्य के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समस्त शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

वित्तीय प्रावधान :

इस संस्थान को म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सन् 1988 से ई.एल.टी.आई. सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से सन् 2016 तक प्राप्त होती रही है।

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

यह संस्थान प्रदेश के सभी स्तरों के शिक्षकों के लिये विभिन्न नियमित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व उन्मुखीकरण/सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित करता है।

1. पी0जी0डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश :

इस संस्थान द्वारा एक वर्षीय पी0जी0डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम चलाया जाता है। जो कि बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस पाठ्यक्रम में राज्य के शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले उच्चतर/उच्च/माध्यमिक विद्यालयों एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं/शिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मैथडॉलॉजी (अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधियां), ग्रामर (व्याकरण), फॉनेटिक्स (स्वर विज्ञान), लिंग्विस्टिक्स (भाषा विज्ञान) एवं टीचिंग मटीरियल (पाठ्यक्रम एवं सिलेबस डिजायन से संबंधित) विषय पढ़ाये जाते हैं, चूँकि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण है। अतः प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अभ्यास पाठ हेतु स्कूलों में भी शिक्षण कार्य किया जाता है। उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षित शिक्षक राज्य द्वारा आयोजित

विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्री निर्माण तथा पाठ्य-पुस्तक लेखन आदि में अपना सक्रिय योगदान देते हैं।

2. मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम :

इस संस्थान द्वारा अंग्रेजी भाषा का मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में राज्य के शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले उच्चतर/उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं/शिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मैथडॉलॉजी (अंग्रेजी शिक्षण विधियाँ), ग्रामर (व्याकरण), फॉनेटिक्स (स्वर विज्ञान), अंग्रेजी लेखन शिक्षण जैसे विषय पढ़ाये जाते हैं।

3. EMPOWER Project (ब्रिटिश काउंसिल) का समन्वयन :

इसके अंतर्गत ब्रिटिश काउंसिल द्वारा प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं सीहोर जिले के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र एवं ब्रिटिश काउंसिल के मध्य हुए MOU अनुसार EMPOWER Project सन् 2014 से 2017 तक संचालित किया गया। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लगभग 210 मास्टर ट्रेनर्स एवं 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

4. प्राथमिक शिक्षकों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण :

राज्य शासन ने प्रदेश के बच्चों की आवश्यकता व बच्चों के पालकों की मांग को देखते हुए कक्षा 01 से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन सन् 2000 से प्रारंभ किया। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य इस संस्थान को दिया गया।

5. सेमिनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएं :

इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित सेमिनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं -

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना।
- पाठ्यपुस्तक लेखन, पुनरीक्षण व मूल्यांकन हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना व प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्रदेश के विद्यालयों के व्याख्याताओं/शिक्षकों के लिये उपयोगी विषयों जैसे कि Classroom Interaction/ Language Game आदि पर कार्यशालाएं आयोजित करना।
- शिक्षक प्रशिक्षकों/शिक्षकों के लिए Teleconferencing आयोजित करना।
- हेड स्टार्ट केन्द्रों के लिये अंग्रेजी भाषा की सी.डी. का निर्माण किया गया।
- प्राथमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा की ऑडियो सी.डी. का निर्माण किया गया।
- वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया।

3.1.2.7 बायलिंगुअल (Bilingual Books) पुस्तकें :

कक्षा 1 एवं 2 हेतु बायलिंगुअल पुस्तकों का निर्माण किया गया, इसमें बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में सरल वाक्य दिये गये हैं एवं अंग्रेजी

वाक्यों के नीचे उनका हिन्दी में उच्चारण एवं अनुवाद भी दिया गया है। प्रदेश की प्राथमिक शालाओं के बच्चों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि जागृत करने व सहायक पठन सामग्री के रूप में वर्ष 2015-16 में रीड फॉर फन अंतर्गत लेवल 1 व 2 की 08 रंगीन बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया :-

1. माय कैट
2. नम्बर राइम
3. इट्स माय डे
4. नटी द स्क्विरिल
5. एट द फेयर
6. रैटीज होल
7. इन अ टॉय शॉप
8. बबलूज स्वीट्स

उपरोक्त पुस्तकों के 03 सेट्स प्रति शाला व एक-एक सेट डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र व बी.आर. सी.सी. को भी उपलब्ध कराये गए। वर्ष 2017-18 में 05 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण लेवल 3 व 4 हेतु किया गया व प्रति शाला 05 पुस्तकों के 2-2 सेट्स उपलब्ध कराए गए-

1. बिग और स्मॉल
2. माय बेबी
3. माय मंगो ट्री
4. माय फैमिली
5. अवर फेस्टिवल्स

वर्ष 2019-20 में level V हेतु 10 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया व वर्ष 2020-21 में प्रति प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला हेतु 2-2 सेट्स व 100 से अधिक नामांकन वाली शालाओं में 1-1 सेट और उपलब्ध कराये गए हैं:-

1. फाइव फिंगर्स मेक अ फिस्ट
2. जिमी एण्ड गिनी
3. माय क्यूट लिटिल सिस्टर
4. रिडिल्स
5. राउण्ड द ईयर
6. द परफेक्ट परसन
7. वॉट अ ट्रेज़र
8. हू एम आय
9. सिक्स फ्रेण्ड्स
10. तोषू एण्ड किटी इन स्पेस

इन पुस्तकों का निर्माण प्राथमिक शाला के बच्चों की रुचि के अनुसार किया गया है। पुस्तकों में आकर्षक रंगीन चित्र हैं व पाठ्यवस्तु बच्चों के परिवेश से ही ली गयी है। पुस्तकों में अंग्रेजी के छोटे-छोटे शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों व कहानियों का प्रयोग किया गया है। बच्चे स्वयं पढ़ सकें, इसलिए देवनागरी में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी दिया गया है।

3.1.2.8 परस्पर रेडियो संवाद Interactive Radio Instructions (आई.आर.आई.)

Interactive Radio Instruction आई.आर.आई. का अर्थ है परस्पर रेडियो संवाद। सामान्यतः जब हम रेडियो सुनते हैं तो वह केवल एक तरफा संवाद होता है। हमें वह सब चुपचाप सुनते रहना होता है, जो रेडियो से प्रसारित होता है। जब इसमें Interaction जुड़ जाता है, तब आप चुपचाप बैठे एक श्रोता नहीं रह जाते। आपको रेडियो में बताई जा रही बातों को सुनने के साथ-साथ कुछ ना कुछ गतिविधि भी करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के सहयोग हेतु "इंग्लिश इज फन" कार्यक्रम के नाम से शैक्षणिक सत्र 2005-06 में, कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का विस्तार करते हुये वर्ष 2009-10 से 4 रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण निम्नानुसार है-

(i) इंग्लिश इज फन लेवल-1

कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

(ii) इंग्लिश इज फन लेवल-2

कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

(iii) झिलमिल

कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों की कठिन अवधारणाओं पर आधारित कार्यक्रम।

3.1.2.9 शाला दर्पण (अकादमिक मॉनिटरिंग)

शाला स्तर पर होने वाली विभिन्न अकादमिक एवं अधोसंरचना आधारित संचालित



हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का तन...

कुल प्रश्न: 5

1 2 3 4 5

हमारे जाने वाले एम-शिक्षा मित्र रिपोर्टिंग फॉर्म को क्रॉस चेक किया जा रहा है ? (HM)

- ☒ 0-50%
☐ 51-75%
☐ 76-100%

Q-5 क्या रेडियो शिक्षण के माध्यम से पढ़ाये गए पाठों पर मूल्यांकन कार्य का WhatsApp पर बैकिंग कार्य शिक्षक कर रहे है ? (TR) (HM)

☒ कक्षा के कुल बच्चों में से 50% ही बच्चों का बैकिंग कार्य किया जा रहा है.
☐ कक्षा के कुल बच्चों में से 75% ही बच्चों का बैकिंग कार्य किया जा रहा है.
☐ नियमित 100% बच्चों का बैकिंग कार्य किया जा रहा है.

< पिछला आयाम

पाठ भी सुरक्षित करे >



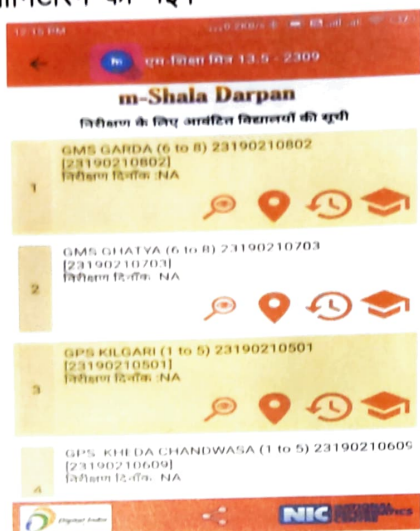
गतिविधियों की सतत् अकादमिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए NIC के सहयोग से तैयार किये गए शाला दर्पण तैयार किया गया है। सत्र 2020-21 में कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों से शाला संचालित नहीं हुई है। सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न हुए

अवरोध के कारण प्रकट हो रहे लर्निंग लॉस को दृष्टिगत रखते हुए नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 में 'हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत शाला बंद होने के उपरांत भी प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शाला जैसा वातावरण निर्मित कर शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित हुई। साथ ही विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े-बूढ़ों, शाला/कालेज में अध्ययनरत भाई-बहन के सहयोग से घर पर ही रहकर पढ़ाई करे।

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कोविड-19 के अनलॉक-04 की गाइड लाइन अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के माह सितंबर 20 से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विभिन्न स्तर के निरीक्षणकर्ता

अधिकारियों द्वारा 'हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम' की मॉनिटरिंग 'शाला दर्पण' मोबाईल एप के माध्यम से की गई।

राज्य की 95 हजार से अधिक समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं (जंहा 01 से 08 तक की कक्षाएं संचालित) में निरीक्षणकर्ताओं ने स्वयं के स्कूल के शिक्षकों से मोबाइल एप के माध्यम संपर्क का मॉनिटरिंग की गई।



शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रारंभ में जिला, विकासखंड, जनशिक्षा केंद्र स्तर के विभिन्न निरीक्षणकर्ताओं को राज्य स्तर से ही निरीक्षण हेतु शालाओं का आवंटन किया जाता है। जिससे जिले के समस्त स्कूलों से संपर्क सुनिश्चित किया गया। प्रत्येक निरीक्षणकर्ताओं को एक दिवस में अधिकतम दो शालाओं से संपर्क करने निर्देश थे। सिस्टम से ये चेक लगाया हुआ है कि यदि किसी ने एक ही शाला से संपर्क एक दिन में एक से अधिक बार किया है तो प्रथम रैस्पॉस को ही सिस्टम निरीक्षण को दर्ज करता है। ऐसा करने से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि एक स्कूल से एक दिन में एक ही बार संपर्क हो।

मॉनिटरिंग के परिणाम पर के आधार पर स्कूल स्तर शिक्षकों को अकादमिक फील्ड सपोर्ट दिया गया एवं अगले माह की विजिट की योजना पोर्टल से ही ऑटो जनरेट कर बनाई जा रही है। 'शाला दर्पण' पोर्टल पर जिले, विकासखंड, संकुल स्तर के डैशबोर्ड/रिपोर्ट्स उपलब्ध है।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.2.1 समग्र शिक्षा अभियान

"सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा" 1 अप्रैल 2018 से मार्च 2020 तक के लिए भारत शासन द्वारा नई एकीकृत शिक्षा योजना कार्यक्रम प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी तक लागू की गयी है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) समाहित है।

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को दर्शाया गया है।

उद्देश्य

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करना

शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (DIET) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना

3.2.2 समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्डरी एजुकेशन)

प्रदेश में 2009 से सेकेण्डरी एजुकेशन हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से योजना आरंभ की गई थी। भारत शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना में बालिका छात्रावास, आई.सी.टी.@स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेकेण्डरी स्तर पर समावेशित शिक्षा (IEDSS) को एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2015-16 से इन सभी योजनाओं के लिए भारत शासन द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुपात 60:40 कर दिया गया है। भारत शासन द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के निर्देश के अनुरूप वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति तथा सर्व शिक्षा अभियान समिति को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान समिति गठित की गई है।

प्रगति-सूचकांक

सूचकांक	2007.08	2018-19	2019-20
सकल पहुँच दर - GAR	60%	83%	84%
सकल नामांकन दर -GER	41.1%	80.69%	80.1%
शाला त्याग दर (सेकेण्डरी स्तर)	27.7%	14.0	14.0%
कक्षा 8 से 9 में अंतरण दर	58.6%	85.8%	88.8%
जेंडर पेरिटी इंडेक्स-GPI	0.67	0.93	0.93

क्रियान्वयन ढाँचा -

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्वशिक्षा अभियान का एकीकरण कर राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान समिति का गठन किया गया है। समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। जिला स्तर पर सेकेण्डरी एजुकेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक हैं। शाला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति गठित की गई है।

अभियान की प्रगति

- **शाला का उन्नयन**-अभी तक भारत शासन द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार 1858 माध्यमिक शालाओं में से 1856 को हाईस्कूल में उन्नयन कर दिया गया है। सभी शालाएं आरंभ हो चुकी हैं।
- 525 विद्यालयों में कामर्स संकाय आरम्भ कर दिया गया है।
- **भवन निर्माण** - शाला भवनों के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पीआईयू को सौंपा गया है। 2009-10 में स्वीकृत 341 हाईस्कूलों में से 340 भवन तथा 2011-12 में 603 हाईस्कूल भवनों में 600 भवन पूर्ण हो चुके हैं। सुदृढीकरण के तहत स्वीकृत 960 हाईस्कूल भवन में से 959 पूर्ण हैं। 201 बालिका छात्रावासों में से 199 छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके हैं। 201 मॉडल स्कूल में से 197 पूर्ण, 1 अप्रारंभ, शेष प्रगतिरत हैं। 2017-18 के 484 स्कूलों में से 482 स्वीकृत, 427 पूर्ण, 5 अप्रारंभ शेष प्रगतिरत हैं। 104 हाईस्कूल में से 103 स्वीकृत हुए, 56 पूर्ण

कार्य, 2 अप्रारंभ, शेष प्रगतिरत स्तर पर है। 430 हाईस्कूल भवन स्वीकृत, 161 पूर्ण, 6 अप्रारंभ, 5 अवरुद्ध, शेष प्रगति स्तर पर।

- हाईस्कूलों के लिए 6040 अतिरिक्त कक्ष, 1909 विज्ञान प्रयोग शाला कक्ष, 2852 गतिविधि (आर्ट एण्ड क्राफ्ट) कक्ष, 2546 पुस्तकालय कक्ष, 2277 शौचालय एवं 1406 पेयजल सुविधा की स्वीकृति दी गई है।
इन शालाओं में निर्माण कार्य जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अभी तक इन कार्यों में से 16481 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 133 फिनिशिंग स्तर, हैं।



- नामांकन के आधार पर शालाओं को वार्षिक अनुदान राशि जारी करने का प्रावधान किया गया है।
- 9665 अतिरिक्त शिक्षकों के पद की स्वीकृति जारी कर पदपूर्ति की गई है।
- 18000 शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण संपन्न किया गया है।
- **विज्ञान मेलों का आयोजन** – इस योजना अंतर्गत प्रदेश में सभी विकासखंडों में “जादू नहीं विज्ञान है” के नाम से मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया जाता है जो प्रथम दृष्टया चमत्कार के रूप में दिखते हैं किन्तु वास्तव में इनके पीछे वैज्ञानिक कारण निहित होता है, जिन्हें प्रदर्शित कर ढोंगी व्यक्ति जन सामान्य में अंधविश्वास पैदा करते हैं। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 संकट के कारण यह गतिविधि अभी नहीं हुई है।
- **विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट)** :- शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए कई दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। जहाँ यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत होता है वहीं इससे छात्रों में अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है तथा विद्यार्थियों में कुशलता आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण विकसित करने में सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराई जाती है। कोविड-19 संकट के कारण यह गतिविधि अभी संभव नहीं हुई है।
- **कला उत्सव** :- कला उत्सव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, की वर्ष 2015 से एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, उसे पोषित करना, प्रस्तुत करना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। कला उत्सव वर्ष 2015 में आरम्भ हुआ है। यह उत्सव स्कूलों में कलाओं के उत्सव की वह पहल है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रही है। कला उत्सव की संरचनात्मक प्रक्रिया,

विद्यार्थियों को भारत की जीवंत पारंपरिक एवं विभिन्न कलाओं को समझने, अनुसंधान एवं प्रस्तुतीकरण करने में सहायक होती है। यह उत्सव विद्यार्थियों में भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसकी जीवंत विविधता के प्रति जागरूकता लाने एवं उत्सव मनाने का मंच प्रदान करता है। यह उत्सव न केवल विद्यार्थियों में बल्कि उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों में भी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करता है। वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश को क्लासिकल इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए 2,000 स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किये जा रहे हैं। गतवर्ष लगभग 1,68,452 बालिकाएं लाभान्वित हुई थी।

- **जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम – “उमंग”**

मध्यप्रदेश में कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम “उमंग” का संचालन प्रदेश के सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से किया जा रहा है। उमंग कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 से की गई थी। उमंग कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ-साथ ऐसे कौशल (WHO द्वारा अनुशंसित 10 जीवन कौशल) विकसित करना है, जो उन्हें जीवन के हर कदम पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएं और उनकी जानकारी, दृष्टिकोण व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।

कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा अनुरूप पृथक-पृथक “उमंग” मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्वजागरूकता, संप्रेषण, हमारे संबंध, किशोरावस्था, स्वास्थ्य, पोषण, जेंडर व हिंसा से संबंधित मुद्दों को लिया गया है। अकादमिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक शनिवार को कक्षावार निर्मित “उमंग” मार्गदर्शिका के माध्यम से प्रदेश के प्रशिक्षित नोडल शिक्षकों द्वारा (मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित) अपनी-अपनी कक्षाओं में सत्रों का संचालन किया जाता है। कक्षाओं में सत्रों का संचालन परंपरागत विधियों का उपयोग न करते हुए सहभागी प्रशिक्षण तकनीक पर आधारित होता है, जिसमें नोडल शिक्षक मुख्य रूप से एक सहजकर्ता (Facilitator) की भूमिका निभाते हैं तथा सभी विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों जैसे केस स्टडी, रोल प्ले, ग्रुप वर्क आदि के माध्यम से अपने विचारों, अनुभवों के आधार पर चर्चा कर समस्या समाधान के लिए एक सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं इससे उनका अत्माविश्वास, संवाद कौशल, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और उनमें जीवन कौशल का विकास होता है। कार्यक्रम से लगभग 24 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2020 में कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए Covid 19 के दौरान लॉकडाउन की अवधि में भी कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया गया। इसके अंतर्गत जीवनकौशल शिक्षा पर आधारित 20 animatics के निर्माण कर प्रत्येक शनिवार को 2 animatics सभी विद्यार्थियों को DigiLEP के माध्यम से विभिन्न WhatsApp समूहों में और DD MP चैनल पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन animatics को 14 लाख से अधिक YouTube Views मिल चुके हैं तथा विद्यार्थियों से 2 लाख से अधिक सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुए हैं। औसतन लगभग 98% विद्यार्थियों ने animatics सत्र पसंद किए हैं।

- **“उमंग किशोर हेल्पलाइन” – 14425 :**

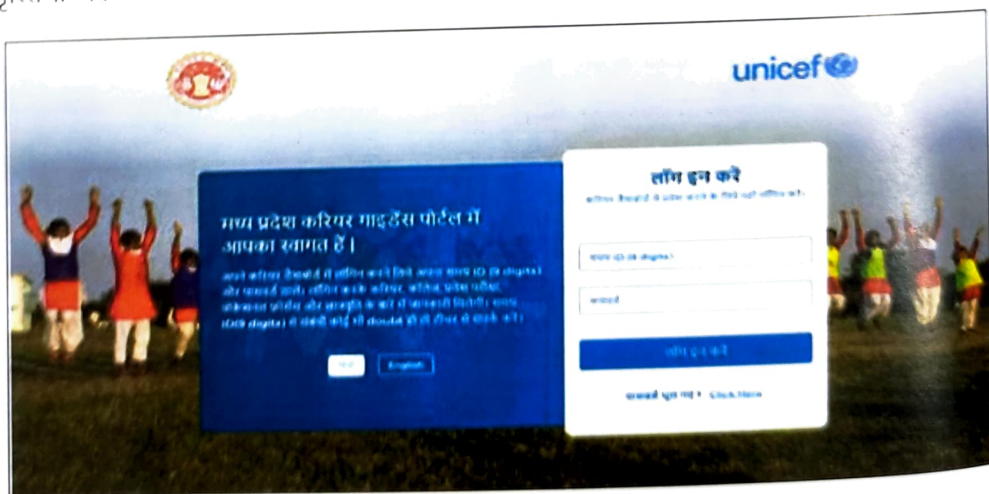
प्रदेश में उमंग किशोर हेल्पलाइन की अधिकारिक शुरुआत 13 जनवरी 2020 से की गई। हेल्पलाइन भोपाल में स्थित है। प्रदेश के सभी विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 14425 पर कॉल

करके परामर्श सेवाएं प्राप्त करते हैं। किशोर हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी किशोर-किशोरियों को प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा कुशल परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा पाएं। हेल्पलाइन का संचालन 12 प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा टेली काउंसलिंग के माध्यम से किया जा रहा है तथा पूरे एक वर्ष में 39000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं, जिनकी औसत कॉल दर 130 प्रति दिन है। Covid 19 एवं लॉकडाउन के दौरान भी किशोर हेल्पलाइन कार्यक्रम ने किशोरों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने में पूरी मदद की है ताकि वे इस विकट समय में अपने धैर्य को ना खोये और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें।

छात्रों द्वारा किए गए कॉल्स में मुख्यतः अकादमिक, कैरियर काउंसलिंग, किशोरावस्था Covid-19 सपोर्ट, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, नशे की लत, हेल्पलाइन संबंधी जानकारी, हिंसा, आत्महत्या आदि से संबंधित कॉल्स प्रदेश के किशोर-किशोरियों से प्राप्त हुए हैं और राज्य स्तरीय प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा उन सभी को आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया।

उमंग किशोर हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली टेली काउंसलिंग सेवाएं प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा कॉलर की पहचान/बात/समस्याओं/घटना को गोपनीय रखा जाता है।

विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग – प्रदेश में विद्यार्थियों की काउंसलिंग हेतु एम.पी.एस्पायर पोर्टल यूनिसेफ की सहायता से तैयार किया गया है। इस करियर पोर्टल पर 460 से अधिक करियर संबंधित 6400 से अधिक कॉलेज, 1050 से अधिक प्रवेश परीक्षाएं, 930 से अधिक छात्रवृत्तियों की जानकारी उपलब्ध है। विद्यार्थी अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं ये करियर आप्शन राज्य के अंदर अन्तर्राज्यीय, राष्ट्रीय स्तर के, प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के छात्रवृत्तियों की जानकारी भी उपलब्ध है।



बालिका छात्रावास :-

प्रदेश में 201 विकासखंड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े है। इन सभी विकासखंडों में 100 सीट बालिका छात्रावास कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए संचालित है। छात्रावास के लिए 50 प्रतिशत सीटें अजा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। बालिकाओं के चयन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, आश्रम शालाओं से कक्षा 8 पास करके आने वाली

बालिकाओं, अस्थि बाधित बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनके ग्राम में स्कूल की दूरी अधिक है, मॉडल स्कूल में प्रवेशित बालिकाएं को प्राथमिकता दी जाती है। गतवर्ष में 20100 के लक्ष्य के विरुद्ध 21245 बालिकाएं दर्ज थी।

आई.सी.टी.@स्कूल :-

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2005-06 में 230 विद्यालयों का चयन किया गया था जिनमें कम्प्यूटर लेब हेतु 10-10 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। 2151 स्कूलों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है। अभी तक 5000 शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्तों का प्रदाय :-

कक्षा 9 से 12 तक के दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में नामांकित कर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आई.ई.डी.एस.एस.योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को सुविधा भत्ते PFMS के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए पुस्तक, एस्कॉर्ट अलाउंस, स्टेशनरी, गणवेश, परिवहन, रीडर अलाउंस, उपकरण एक्सपोजर विजिट इत्यादि मदों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रु. 3000 के मान से राशि निर्धारित है। वर्ष 2020-21 में लगभग 9000 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2019-20 में 9,757 बच्चों को राशि 3,21,29,250 राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 की कार्यवाही जारी है।

व्यावसायिक शिक्षा :-

प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2 ट्रेड IT/ITes एवं सिक्यूरिटी आरंभ किए गए थे। वर्ष 2016-17 से नवीन 263 विकासखंड स्तरीय विद्यालयों में इसे विस्तारित किया गया है तथा इन विद्यालयों में 8 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बैंकिंग एण्ड फाईनेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रिकल्स टेक्नालॉजी, हैल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, रीटेल, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म संचालित किये गये। वर्ष 2017-18 से 313 नवीन विद्यालयों में 5 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, हैल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म आरंभ किए गए हैं।

सत्र 2019-20 से 576 विद्यालयों में 08 ट्रेड-आई/आई.टी.एस, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हाईवेयर, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, रीटेल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, प्लम्बर एपेरल मेकअप्स एण्ड होम फर्निशिंग आरम्भ किये गये हैं साथ ही प. सुन्दरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शास.उ.मा.विद्यालय रामनगर जिला-सीहोर में ओटोमोटिव ट्रेड आरम्भ किया गया है।

वर्तमान में नवीन व्यावसायिक योजनान्तर्गत प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 178595 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

व्यावसायिक शिक्षा - ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन, लेब सेटअप, इंडस्ट्री विजिट



- **दक्षता सुधार :-** ब्रिज कोर्स - कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दक्षता उन्नयन हेतु लगभग 20000 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। कक्षा 8 के विद्यार्थी जब कक्षा 9 में आते हैं तो उनका स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है। सामान्यतः विद्यार्थी हिन्दी गणित एवं अंग्रेजी विषय में कमजोर होते हैं तथा पाठ्यक्रम को समझने में सक्षम नहीं होते हैं और शाला से बाहर हो जाते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ब्रिज कोर्स का संचालन किया गया। गतवर्ष 9000 शालाओं में लगभग 9 लाख विद्यार्थियों के लिए 25000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स हेतु वर्कबुक एवं शिक्षकों के लिए हंड बुक तैयार कराकर विद्यार्थियों को प्रदान की गई। कक्षा 8 से कक्षा 9 में आने वाले विद्यार्थियों की दक्षता में सुधार के लिए कक्षा 9 में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था हिन्दी

अंग्रेजी एवं गणित में की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते नियमित कक्षाएँ संचालित नहीं हो पा रही है इस कारण DigiLEP एवं दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम क्लास रूम का प्रसारण नियमित संचालित किया गया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। 21 सितम्बर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिये पालकों की सहमति के साथ विद्यार्थी विद्यालय में अपनी कठिनाईयों के निराकरण हेतु उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई है। 15 दिसम्बर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिये नियमित कक्षाएँ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को DigiLEP एवं दूरदर्शन के माध्यम से ब्रिज कोर्स भी संचालित किया गया है।

- **परीक्षा परिणाम विश्लेषण :-** बोर्ड परीक्षाओं का विश्लेषण कर 40 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों की दक्षताओं के आंकलन हेतु 03 एवं 04 जनवरी 2021 की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें हाई/हायर सेकेंडरी के शिक्षकों तथा इन विद्यालय के केचमेंट के माध्यमिक शालाओं के लगभग 10,000 शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की गई है। शिक्षकों की दक्षताओं का आंकलन कर उनकी दक्षताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर पुनः मार्च 2021 में परीक्षा ली जाएगी।
- **रेमेडियल टीचिंग- रिवीजन टेस्ट एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में डी एवं ई श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग के रूप में विशेष कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए गए हैं।**
- **शिक्षक प्रशिक्षण- 19000 शिक्षकों को NCERT की पुस्तकों, ब्रिज कोर्स इत्यादि में प्रशिक्षण दिया गया है। ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से इस वर्ष 2500 अंग्रेजी विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है। ग्रीष्मावकाश में सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा।**

विमर्श पोर्टल:-

विभाग द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं स्कूलों को अकादमिक दृष्टि से सुदृढ़ करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विमर्श पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1. ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु विभिन्न विषयों के वीडियो पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराये गये।
2. बोर्ड परीक्षा में मेरिट वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र एवं मॉडल उत्तर पोर्टल पर उपलब्ध है।
3. प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी-शिक्षक अपने द्वारा किए गए नवाचारों को साझा कर सकते हैं। अध्यापन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर विशेषज्ञ शिक्षकों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पठन-पाठन हेतु विषय मान से उपलब्ध पठन-पाठन सामग्री, वीडियो इत्यादि का उपयोग कर अपने पठन-पाठन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

समग्र शिक्षा अभियान 2019-2020 (60:40)

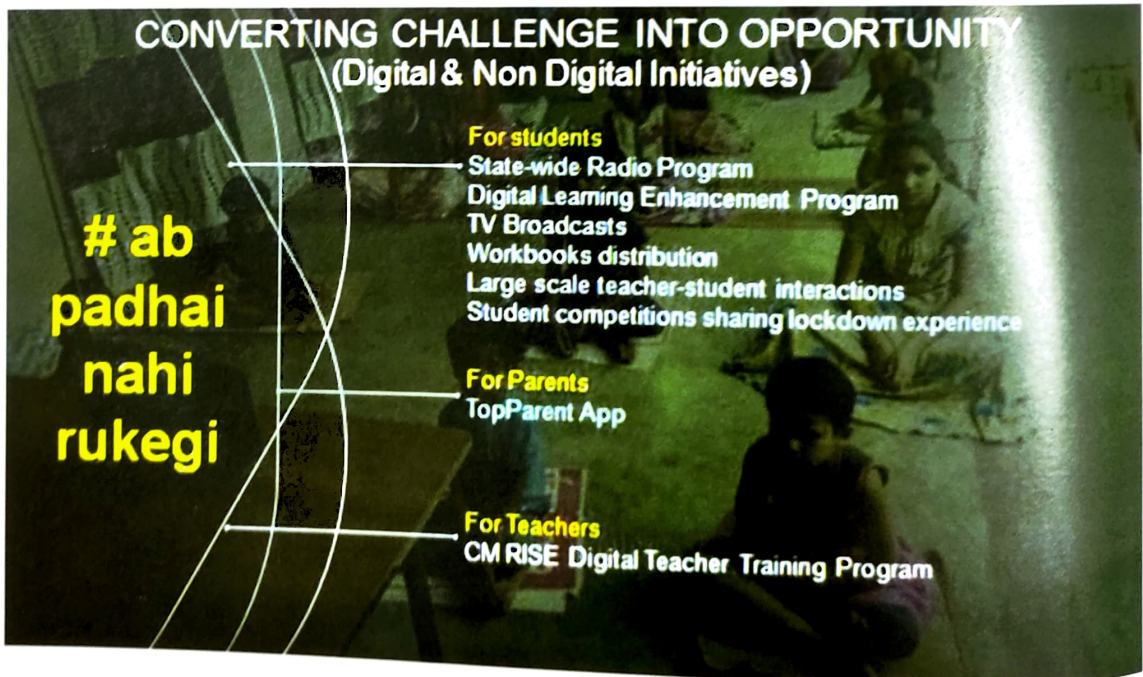
मद	स्वीकृत -राशि रु. करोड में	प्राप्त राशि -राशि रु. करोड में	व्यय- राशि रु. करोड में	प्रतिशत
सेकेंडरी एजुकेशन	1710.66	867.16	721.52	83%

भारत शासन से स्वीकृत द्वितीय किश्त की राशि (केपिटल हेड) में रु. 100 करोड़ 25.03.2020 को प्राप्त

“अब पढ़ाई नहीं रुकेगी”

COVID-19 स्कूल शिक्षा विभाग के लिए “एक चुनौती, एक अवसर”

कोविड-19 के अप्रत्याशित संकटकाल ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में श्रृंखलाबद्ध रूप से सकारात्मक और सार्थक प्रयास किए गए। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों एवं लम्बे समय के लॉकडाउन से विद्यालय बंद होने से बच्चों की सीखने की प्रगति प्रभावित हुई है, तथापि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यह प्रयास किया गया कि विद्यार्थियों की सीखने की निरन्तरता बनी रहे। इन प्रयासों में तकनीकी का उपयोग, डिजिटल शिक्षा पर जोर एवं अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया गया। कोविड-19 की परिस्थितियों में सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए, “अब पढ़ाई नहीं रुकेगी” थीम अंतर्गत सीखने की गतिविधियों को निरन्तर रखने के लिए अनेक प्रयास किये गए। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के कुल 98 लाख विद्यार्थियों में से केवल लगभग 30 प्रतिशत बच्चों के पास स्मार्ट फोन (लगभग 26 लाख) उपलब्ध हैं, लगभग 57 लाख के पास रेडियो और 53 लाख के पास टीवी उपलब्ध हैं। अतः डिजिटल और नान-डिजिटल दोनों प्रकार के प्रयास किए गए।



जिन विद्यार्थियों के पास डिवाइसेस उपलब्ध हैं, उनके लिए किए गए प्रयास -

1. रेडियो स्कूल प्रोग्राम - दिनांक 01 अप्रैल, 2020 अर्थात राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित होने के 8वें दिन से ही "रेडियो स्कूल" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को एकाग्रता और लक्ष्यभेद पर आधारित कहानी सुनाई। यह कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे अपरान्ह तक, आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी प्राथमिक प्रसारण केन्द्रों और विविध भारती केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया गया। कक्षा 1 और 2 के लिए टेक्स्ट बुक आधारित कार्यक्रम और प्रथम 04 महीनों तक कक्षा 3 से 8 के लिए दक्षता उन्नयन आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए गए। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 के लिए टेक्स्ट बुक आधारित at grade कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ग्लव, योग, फिजिकल लिटरेसी, को-करिकुलर एक्टिविटी आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए गए। अब 'भाषा आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रसारण को रोचक बनाने के लिए एनिमेटेड चरित्र 'रेडियो शिक्षक' तैयार किया गया। आकाशवाणी एवं रेडियो बन्या (आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कम्युनिटी रेडियो) के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रसारण 50 से 60 प्रतिशत बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को रेडियो पर बाल मनोरंजक गतिविधियाँ, बाल गीत, कहानियाँ आदि प्रसारित की जाती है।



Innovative stories from the field

Radio program helping the joint Rathore family to drive learning at home with social distancing awareness

District Anuppur
Block Jaitthari

Story

- The joint family of the Rathores consists of 10 kids across class 1 to 8
- Here's how they listen to radio each day while maintaining appropriate social distance



2. डिजिटल लर्निंग एनहैंसमेंट प्रोग्राम (DigiLEP) - लॉकडाउन के 15वें दिन दिनांक 8 अप्रैल 2020 से डीजीलैप (DigiLEP) के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके लिए शिक्षकों और पालकों के 50,000 से भी अधिक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। इन ग्रुप्स में समय, कक्षा और विषयवार रोचक वीडियो और क्यूरेटेड डिजिटल कंटेंट भेजा जा रहा है, लगभग 07 लाख प्रति दिन अधिकतम व्यूअरशिप प्राप्त की गई।

3. दूरदर्शन पर प्रसारण - दिनांक 11 मई, 2020 से सैकेण्डरी कक्षाओं के लिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर प्रसारण प्रारंभ किया गया। बाद में स्वयंप्रभा चैनल्स और लोकल केबल आपरेटरर्स के माध्यम से भी शैक्षणिक कंटेंट का प्रसारण प्रारंभ किया गया है। ग्रेड्स 9th से 11th के लिए प्रतिदिन 01 घंटा और कक्षा 12वीं के लिए 02 घंटे प्रतिदिन का प्रसारण किया गया इसके अलावा प्रतिदिन 30 मिनट तक वेमिक इंग्लिश का प्रसारण किया गया।

TV broadcasts with ~65%+ reach started to ensure minimal learning loss

- ✓ Content for grades 9-12 playing on Local Cable Channels for ~2 hours every day
- ✓ Four DD MP slots broadcast content for grades 9-12 for ~1 hour each across all subjects, available on all DTH platforms

TV CLASSROOM

अपने स्थानीय केबल नेटवर्क पर देखिए शैक्षिक कार्यक्रम
कक्षा 10वीं & 12वीं के छात्र देखिए दूरदर्शन क्लासरूम

दूरदर्शन पर क्लासरूम

11 मई से दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर 30 मिनट के कार्यक्रम क्लासरूम कक्षा 9th से 12th के लिए दोपहर 3 से 4 बजे तक।



4. ऑनलाइन क्लासेस - सैकेण्डरी ग्रेड्स के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के संबंध में शिक्षकों को मार्गदर्शित किया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं।



5. ग्रेड 1st से 10th के लिए व्हाट्सएप वेब्सट असेसमेंट - दिनांक 19 सितम्बर, 2020 में हिन्दी और गणित की दक्षता पर आधारित क्विज प्रेषित की गई। कुल सहभागिता लगभग 41 लाख और औसत मापनाहिक लगभग 13 लाख रही। ऐसे विद्यार्थी जिनके उत्तर सही नहीं रहे, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण अन्तर्गत दक्षता आधारित वीडियो भेजे गए। व्यक्तिगत सीखने के स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक छात्र की समग्र आईडी को डिवाइस से लिंक किया गया है, डाटा विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। वर्कशीट एवं होम वेब्सट प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रतिभा पर्व तथा वार्षिक मूल्यांकन (अर्धवार्षिक) की व्यवस्था की गई।

In closing, a snapshot of our digital efforts – which we intend to mainstream even after school opening



50000+ WhatsApp groups connecting state to parents

16 lakh+ parents on the groups as of date

~5 lakh students watching digital content shared everyday on these groups at 10 am

ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल उपकरण नहीं है, उनके लिए किए गए प्रयास -

1. हमारा घर हमारा विद्यालय - दिनांक 06 जुलाई, 2020 से यह कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ। शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तिकाओं का घर-घर वितरण किया गया। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल बुक्स का वितरण किया गया। वर्कशीट, गतिविधियों, वीडियो के साथ लिंक जोड़कर, लर्निंग आउटकम की रूपरेखा तैयार की गई। घर पर अध्ययन का वातावरण निर्मित करने के लिए माता पिता/अभिभावक/परिवार के अन्य सदस्यों की सहभागिता का प्रयास किया गया। "हमारा घर हमारा विद्यालय" अन्तर्गत पालकों के सहयोग से विद्यार्थी अपने घर में ही एक नियत स्थान पर प्रतिदिन प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे तक बैठ कर सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ करते हैं। शाम को 5:00 से 5:30 बजे तक सभी विद्यार्थियों के लिए खेलकूद, कलात्मक गतिविधि, योग, संगीत आदि के लिए समय निर्धारित किया गया है। शाम 7 से 8 बजे तक अपने घर के बड़ों से कहानी किस्से सुनना एवं उन्हें अपनी भाषा में लिखने की गतिविधि की जाती है। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग शिक्षा सेतु मोबाइल एप (एम शिक्षा मित्र) के माध्यम से की जा रही है। प्रतिदिन औसतन 80 प्रतिशत विद्यालयों के लगभग 1.75 लाख शिक्षकों द्वारा बच्चों से संपर्क कर जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाती है।

Week 4 - Grade 3-5

#अब पढ़ाई नहीं रुकेगी

Pg 4 of 8

दिनांक	3-Aug-20	4-Aug-20	5-Aug-20	6-Aug-20	7-Aug-20	8-Aug-20	9-Aug-20	
दिन	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार	
PART A: सीखने का उद्देश्य								
विषय	गणित	हिन्दी	गणित	हिन्दी	गणित	हिन्दी		
आज का सीखने का उद्देश्य	छोटी बड़ी संख्या की पहचान	घनांक के अक्षर, नव शब्दों की पहचान, पंक्ति और पंक्तियों के अक्षरों का अध्ययन	छोटी बड़ी संख्या की पहचान	गणों का घर, घुंकार शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान एवं पहचान	पैरों की पहचान	आजों की पहचान, नव शब्दों की पहचान, अनुक्रम व अनुक्रमिक शब्दों की पहचान		
10-11:00 AM DIGILEP वीडियो	https://bit.ly/3bV1TUV	https://bit.ly/3bV1TUV	https://bit.ly/3bV1TUV	https://bit.ly/3bV1TUV	https://bit.ly/3bV1TUV	https://bit.ly/3bV1TUV		
Digilep के सभी वीडियो इस लिंक पर भी उपलब्ध हैं: https://digischoolindia.com/ । यदि आपको वाट्सएप के माध्यम से लिंक प्राप्त नहीं होता है तो अगर फिर भी लिंक को डाउनलोड में डाल कर भी वीडियो देख सकते हैं।								
11-12 PM विशेष प्रमुख कार्यक्रम	विशेष कार्यक्रम शुरू कर देंगे। उनमें से कुछ कार्यक्रमों में विशेष गतिविधियाँ करेंगे व अंतराज्यिक अंतराज्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।							
12-1 PM वर्कशीट और गतिविधियाँ	आज का अध्ययन की कार्य 1 से 5 के वर्कशीट का 19.10 पर कार्य करना है।	आज का अध्ययन की कार्य 1 से 5 के वर्कशीट का 19.10 पर कार्य करना है।	आज का अध्ययन की कार्य 1 से 5 के वर्कशीट का 19.10 पर कार्य करना है।	आज का अध्ययन की कार्य 1 से 5 के वर्कशीट का 19.10 पर कार्य करना है।	आज का अध्ययन की कार्य 1 से 5 के वर्कशीट का 19.10 पर कार्य करना है।	आज का अध्ययन की कार्य 1 से 5 के वर्कशीट का 19.10 पर कार्य करना है।		
प्रतिदिन। बच्चे के काम	इस समय बच्चे प्रतिदिन एक पृष्ठ अंग्रेजी व एक पृष्ठ हिंदी लिखने का व अधिक गणित (जिसमें पढ़ाई होना चाहिए) का अध्ययन करेंगे।							
PART B: वर्कशीट गतिविधियाँ और विशेष कार्यक्रम								
5:00-5:30 PM विशेष कार्यक्रम	वर्कशीट अध्ययन एवं खेल कूद		कला शिक्षा		योग, स्वास्थ्य एवं पंचम		आज के पाठ्यक्रम का समापन	
5:30-6 PM वर्कशीट गतिविधियाँ	विशेष कार्यक्रम में विद्यार्थी सभी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे।							
PART C: पढ़ने का समय								
7-8 PM	अब हम पढ़ने का घर के सभी से बच्चे को सुनें और अपने वीडियो में बच्चे को सुनें।							



अब हम पढ़ने का घर के सभी से बच्चे को सुनें और अपने वीडियो में बच्चे को सुनें।





2. **खूब पढ़ो अभियान-** दिनांक 24 अक्टूबर 2020 से इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। "सुनना-बोलना" के अंतर्गत अभिभावकों से यह अपेक्षा की गई है कि बच्चे कहानी सुनें, उसे दोहराने का अभ्यास करें जिससे याददाश्त तेज हो सके, वह नवीन शब्दों से परिचित होते हुए उच्चारण कर सकें। "पढ़ना" इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक से प्रतिदिन कोई एक कहानी/कविता पढ़ें। घर के सदस्य उपस्थित रहें, उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दें। नवीन शब्दों के अर्थ खोजें, कहानी आगे बढ़ाएं, कहानी पर चर्चा/प्रश्न करें, कहानी के पात्र के रूप में स्वयं को आरोपित करें, कहानी पर अभिनय करें आदि। "लिखना" इसके अंतर्गत कहानी में आए नवीन शब्दों के अर्थ लिखें। घर पर/आस-पड़ोस से/बड़े भाई-बहन के सहयोग से प्रतिदिन एक पेज का हिन्दी व अंग्रेजी में श्रुतलेख करें। श्रुतलेख के साथ-साथ एक पेज हिन्दी व एक पेज अंग्रेजी का प्रतिदिन देखकर लिखने का भी अभ्यास करें। "एक मिनट का खेल" के अंतर्गत बच्चे आपस में मिलकर यह खेल खेलें कि वह एक मिनट में अधिकतम कितने शब्द पढ़ सकते हैं। घड़ी या मोबाइल पर समय देखकर यह खेल बारी-बारी से सभी बच्चे खेल सकते हैं, इसी प्रकार, छात्र घर पर गणित से संबंधित सीखने के खेल भी खेल सकते हैं, जैसे आकृति पहचानने का खेल, बच्चे अपने घर में मिलने वाली वस्तु, जैसे बर्तन, फल, सब्जी इत्यादि लेकर उनकी आकृति पहचान कर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा इसकी जाँच करवा सकते हैं।

अन्य प्रयास -

1. **शिक्षकों का ऑनलाइन सेवाकालीन प्रशिक्षण CM RISE (सीएम राइज़) -** प्रदेश में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से प्रदेश की प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। सीएम राइज़ कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों के लिए एक समग्र व्यावसायिक विकास पारिस्थिति की तंत्र तैयार करना है। शिक्षक क्षमता निर्माण के लिए मिश्रित मॉडल, विषय आधारित एवं शिक्षण प्रक्रिया आधारित प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए स्व अधिगण मंच और शिक्षक के व्यवसायिक जीवन के लिए आर्टी आधारीत ऑटो-जनरेटेड ट्रेनिंग कैलेंडर इसके प्रमुख घटक हैं। सीएम राइज़ के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षण पोर्टल-दीक्षा के माध्यम से राज्य के 2.70 लाख शिक्षकों और 10,000 अकादमिक अधिकारियों के कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की

संकल्पना की गई है। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित शिक्षकों को 18 माड्यूल्य उपलब्ध कराए गए। मध्य प्रदेश शिक्षक प्रशिक्षण में 10 लाख से अधिक कोर्स पूर्ण करने वाला प्रथम राज्य बना है। ये देश का पहला डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसने 02 मिलियन लर्निंग सेशंस पूर्ण किए। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रमुखता से उल्लेख "इंडिया रिपोर्ट्स डिजिटल एजुकेशन" तथा "निष्ठा" के संदर्भ में जारी मार्गदर्शिका में किया गया है।

2. NISTHA नेशनल इनीशिएटिव फार स्कूल हेड एण्ड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट - NCERT द्वारा मध्य प्रदेश 265430 शिक्षकों के (कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों) ज्ञान व कौशल को समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों के 18 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किये गए हैं। इस कार्यक्रम में NCERT के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त जिलों में संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है।

We have also used this time to upskill our teachers:
CM RISE Digital Teachers Training Programme launched



CM RISE | डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण
नए क्षितिज

- Single Sign On (SSO)
- Integrated with DIKSHA App
- Soft Skills as well as Content Based Modules
- Certification after Completion of Course

3. अलोहा प्रशिक्षण - लगभग 10,000 शिक्षकों ने आनंदम संस्थान द्वारा आयोजित "A life of happiness and fulfillment" प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त किया गया। इसी प्रकार MOOC के माध्यम से 7,000 शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण ब्रिटिश कौंसिल द्वारा ऑनलाइन प्रदान किया गया।

4. मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण - NAS(राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (2021) एवं PISA(छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय आकलन कार्यक्रम) के दृष्टिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन में केवल ज्ञान आधारित प्रश्नों के स्थान पर समझ आधारित अनुप्रयोग तथा तार्किक योग्यता आधारित उच्च गुणवत्ता के प्रश्नों का समावेश करने के लिए लॉकडाउन की अवधि में प्रश्न निर्माणकर्ता RIE (क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल) के रिसोर्स AIR (American Institute of Research) तथा EI (Education Initiatives) संस्था की टीम द्वारा

ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से उन्मुखीकरण किया गया। Art Integrated Education (STEAM) के बारे में उन्मुखीकरण हेतु IASE भोपाल द्वारा वेबिनार की सिरीज आयोजित की गई।

5. पीएलसी - पीएलसी शिक्षकों-प्रशिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए ऑनलाइन मंच है। शिक्षक अपने पठन-पाठन के तरीके पर चिंतन कर सकते हैं और अपने ज्ञान, क्षमता तथा अभिव्यक्ति के तरीके को बेहतर कर सकते हैं, इस मंच पर शिक्षा सम्बन्धी अलग-अलग विषयों (topics) पर फोरम बने हुए हैं शिक्षक अपने मनचाहे फोरम में शैक्षणिक अनुभव, ज्ञान, नवाचार, विद्यालय में की जा रही अच्छी गतिविधियाँ आदि अन्य सदस्यों से साझा कर सकते हैं। फोरम में अपने शैक्षणिक प्रश्न, फोटो आदि भी पोस्ट कर सकते हैं। फोरम में भागीदारी करके शिक्षक अपनी शैक्षणिक समस्याओं और जिज्ञासाओं के उत्तर अन्य सदस्यों से प्राप्त कर सकते हैं, वे स्वयं भी दूसरे शिक्षकों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं साथ ही उन्हें सुझाव दे कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विभिन्न फोरम्स में की जा रही चर्चाओं, गतिविधियों और पोस्ट्स को देखकर लाभ ले सकते हैं। इसमें अब तक 60225 पंजीयन हो चुके हैं, 2175 पोस्ट्स डाली गयी हैं।

6. अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिये जा रहे हैं।

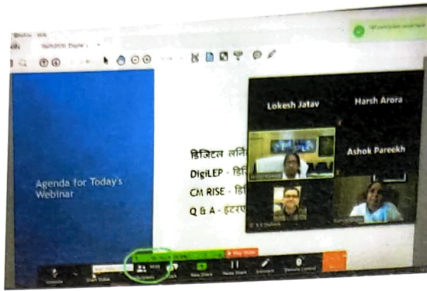
7. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लॉकडाउन अवधि में (जून 2020 में) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ संपन्न करा लीं। कोविड-19 की दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम का पुनर्नियोजन कर 60 प्रतिशत कक्षा आधारित तथा 40 प्रतिशत प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित किया गया है।

8. प्रदेश के समस्त 47 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में डी.एल.एड. पाठ्यक्रमों एवं 2 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु ऑन लाईन शिक्षण का कार्य किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के लगभग 10 हजार शिक्षक प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

9. सोशियो इमोशनल सपोर्ट कार्यक्रम (उमंग) - इसके अन्तर्गत कक्षा 6वी, 7वी और 9-12वी के लिए लाईफ-स्किल (जीवन कौशल) एजुकेशन मॉड्यूल्स प्रारंभ किए गए हैं। उमंग किशोर हेल्प लाइन स्थापित की गई है, कोविड 19 के दौरान 21000 कॉल्स आए (औसतन 190 कॉल्स प्रतिदिन)।

10. अभिभावकों से संपर्क - रेडियो तथा टेलिविजन के द्वारा अभिभावकों की काउंसलिंग की गई। ऑनलाईन पीटीएम तथा मीडब्ल्यूएसएन बच्चों के अभिभावकों के साथ स्पेशल पीटीएम आयोजित की गई। कॉल सेंटर्स के माध्यम से प्रतिदिन 500 + अभिभावकों से संपर्क कर सतत फीडबैक प्राप्त किया जाता रहा।

Large scale teacher-student and teacher-parent engagement has been orchestrated in a planned manner



A teacher webinar with more than 5000 participants

- State has asked **each teacher to call 5 students everyday**
- Instructions shared to speak with parents first, understand their situation and empathize, and then emphasize the importance of continuing education via various available modes
- In addition, **multiple innovations** seen in the field in the form of **mohalla-classes** with appropriate social distancing, **door to door visits** etc.

11. लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के शैक्षिक समर्थन के लिए, परिवार के हर वर्ग के लिए शिक्षा प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए "लॉकडाउन डायरी" तथा इस अवधि में सीखे गए कौशल संबंधी "नया हुनर", ग्रांड पैरेंट के द्वारा उनके अनुभव पर आधारित "पीढ़ियों का ज्ञान/धरोहर, लॉकडाउन अवधि में अभिभावकों और शिक्षकों के संस्मरण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

12. हमारे शिक्षकों ने भी विशेष प्रयास किए और मोहल्ला क्लासेस, लाउड स्पीकर्स, ऑनलाइन पी.टी.एम. आदि नवाचारों से अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को प्रेरित और जागरूक करने तथा शिक्षा का प्रवाह बनाए रखने के सतत प्रयास किए।



Local teachers creating small student groups to ensure learning continuity

District: Chhindwara

Interventions:

- Local teachers have made various small groups of children on the basis of their residential pocket to encourage them to listen radio program/ access whatsapp content etc. and prepare notes;
- They interact with students at these centers regularly to clear any doubts

Impact: ~75% of children are able to learn with each other following social distancing

13. शारीरिक साक्षरता संबंधी प्रशिक्षण - विभाग के पी.टी.आई. शिक्षकों के लिए एल.एन.सी.पी.ई., त्रिवेन्द्रम के सहयोग से 21 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 3,000 पी.टी.आई. प्रशिक्षित हुए। ई.एल.एम.एस., हैदराबाद के सहयोग से श्री पुलेला गोपीचंद तथा श्री अमिताभ बिन्द्रा के मार्गदर्शन में 350 पी.टी.आई. द्वारा "शारीरिक साक्षरता और खेल संस्कृति" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

14. विभागीय अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के लिए डिजिटल और ऑनलाइन तकनीक का उपयोग - कोविड 19 के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन वेबिनार, यूट्यूब और फेसबुक लाइव कार्यक्रम और वेबेक्स आदि का उपयोग करते हुए राज्य स्तरीय कार्यशालाएं और बैठकों का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कोविड परिस्थितियों में विभागीय प्राथमिकताएं, डिजिटल तकनीकों का उपयोग, डाइट शिक्षक/बी.एड. प्रशिक्षणार्थी/प्राचार्यों/पालको/शिक्षकों/विद्यार्थियों/संभाग एवं जिला स्तर के फील्ड अधिकारियों आदि से चर्चा, शैक्षिक संवाद, स्टीम प्रोजेक्ट, हमारा घर हमारा विद्यालय, लेसन प्लानिंग आदि पर ओरियंटेशन, प्रशिक्षण एवं परिसंवाद आयोजित किए गए। प्रदेश के शिक्षकों को यूट्यूब लाइव के माध्यमसे व्हाट्सएप आधारित असेसमेंट जैसे इनोवेशन संबंधी उन्मुखीकरण किया गया, फलस्वरूप प्रति सप्ताह 13 लाख से अधिक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी व्हाट्सएप आधारित असेसमेंट की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।

15. हिन्दी वर्णमाला गीत - शंकर महादेवन अकादमी, बैंगलुरु के सहयोग से हिन्दी वर्णमाला ऑडियो गीत (स्वर एवं व्यंजन के लिए पृथक-पृथक) तैयार कराए गए, इनके कॉमिक वर्जन भी तैयार कराए जाकर ऑनलाइन जारी किए गए।

16. शाला प्रारम्भ करने की स्थिति - शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कक्षा 1 से 8 की शालाएँ दिनांक 31.03.2021 तक बंद रहेंगी।

21 सितम्बर 2020 से कक्षा 9 से 12 की शालाएँ आंशिक रूप से प्रारम्भ की गई, जिसमें विद्यार्थी अभिभावकों से लिखित में सहमति प्राप्त कर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शाला आ सकते हैं।

दिनांक 18.12.2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं की शालाओं का संचालन नियमित रूप से हो रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षण भी जारी है।

3.2.2.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं तथा शासन से अनुदान प्राप्त सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान है। शाला प्रबन्धन समितियाँ, अपनी शाला की

शाला विकास योजना तैयार करने एवं स्थानीय स्तर पर शाला प्रबन्धन के कार्य दायित्वों का निर्वहन करती हैं। उक्त प्रावधान के तहत प्रदेश की समस्त उल्लेखित शालाओं में शाला प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों का कार्यकाल दो वर्षीय समयावधि का होता है। वर्ष 2019-21 हेतु समितियों का गठन वर्ष 2019 में किया गया है। कार्य संचालन एवं क्षमता संवर्धन हेतु संपूर्ण प्रदेश की शाला प्रबन्धन समितियों के चयनित सदस्यों का प्रशिक्षण भी विभागीय पद्धति से किया जा रहा है। शाला प्रबन्धन समितियों में, कक्षावार मेधावी विद्यार्थियों के पालक/अभिभावक, श्रेणीवार वंचित समूह एवं शाला प्रबन्धन समितियों के विधिमान्य रूप से चयनित पालक/अभिभावकों, स्थानीय कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के विधिमान्य रूप से चयनित पालक/अभिभावकों, 50 प्रतिशत न्यूनतम स्थान महिलाओं हेतु नियत है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011" बनाए गए हैं। यह नियम 26 मार्च 2011 को अधिसूचित किये गये हैं। नियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :

निजी स्कूलों को मान्यता- प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है कि सभी निजी स्कूलों को सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पदाविहित अधिकारी बनाया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत स्कूल संचालन के लिए शिक्षक और अधोसंरचना का न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया गया है। अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रदेश में निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए मोबाइल एप के माध्यम से अशासकीय स्कूलों को GEO टेग जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन करने तथा ऑनलाइन ही उनके सत्यापन एवं निराकरण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मान्यता आवेदनों के निराकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयी है।

शिक्षा सुविधा का विस्तार - बसाहट के नजदीक स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी बसाहट में 40 बच्चे उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्कूल और 12 बच्चे उपलब्ध होने पर माध्यमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। आवश्यक होने पर बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की व्यवस्था का प्रावधान नियम में किया गया है।

स्कूल खोलने के उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर प्रदेश की बसाहटों में शाला सुविधा उपलब्धता की अधिसूचना जारी की गई है।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश - अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में और यदि स्कूल में प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा में पड़ोस स्थित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। इन बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा बच्चों के आधार सत्यापन e-KYC कराकर की जा रही है।

अधिनियम के इस प्रावधान के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक लगभग 12 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में दिया गया है। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाने के लिए मध्य प्रदेश में सत्र 2016-17 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रक्रिया में समस्त पालकों को उनके

ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस में स्थित अशासकीय स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों को प्रदर्शित किया जाता है। पालको को अपनी पसंद के स्कूलों को चयन करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके पश्चात सत्यापन केन्द्रों पर सत्यापन हेतु जाकर पात्र/अपात्र का सत्यापन किया जाता है। पात्र बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल में चयनित कक्षा में आवंटन किया जाता है। पालको को अपने बच्चों के आवंटित स्कूल में प्रवेश दिलाने हेतु उपस्थित होना होता है। आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाती है एवं उसकी सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया से इस वर्ग के बच्चों को बेहतर स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त हो रहा है।

सत्र 2016-17 से अध्ययनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को और अत्यधिक पारदर्शी करते हुये आर.टी.ई. के तहत प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत् समस्त बच्चों का आधार सत्यापन कराया जाकर उनकी फीस प्रतिपूर्ति प्रारंभ की गई है। फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। इसके तहत पोर्टल के माध्यम से प्रायवेट स्कूलों द्वारा आधार सत्यापन करते हुये ऑनलाइन प्रपोजल बनाया जाकर नोडल अधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा जाता है। कोविड-19 के कारण बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु आधार सत्यापन में परेशानी हो रही है तो संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा 100 रुपये के शपथ पत्र प्रदान करने के उपरांत मान्य करने की व्यवस्था की गयी है। नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात जिले के सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृति उपरांत जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर के माध्यम से फीस की प्रतिपूर्ति की राशि सीधे स्कूल के बैंक खाते में की जाने की व्यवस्था की गयी है।

शिकायतों का निराकरण - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की जवाबदारी स्थानीय निकायों को दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन स्थानीय निकाय किस तरीके से करें इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला पंचायतों को शिकायत निवारण का दायित्व सौंपा गया है। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक नगरीय संस्था को यह दायित्व सौंपा गया है।

अधिसूचनाएं - अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं :-

1. वंचित समूह - अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत वंचित समूह को परिभाषित करने की अधिसूचना नवंबर 2010 में जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत निम्न समूहों को वंचित समूह में शामिल किया गया है। दिनांक 03 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें निम्न समूह शामिल हैं:-

- (i) अनुसूचित जाति
- (ii) अनुसूचित जन जाति
- (iii) विमुक्त जाति
- (iv) वन भूमि के पट्टाधारी परिवार/वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्रधारी परिवार
- (v) विकलांग बच्चे
- (vi) एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चे (सत्र 2018-19 से प्रभावशील)

2. कमजोर वर्ग - अधिनियम की धारा 2 (ड) के अंतर्गत कमजोर वर्ग को परिभाषित करने की अधिसूचना नवम्बर 2010 को जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को शामिल किया गया है। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है।

- 3 अकादमिक प्राधिकार - अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकरण घोषित करने संबंधी अधिसूचना जुलाई 2010 में जारी की जा चुकी है।
- 4 राज्य सलाहकार परिषद - अधिनियम की धारा 34 के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन की कार्यवाही फरवरी 2012 में की जा चुकी है। परिषद के द्वितीय कार्यकाल के गठन की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 17.03.2015 को जारी की गई है।
- 5 उपस्थिति प्राधिकारी - अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिलों में कार्यरत जनशिक्षकों को उनके क्षेत्र की शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति प्राधिकारी (Attendance Authority) नामांकित किया गया है।
- 6 वर्ष 2017-18 में शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 तथा नियम 18 में संशोधन किया गया।

1. नियम 12 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा गया, अर्थात् :-
 "(8) (एक) समिति के पालकों या अभिभावकों में से निर्वाचित सदस्य/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को अशोभनीय व्यवहार, नैतिक पतन, कर्तव्य निष्पादन न करने, किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की शिकायत पर जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब डिविजन अधिकारी द्वारा पद से हटा दिया जायेगा, परन्तु उस सदस्य को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(दो) समिति के अध्यक्ष को, जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब-डिविजन अधिकारी द्वारा समिति की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत पर पद से हटा दिया जाएगा, परन्तु अध्यक्ष को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(तीन) सब-डिविजन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील दाखिल कर सकेगा। कलेक्टर, यदि वह विलंब के कारणों से संतुष्ट है, अपील के आवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी दे सकेगा। कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।"

2. नियम 18 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया गया अर्थात् :-

"(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी :-

- (क) नियमित आधार पर, बालक की समग्र गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन करेगा ;
- (ख) समस्त प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करेगा; तथा
- (ग) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

अधिनियम के तहत पूर्व में जो मुख्य निर्देश जारी किये गये हैं वह निम्नानुसार है

1. धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी है। अतः शासकीय शालाओं में किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जायेगी जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।

2. धारा 4 के अनुसार चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जायेगा तथा तदुपरांत उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था आवासीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जायेगी अर्थात् कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं रहेगा।
3. धारा 5 के अनुसार बच्चों द्वारा शाला छोड़ने पर उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (IC) तुरन्त प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसी शाला जो प्राथमिक स्तर तक की हैं उनमें कक्षा 5वीं पास करने वाले बच्चों को अंक सूची के साथ ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में छात्र द्वारा आवेदन करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 7 दिवस की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। धारा 5 (2) के अनुसार समय सीमा में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान न करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. धारा 14 (2) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
5. धारा 15 के अनुसार किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में या विहित विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
6. धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही शाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।
7. धारा 17 के अनुसार स्कूल में नांमाकित किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
8. धारा 24 के अनुसार शाला के शिक्षकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अकादमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:-
 - (i) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।
 - (ii) समय सीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।
 - (iii) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।
 - (iv) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, और उसके अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठन पाठन कराना।
 - (v) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमिता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।
 - (vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिन्हित किए जाए।
9. धारा 27 के अनुसार शिक्षकों का जन गणना, चुनाव तथा आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजन निषिद्ध है।
10. धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्रायवेत द्यूशन अथवा प्रायवेत रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकेगा।
11. धारा 29 (2) के अनुसार शाला में बच्चों को गतिविधि आधारित प्रक्रियाओं एवं बाल केन्द्रित गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन कराया जाएगा।
12. धारा 30 (2) के अनुसार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक लर्निंग रेकार्ड रखना अनिवार्य होगा।
13. अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के घंटे भी निर्धारित हैं:-

न्यूनतम कार्य दिवस/शिक्षण के घंटे

- (i) न्यूनतम कार्य दिवस ——— प्राथमिक स्तर -200 दिवस
- (ii) न्यूनतम कार्य दिवस ——— माध्यमिक स्तर-220 दिवस
- (iii) प्राथमिक स्तर ——— 800 शैक्षणिक घंटे
- (iv) माध्यमिक स्तर ——— 1000 शैक्षणिक घंटे
- (v) शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे—45 घंटे (पठन पाठन तैयारी के घंटे सहित)

● शाला सुविधा उपलब्धता -

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जानी है।
- निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पड़ोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अधिसूचना जारी।

3.2.2.2 स्कूल चलें हम अभियान 2020-21

स्कूल में नामांकन कराने, सतत् रूप से स्कूल आने के लिये प्रेरित करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "स्कूल चलें हम अभियान" को जन आन्दोलन के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस सत्र में विद्यालय का संचालन नहीं किया गया है। शिक्षकों द्वारा दूरभाष/कोविड-19 के निर्देशों के अनुसार पालकों से संपर्क कर नामांकन का कार्य संपन्न किया गया।

3.2.2.3 नवीन आवासीय बालक छात्रावास

बेघर अनाथ, पन्नी बीनने वाले, प्लेट फार्म, बस स्टेण्ड में पाये जाने वाले शाला से बाहर बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में 100 सीटर बालक आवासीय छात्रावास का प्रावधान है। 52 जिलों में 66 बालक आवासीय छात्रावासों में 6600 बच्चों को लाभांवित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में प्रति 100 सीटर छात्रावास हेतु रुपये 35.25 लाख का बजट वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत किया गया है।

नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस सत्र में बालक आवासीय छात्रावास का संचालन नहीं किया गया है।

3.2.2.4 आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एस.टी.)

आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) के माध्यम से शाला से बाहर रहे बच्चे जो शाला त्यागी या अप्रवेशी हैं इनके लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) में बच्चों को रखकर उनकी आयु के अनुरूप दक्षता उपलब्ध कराई जाती है। आवासीय विशेष केन्द्रों में बच्चों को आवासीय सुविधा, भोजन, एवं शैक्षिक सुविधा प्रदान की जाती है।

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में 9150 बच्चों के लिए 52 जिलों में आवासीय विशेष केन्द्र का प्रावधान था परंतु कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस सत्र में आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन नहीं किया गया है।

3.2.2.5 पलायन छात्रावास –

परिवार प्रायः खेती के समय या रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर पलायन करते हैं तथा अपने साथ शाला जाने योग्य बच्चों को भी ले जाते हैं। जिससे इनकी पढ़ाई अवरोध होती है। कक्षा में वापस आने के बाद उनकी दक्षताएं अपने साथी से कम हो जाती हैं, जिससे वे साथियों की गति से नहीं सीख पाते हैं, इससे उनमें हीन भावना आने लगती है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। धीरे-धीरे वे इसके कारण ड्रॉपआउट हो जाते हैं। अतः प्रवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा की निरन्तरता में कोई बाधा न आये, इसके लिए पलायन छात्रावासों का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में 7045 बच्चों के लिए 18 जिलों में पलायन छात्रावास का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था, परंतु कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस सत्र में पलायन छात्रावासों का संचालन नहीं किया गया है।

3.2.2.6 बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय –

बालिका छात्रावास— प्रारंभिक शिक्षा सुविधा से वंचित रहने वाली बेघर अनाथ, शाला से बाहर बालिकाओं के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बालिका छात्रावास योजना आरंभ की गई है। वर्तमान में 324 छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 23100 बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। बालिका छात्रावास की गतिविधियों के अंतर्गत बालिकाओं को वृत्तिका, आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेन्ट, लायब्रेरी एवं उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए 02 बालिका छात्रावास भोपाल एवं बुरहानपुर में संचालित हैं।



बालिका छात्रावास अहार विकासखंड बलदेव गढ़ जिला टीकमगढ़

वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना में भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 324 बालिका छात्रावास के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण बालिका छात्रावासों का संचालन नहीं किया गया है। अपितु हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत वार्डन एवं सहायक वार्डन के द्वारा बालिकाओं को उनके घर में संपर्क कर शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय— कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत शासन की योजना है, जिसके अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे विकासखंड (जहां महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से कम तथा महिला व पुरुष साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत से अधिक हो) वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ किये गये हैं।



बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्वीकृति भारत शासन द्वारा प्रदान की गई है। योजना का उद्देश्य 75 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की व 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली, अनाथ, बेसहारा एवं एकल परिवार की बालिकाओं को 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में संचालित 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लगभग 30975 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में 08 आकांक्षी जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सहित कुल 66 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 6 से 12वीं तक आवासीय सुविधा के रूप में उन्नयन किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ भोजन, स्पोर्ट्स, आत्मरक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2020-21 में भी भारत सरकार के द्वारा वार्षिक कार्य योजना में 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु कोविड-19 के संक्रमण के कारण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन नहीं किया गया है, अपितु हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत वार्डन एवं सहायक वार्डन के द्वारा बालिकाओं को उनके घर में संपर्क कर शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया है।



3.2.2.7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (आई.ई.डी.)

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की समावेशित शिक्षा का क्रियान्वयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत सर्वे में वर्ष 2020-21 में प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के 94525 सीडब्लूएसएन बच्चों का चिन्हांकन करने के उपरांत सामान्य शालाओं में नामांकन किया गया है तथा चिन्हांकित बच्चों की शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि की जा रही है। समावेशित शिक्षा अंतर्गत उपरोक्त दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सहयोग देने, इनके शिक्षकों एवं पालकों को दिव्यांगता के विषय में सहयोग करने के लिए 386 मोबाइल स्रोत सलाहकार (विशेष शिक्षक) विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ हैं। जिला स्तर पर समावेशित शिक्षा के क्रियान्वयन तथा मानीटरिंग के लिए 28 जिलों में प्रशिक्षित सहायक परियोजना समन्वयक (आई.ई.डी.) भी पदस्थ है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज 1145 दृष्टिबाधित बच्चों को शासकीय ब्रेल प्रेस भोपाल के माध्यम से ब्रेललिपि की पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करवाकर उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रदेश के सभी 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट) में एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र एवं आगर-मालवा जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले के दो विकासखण्डों में एक-एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन संसाधन केन्द्रों का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन, सी.डब्लू.एस.एन. बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं सामान्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, पालकों के प्रशिक्षण आदि में किया जा रहा है।

आई.ई.डी. वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार सीडब्लूएसएन बच्चों के लिए परिवहन भत्ता राशि रु. 250/- प्रति माह मार्गरक्षण भत्ता राशि रु. 250/- प्रति माह, वाचन भत्ता रु. 160/-प्रति माह एवं सीडब्लूएसएन बालिकाओं को रु. 200/- प्रति माह के मान से स्टाइफंड 10 माह की अवधि के लिए भुगतान इनके बैंक खातों में वन क्लिक के माध्यम से राज्य स्तर से ऑनलाइन किया जा रहा है।

कोविड-19 के दृष्टिगत आई.ई.डी की वर्ष 2020-21 में मुख्य रूप से निम्नानुसार गतिविधियां सम्पन्न की गईं-

1. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा डिजीलेप कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिदिन जिलों को बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित अकादमिक सामग्री रोचक वीडियो ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। इस सामग्री को जिलों के विकासखंड स्तर पर पदस्थ मोबाइल स्रोत सलाहकारों द्वारा सीडब्लूएसएन बच्चों के दृष्टिगत कर बच्चों के अभिभावकों के ग्रुप में भेजकर पढ़ा रहे हैं।
2. हमारा घर हमारा विद्यालय योजना अंतर्गत शिक्षकों के साथ-साथ मोबाइल स्रोत सलाहकार भी बच्चों के घर पहुंचकर उन्हें अभिभावकों की उपस्थिति में उनके घरों में पढ़ाई करा रहे हैं।
3. विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों को पढ़ाने की तकनीक आदि पर स्वयं सेवी संस्था साईटसेवर के सहयोग से प्रदेश के समस्त 386 मोबाइल स्रोत सलाहकारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
4. स्वयं सेवा संस्था साईटसेवर के सहयोग से समस्त जिलों के (प्रति जिला 50) सीडब्लूएसएन बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा एवं बच्चों की दैनिक गतिविधियां पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
5. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको) जबलपुर एवं उज्जैन के सहयोग से प्रदेश के 24 जिलों के विकासखंड स्तर पर सीडब्लूएसएन बच्चों के चिकित्सीय मूल्यांकन शिविरों को आयोजन किया जा रहा है। मूल्यांकन शिविर उपरांत चिन्हित बच्चों को निःशुल्क उचित उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
6. भारत सरकार के संस्थानों के सहयोग से डेजीफोरम ऑफ इंडिया द्वारा सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सहायक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान किया गया है, जिसके तहत राज्य शिक्षा केन्द्र

द्वारा स्वयं सेवी संस्था साईटसेवर्स भोपाल के सहयोग से सुगम्य पुस्तकालय पर दृष्टिबाधित बच्चों की पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पठन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे जिलों के दृष्टिबाधित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

3.2.2.8 शालाओं को अनुदान

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शाला के रखरखाव एवं नैमेतिक राशि को जोड़कर शाला की दर्ज संख्या के आधार पर स्कूल कम्पोजिट ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है। सत्र 2020-21 से स्कूल कम्पोजिट ग्रान्ट दर्ज संख्या के आधार पर शाला प्रबंध समिति को प्रदाय की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

स.क्रं.	शाला का विवरण नामांकन के आधार पर	प्रदाय की जाने वाली कम्पोजिट ग्रान्ट
1	1-15 तक नामांकन वाली शालाएं	12500
2	16-100 तक नामांकन वाली शालाएं	25000
3	101-250 तक नामांकन वाली शालाएं	50000
4	251-1000 तक नामांकन वाली शालाएं	75000
5	1001 से अधिक नामांकन वाली शालाएं	100000

3.2.2.9 शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 2020-21 पीएबी में अनुमोदन उपरांत समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कोविड-19 की परिस्थितियों के निर्मित होने के कारण राज्य द्वारा फेस टू फेस मोड में प्रशिक्षण आयोजित किया जाना संभव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसके माध्यम से शिक्षक द्वारा समय-समय पर राज्य द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों द्वारा स्वयं लॉग इन करके प्रशिक्षण प्राप्त किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

- CM RISE प्रशिक्षण:-** राज्य में पीपुल संस्था के सहयोग से प्रदेश के समस्त 2.70 हजार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों को दीक्षा मंच पर रजिस्ट्रेशन किया गया और प्रत्येक शिक्षक द्वारा स्वयं लॉगइन करके CM RISE अंतर्गत विभिन्न अकादमिक एवं व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही इस कार्य की मॉनिटरिंग राज्य जिला/डाईट, बीआरसी, बीएसी, सीएसी, बीआरसी द्वारा की गई पीपुल संस्था की टीम द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्कूली स्तर तक शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी सहयोग प्रदान किये गये।
- BAC- CAC प्रशिक्षण:-** यूनिसेफ के सहयोग से समस्त 6511 बीएसी-सीएसी को ऑनलाईन यू-ट्यूब के माध्यम से उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- NISHTHA (नेशनल इनीशिएटिव फार स्कूल हेड एण्ड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) प्रशिक्षण:-** मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनूठी पहल के अंतर्गत समस्त राज्यों के लगभग 42 लाख शिक्षकों को एक साथ NCERT, CIET, एवं नीपा के अथक प्रयास से सामग्री विषयों, विषयवार पेडॉगजी, लीडरशिप कोविड-19 POC SO एक्ट प्रीस्कूल आदि विषयों समाहित करते हुए निर्मित 18 मॉड्यूल, जो शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रशासकों के ऑनलाईन मोड में तैयार किये गये हैं। इनको 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 NCERT द्वारा प्रेषित लिंक के माध्यम से निश्चित समय सीमा के लिए खोला गया। प्रदेश लगभग 265430 समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों द्वारा दीक्षा एप पर स्वयं लॉगइन कर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त किया गया 3-3 मॉड्यूल को 6 कोर्स में पूरा किया गया। प्रत्येक 3 मॉड्यूल पूरा करने के उपरांत प्रत्येक शिक्षक को कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट

ऑन लाइन जारी किया गया। पूरे 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन शिक्षकों को Competency based Test (CBT) Online ही NCERT द्वारा आयोजित किया जायेगा। इस परीक्षण/टेस्ट में जिन शिक्षकों का 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। उन्हें निष्ठा कोर्स पूर्ण करने का Completion Certificate NCERT द्वारा प्रदान किया जायेगा। कुछ शिक्षकों द्वारा तकनीकी कठिनाई के कारण कुछ मॉड्यूल में प्रशिक्षण लेने में असुविधा महसूस की गई। ऐसे शिक्षकों हेतु 16 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक पुनः समस्त 18 मॉड्यूल की लिंक ओपन की जायेगी, ताकि राष्ट्र के गुणवत्तापूर्ण विशिष्ट (निष्ठा) प्रशिक्षण का लाभ समस्त शिक्षकों को प्राप्त हो सकें।

4. नवनियुक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रशिक्षण:- समस्त 52 जिलों के जिला परियोजना समन्वयक पूर्व से पदस्थ एवं नवनियुक्त जिला परियोजना समन्वयकों को समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व, सूचना का अधिकार, आदि विषयों में जूम के माध्यम से राज्य स्तर के विशेषज्ञों पीरामल एवं साथ टीम के विशेषज्ञ द्वारा 5 दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
5. समावेशित शिक्षा पर प्रशिक्षण:- साईट सेवर के सहयोग से समस्त जिला परियोजना समन्वयक, डाईट प्राचार्य, एपीसी आईईडी, मोबाइल स्रोत सलाहकार को, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पालकों को ऑनलाईन जूम मीटिंग/यूट्यूब के माध्यम से कोविड-19 की परिस्थिति में बच्चों की देखभाल, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, अस्थिबाधित, डिजीलेप, हमारा घर हमारा विद्यालय आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

प्रशिक्षण का विषय एवं संक्षिप्त विवरण	प्रशिक्षण दिनांक	प्रतिभागी लक्ष्य/ उपलब्धि	प्रशिक्षण की विषयवस्तु
1. समावेशित शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास (राशिके के पाठ्यक्रम, आईईडी के अधिकारी तथा जिलों के एपीसी आईईडी) - कार्यक्रम में एनसीईआरटी नई दिल्ली की प्रोफेसर अनिता जुल्का, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के डॉ. पंकज कुमार, श्री अखिल पॉल सेंस इंटरनेशनल के अतिरिक्त साईटसेवर्स भोपाल एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक के साथ आईईडी कक्ष के प्रतिनिधियों ने उन्मुखीकरण प्रदान किया।	25.07.2020	60 / 57	- समावेशित शिक्षा संबंधी अधिगम सामग्री का विकास की विधाएं -सामग्री तैयार करने की तकनीक-सामग्री का ऑनलाईन प्रदर्शन
2. समावेशित शिक्षा के तहत शैक्षिक प्रशासकों का उन्मुखीकरण (प्रतिभागी समस्त जिलों के डीपीसी, डाईट प्राचार्य) - कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक के अतिरिक्त आईईडी कक्ष के प्रतिनिधि, साईटसेवर्स के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया।	15.09.2020	95 / 64	-वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 की स्वीकृत गतिविधियां (मूल्यांकन एवं उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन, परिवहन, मार्गरक्षण, वाचन भत्ता, सीडब्लूएसएन बालिकाओं को स्टायफंड, संसाधन कक्षों का संचालन एवं सुदृढीकरण, विश्वविकलांग दिवस, टीएलएम, ब्रेलपुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण,

			प्रशासकों का प्रशिक्षण, एमआरसी प्रशिक्षण) –कोविड–19 परिस्थितियों के तहत उपरोक्त गतिविधियों का क्रियान्वयन (कैसे–कब) –जिले के एपीसी (आईईडी) / प्रभारी के कार्यों की समीक्षा (मुख्य बिन्दु–गतिविधियों की राशियां जारी करना एमईआर में एंट्री कराना, कोविड–19 के दृष्टिगत एमआरसी की समीक्षा बैठक, मानीटरिंग, डिजिलेप कार्यक्रम, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम तथा सी.एम. राईस कार्यक्रम के संचालन की समीक्षा) –विकासखंड के एमआरसी के कार्यों की समीक्षा (कोविड–19 के दृष्टिगत ऑनलाइन अकादमिक गतिविधियां, गृह आधारित शिक्षा, आईईपी निर्माण एवं क्रियान्वयन, सफलता की कहानी आदि) –सीडब्लूएसएन बच्चों की पोर्टल पर एंट्री –ब्रेललिपि की पाठ्यपुस्तकों का वितरण –साईट सेवर्स द्वारा बच्चों के तकनीकी शिक्षण/ प्रशिक्षण/ पालक उन्मुखीकरण, ऑनलाइन शिक्षण/प्रशिक्षण में सहयोग –प्राचार्य डाइट द्वारा जिले के एपीसी(आईईडी) और एमआरसी को उनकी डाइट में होने वाले समस्त प्रशिक्षणों में शामिल कर समावेशित शिक्षा गतिविधियों पर चर्चा कराना। –समस्याएं एवं समाधान (फीडबैक) क्रियान्वयन की समीक्षा
3	मोबाइल स्ट्रोत सलाहकारों का मल्टीकैटेगरी प्रशिक्षण (प्रतिभागी समस्त जिलों के कुल 386 एमआरसी एवं एपीसी आईईडी) – कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक के अतिरिक्त आईईडी कक्ष के प्रतिनिधि, साईट सेवर्स के प्रतिनिधियों के साथ ही राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान	17–18.09.2020	437 / 416

– दिव्यांगजन अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यांगताओं के बारे में बातों पर चर्चा

–राज्य शिक्षा केन्द्र ऑनलाइन कार्यक्रम डिजिट की सामग्री को दिव्यांग बच्चों

देहरादून के डॉ. पंकज कुमार, श्री कलीम सिद्दीकी दिग्दर्शिका संस्था भोपाल, डॉ. मेजर अनुराधा आस्थाग्राम ट्रस्ट खरगौन ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

के दृष्टिगत तैयार कर प्रदान करने पर चर्चा

—हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम एवं गृह आधारित शिक्षा पर एमआरसी द्वारा भ्रमण कर फीडबैक प्रदान करना

—दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बौद्धिक दिव्यांगता एवं अस्थिबाधित आदि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा

—समावेशित शिक्षा योजना की चुनौतियां एवं क्रास दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर चर्चा

—शिक्षकों से सी.एम. राईज कार्यक्रम के तहत उनकी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की तकनीक साझा करने पर चर्चा।

4 सीडब्लूएसएन बच्चों के अभिभावकों का प्रशिक्षण (प्रतिभागी-30 जिलों के प्रति जिला 50 अभिभावक, एमआरसी) — कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक महो. के अतिरिक्त आईईडी कक्ष के प्रतिनिधि, साईट सेवर्स के प्रतिनिधियों के साथ ही एपीसी आईईडी गुना, ग्वालियर तथा इन्दौर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

27-28.10.
2020

1500 / 1308

—विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों की कोरोना काल में दिनचर्या

—इन बच्चों की कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था

—गृह आधारित शिक्षा की चुनौतियां, समस्याएं एवं समाधान

—फीडबैक, अभिभावकों की विभिन्न समस्याओं पर समाधान, सुझाव

5 सीडब्लूएसएन बच्चों के अभिभावकों का प्रशिक्षण (प्रतिभागी-शेष 21 जिलों के प्रतिजिला 50 अभिभावक, एमआरसी) — कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक के अतिरिक्त आईईडी कक्ष के प्रतिनिधि, साईट सेवर्स के प्रतिनिधियों के साथ ही एपीसी आईईडी सिंगरौली, ग्वालियर तथा देवास द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

15-16.12.
2020

1050 / 891

—विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों की कोरोना काल में दिनचर्या

—इन बच्चों की कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था

—गृह आधारित शिक्षा की चुनौतियां, समस्याएं एवं समाधान

—फीडबैक, अभिभावकों की विभिन्न समस्याओं पर समाधान, सुझाव

शारीरिक साक्षरता

- पीटीआई के लिए LNCPE द्वारा आयोजित 21 दिन का प्रशिक्षण 3,000 पीटीआई प्रशिक्षित हुए हैं।
- 350 पीटीआई ने शारीरिक साक्षरता और खेल संस्कृति "ELMS के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया (श्री पी. गोपीचंद और श्री अभिनव बिंद्रा के मार्गदर्शन में) आयोजित किया गया।



- अलोहा प्रशिक्षण आनंदम सस्थान द्वारा "A life of happiness and fulfillment" पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया इस प्रशिक्षण में लगभग 10000 शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। यह प्रशिक्षण 80 घंटों का था।
 - इसी प्रकार MOOC के माध्यम से 7000 शिक्षकों को अंग्रेजी का प्रशिक्षण ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से दिया गया।
6. **शैक्षिक संवाद:-** निष्ठा प्रशिक्षण के फालोअप के रूप में राज्य द्वारा समय सारिणी अनुसार क्रमशः 1 से 18 मॉड्यूल का 6 चरणों में 3-3 मॉड्यूल प्रति चरण पूर्ण होने के उपरांत संबंधित मॉड्यूल पर विभिन्न डाईट को चरणवार पूर्ण किये गये मॉड्यूल पर डाईट फैंकल्टी एवं शिक्षक दोनों के संयुक्त प्रयास से प्रजेंटेशन तैयार किया गया, जिसे अकादमिक रूप से एनआरजी/एसआरजी द्वारा समेकन किया गया तथा टेक्निकल रूप से पीपुल टीम के सहयोग प्रदान किया तथा राज्य स्तर से ऑनलाईन जूम लिंक के माध्यम से लाईव प्रस्तुतीकरण की गई, जिसे यू ट्यूब लिंक के माध्यम से समस्त 2,65,430 शिक्षकों द्वारा जुड़कर उसे देखा गया कि किस प्रकार इन मॉड्यूल का उपयोग कक्षा शिक्षण में शिक्षक बच्चों के साथ कैसे करेंगे, इसपर उन्हें विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सीधे राज्य स्तर से विशेषज्ञों का लाभ प्राप्त हुआ। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप की संभावना से बचने में यह सहयोगी रहा। साथ ही समस्त जिलों के शिक्षकों को एक समान एक सा शैक्षिक संवाद का प्रशिक्षण प्राप्त करने का लाभ मिला।
7. **मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण:-** NAS (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे) 2021 एवं PISA (छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय आकलन कार्यक्रम) 2022 के दृष्टिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन में केवल ज्ञान आधारित प्रश्नों के स्थान पर समझ आधारित, अनुप्रयोग आधारित तथा तार्किक योग्यता आधारित उच्च गुणवत्ता के प्रश्नों का समावेश करने के लिए लॉकडाउन की अवधि में प्रश्न निर्माणकर्ता (रिसोर्स पर्सन) का RIE (क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान) भोपाल, AIR (American Institute of Research) तथा EI (Education Initiative) संस्था की टीम द्वारा ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से विषयवार पांच सत्रों में उन्मुखीकरण, इससे 250 से अधिक प्रश्न निर्माता एवं मॉडरेटर लाभान्वित हुए।

कोविड-19 की परिस्थितियों में वॉट्सअप एप आधारित असेसमेंट जैसे इनोवेशन के लिए प्रदेश के शिक्षकों को Youtube Live के माध्यम से उन्मुखीकरण (Convey Genius) संस्था के माध्यम से इसके परिणाम स्वरूप प्रति सप्ताह 13 लाख से अधिक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी वॉट्सअप आधारित असेसमेंट की प्रक्रिया शामिल हो रहे हैं।

8. पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण:- कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टीम, प्रोजेक्ट, हमारा घर हमारा विद्यालय, शैक्षिक संवाद, वर्तमान विभागीय प्राथमिकताएं डिजिटल डिजाइन, सी.एम.राईज़, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर ऑनलाइन कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ऑनलाइन प्रशिक्षण	दिनांक	प्रशिक्षण एजेंसी	प्रशिक्षण का विषय	सहभागी	संख्या	कुल व्यूज
1.	मेथ्स किट्स	21 दिसम्बर 2020	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान	मेथ्स किट का व्यावहारिक उपयोग	BRC, CAC, BAC, बीएड प्रशिक्षणार्थी, डाईट शिक्षक	3,500	-
2	स्टीम प्रोजेक्ट	11-12 नवम्बर 2020	रीजनल साइंस सेंटर	स्टीम प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण	BRC, CAC, BAC, बीएड प्रशिक्षणार्थी, डाईट शिक्षक	6,000	-
3.	स्टीम उन्मुखीकरण	25 सितम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	स्टीम पाठयोजना कैसे तैयार होगी?	SISE, IASE भोपाल, डाईट बीएड, एमएड प्रशिक्षणार्थी	480	-
4	हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक	26 जून	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक लाइव- प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों पर प्रमुख सचिव एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संवाद	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	87,689	3,11,700
5	कक्षा 9 से 12 की शैक्षिक गतिविधियों	30 जून	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक लाइव पर प्रमुख सचिव एवं आयुक्त लोकशिक्षण द्वारा संवाद	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	18,046	1,80,900
6	हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 9 से 12	18 जुलाई	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	18,032	1,10,530
7	शैक्षिक संवाद	25 जुलाई	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	3,863	42,597
8	वर्तमान विभागीय प्राथमिकताएं एवं योजनाएं	28 जुलाई	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को जिला कार्यालय का अमला	941	9,529
9	प्रारंभिक शिक्षा पर शैक्षिक संवाद	26 जुलाई	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	36,781	2,50,900
10	हमारा घर हमारा विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण	7 अगस्त	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	12,060	71,965

11	डिजिटल डिजाइन प्रशिक्षण "जिज्ञासा" तथा ऑनलाईन मॉनिटरिंग मोबाइल एप का शुभारंभ	12 अगस्त	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक लाइव- माननीय मंत्री जी द्वारा शंकर महादेवन अकादमी द्वारा निर्मित हिन्दी वर्णमाला गीतों का लोकार्पण	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	21,300	1,19,900
12	मानसिक स्वास्थ्य का लोकार्पण एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए विजन डाक्यूमेंट वेबिनार का शुभारंभ	16 अगस्त	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक लाइव - माननीय मंत्री जी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल-	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	22,615	1,27,700
13	शैक्षिक संवाद	20 अगस्त	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक लाइव प्रारंभिक शिक्षा	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	20,101	2,34,000
14	वाट्सएप आधारित मूल्यांक पर राज्य स्तरीय संवाद	2 सितम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	18,391	1,03,000
15	"हमारा घर हमारा विद्यालय" रेडियों कार्यक्रम फेसबुक प्रसारण	7 सितम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	फेसबुक- आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के	पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों	1,719	52,900
16	शैक्षिक संवाद, प्रारंभिक शिक्षा	17 सितम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	50,127	2,03,473
17	शैक्षिक संवाद	18 सितम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	55,260	1,50,205
18	डीएस साईज स्कूल वरिष्ठीकरण प्रशिक्षण	6 अक्टूबर	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	2,565	12,667
19	शैक्षिक संवाद निष्ठा प्रशिक्षण	6 अक्टूबर	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	1,01,000	1,92,000
20	शैक्षिक	9	राज्य	यूट्यूब लाइव	प्राचार्यों एवं	34,821	1,25,449

	संवाद पब्लिक रिस्पॉन्ड कोविड-19	अक्टूबर	शिक्षा केन्द्र		शिक्षकों को		
21	शैक्षिक संवाद प्रारंभिक शिक्षा निष्ठा	6 नवम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाईव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	82,000	2,34,000
22	शैक्षिक संवाद प्रारंभिक शिक्षा निष्ठा	18 नवम्बर	राज्य शिक्षा केन्द्र	यूट्यूब लाईव	प्राचार्यों एवं शिक्षकों को	78,000	2,67,000

3.2.2.10 प्रतिभा पर्व

प्रदेश में "प्रतिभा पर्व" के नाम से व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शालेय व्यवस्था व संचालन एवं अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का जायजा लिया जाता है। इसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जनशिक्षक, बीएसी, बीआरसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य, एपीसी, डीपीसी, डाइट प्राचार्य व डाइट फैकल्टी, डीईओ, सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), प्राचार्य शास. शिक्षा महाविद्यालय व फैकल्टी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आदि हर स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रमुख रूप से शालेय व्यवस्था मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिभा पर्व का मुख्य उद्देश्य:-

- शिक्षा की गुणवत्ता की सही-सही स्थिति ज्ञात करना एवं नियमित अन्तराल पर प्रगति की समीक्षा करना,
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शासन की प्रतिबद्धता एवं प्राथमिकता दर्शाना एवं समाज को संवेदित करना,
- प्रदेश के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार हेतु कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना,
- अपेक्षित दक्षता हासिल न कर पाने वाले बच्चों के लिए निदानात्मक/उपचारात्मक कदम उठाना,
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शिक्षकों, शिक्षा प्रशासन, जन प्रतिनिधियों एवं समाज को उत्तरदायी बनाना,
- शाला संचालन व शालेय सुविधाओं की सही-सही स्थिति ज्ञात करना तथा आवश्यक सुधार करना है।

कोविड महामारी की परिस्थितियों में बच्चों पर मूल्यांकन संबंधी तनाव को कम करने एवं सहज वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से सत्र 2020-21 अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) प्रक्रिया वर्कशीट आधारित (होम बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) की 20-30 जनवरी के दौरान की गयी। बच्चों ने घर पर रहकर इन वर्कशीट्स व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा करवाया गया।

इस प्रकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी शिक्षकों से अपील है कि वे पूर्ण निर्भीक होकर इस दौरान अपनी शाला का एवं विद्यार्थियों का

मूल्यांकन करें जिससे सटीक लर्निंग गेप्स सामने आ सकें। इन्हीं लर्निंग गेप्स के आधार पर प्रभावी सुधारात्मक कार्य एवं निदानात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रतिभा पर्व का सुचारु आयोजन हमें गुणवत्तायुक्त शैक्षिक उपलब्धि प्रदान करेगा।

3.2.2.11 सतत्-व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation)

आर.टी.ई. के प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश में मूल्यांकन व्यवस्थाओं में सुधार एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य शाला-आधारित वह मूल्यांकन व्यवस्था है, जो छात्रों में सम्यक विकास का आकलन करती है। सीसीई का 'सतत' पहलू अधिगम प्रक्रिया में सन्निहित सतत मूल्यांकन को दर्शाता है। सतत मूल्यांकन का तात्पर्य छात्रों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनौपचारिक रूप से विभिन्न तकनीकों से किया गया मूल्यांकन है (रचनात्मक मूल्यांकन) सीसीई का 'व्यापक' घटक बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास पर बल देता है। इसमें छात्रों के विकास के शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं सामाजिक वैयक्तिक पहलुओं का मूल्यांकन सम्मिलित है। इस प्रकार एक तनावरहित, नियमित एवं प्रभावी मूल्यांकन व्यवस्था का परिचय कराने के उद्देश्य से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं सामाजिक-वैयक्तिक पहलुओं को विकसित करने के लिये बनाया गया शाला-आधारित फीडबैक प्रणाली है। आरटीई के संदर्भ में, राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश का स्थापित दिशा निर्देशों का छात्रों के मूल्यांकन के संबंध में पुनरावलोकन किया है, इसमें कुछ परिवर्तन कर सीसीई पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त समस्त शालाओं की सभी कक्षाओं में लागू हैं। ये दिशा निर्देश 2 अगस्त, 2010 को जारी किये गये थे और राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रति वर्ष, इनमें आंशिक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार सीसीई पर जारी दिशा निर्देश आरटीई के अनुपालन में हैं।

कोविड महामारी की परिस्थितियों में बच्चों पर मूल्यांकन संबंधी तनाव को कम करने एवं सहज वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से सत्र 2020-21 वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया वर्कशीट आधारित (होन बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) की 18-25 फरवरी तथा 8-20 मार्च 2021 के दौरान प्रस्तावित है। बच्चों से घर पर रहकर इन वर्कशीट्स व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा करवाया जा रहा है।

3.2.2.12 लॉकडाउन के दौरान वाट्स एप आधारित साप्ताहिक आकलन

लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में असमर्थ दिखे, क्योंकि उनके पास लाइव कक्षाएं लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र उन समस्याओं के बारे में बताते हैं, जिनका सामना उन्हें इंटरनेट की समस्याओं की वजह से करना पड़ता था, क्योंकि लाइव कक्षा के कई सेक्शन छूट जाते थे और संदेश दूर करने का समय भी नहीं मिल पाता था।

ऐसे छात्रों की मदद करने के लिए, राज्य शिक्षा केंद्र ने कॉन्वेजीनियस के साथ 'हमारा घर हमारा विद्यालय' कार्यक्रम के तहत वाट्स एप-आधारित व्यावहारिक एडटेक (EdTech) प्रक्रिया तय की गयी, जिसका इस्तेमाल वाट्स एप-आधारित चैटबॉट के जरिये किया गया। चैटबॉट हिंदी भाषा में विद्यार्थियों से उनके शिक्षक की तरह बात करता है और उनको साप्ताहिक अभ्यास करवाने के लिए इंटरैक्टिव, चाइल्ड-फ्रेंडली और अतुल्यकालिक तरीकों का उपयोग करता है, जिसका फायदा इंटरनेट वाले किसी भी फोन से कोई भी उठा सकता है। छात्रों को स्मार्टफोन से गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों के बुनियादी शिक्षण पाठ्यक्रम को पढ़ने और समझने की सुविधा प्रदान यह प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत रूप से हर छात्र के सीखने का डेटा इकट्ठा करती है, जिससे साप्ताहिक मूल्यांकन से निकाला जाता है। इन मूल्यांकनों से छात्रों के प्रदर्शन और उनकी का पता चलता है, जिसके अनुरूप अधिगम सामग्री के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान उपचारात्मक शिक्षण किया गया।

यह कार्यक्रम पायलट रूप में 5 सितंबर 2020 को भोपाल संभाग में, 12 सितंबर को होशंगाबाद संभाग में प्रारंभ किया और 19 सितंबर को राज्य के सभी 52 जिलों में कॉन्वेजीनियस और साथ (SATH) टीम के सहयोग से शुरू किया गया।

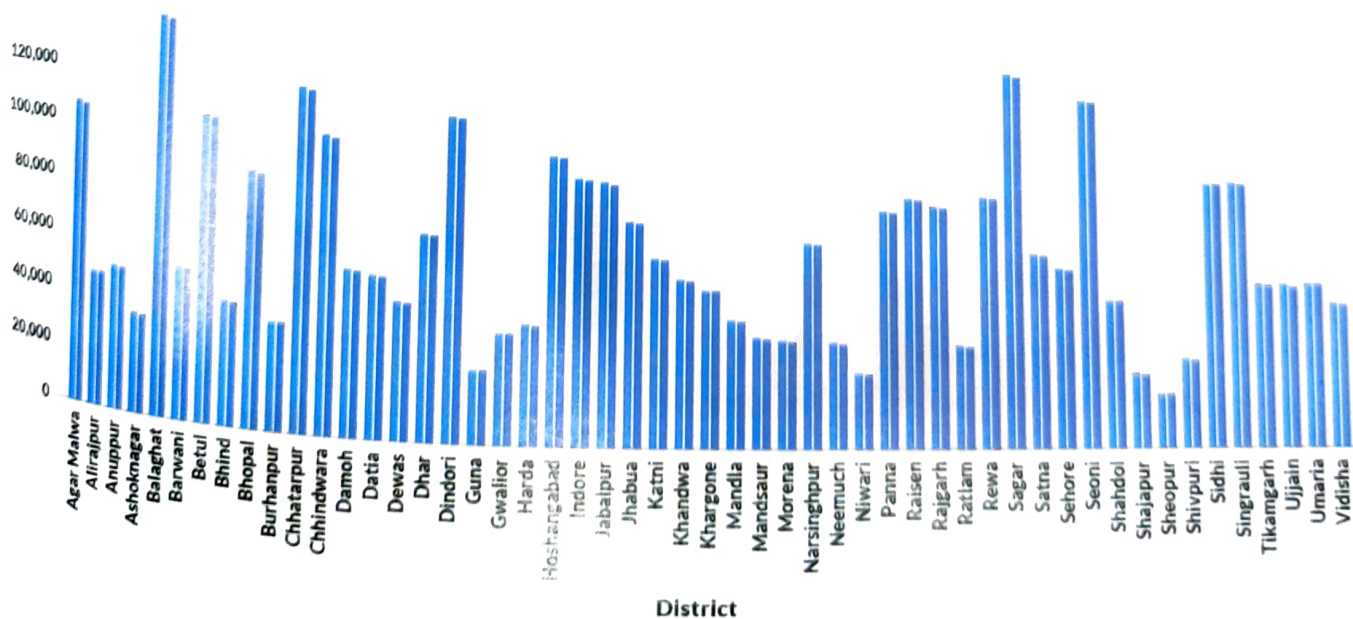
मूल्यांकन आधारित इस शिक्षण मॉडल ने बच्चों को घर पर रहते हुए भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। सितम्बर माह से हर सप्ताह 12 से 13 लाख छात्र इससे पढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश में यह मॉडल 98% से ज्यादा पूर्णता दर पा रहा है, यानि प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम से जुड़ने वाले 100 विद्यार्थियों में से 98 विद्यार्थी अपने मूल्यांकन और शिक्षण सामग्री को पूरा कर रहे हैं।

व्यक्तिगत सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक छात्र की समग्र आईडी को डिवाइस से लिंक किया गया है। डेटा विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र का लक्ष्य मध्य प्रदेश में सभी छात्रों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह प्रयास हमारे अभियान "अब पढ़ाई नहीं रुकेगी" की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।



Participation of students at district level

● Starts ● Completions



3.2.2.13 प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट

म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु शासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन "होम-बेस्ड प्रोजेक्ट" के आधार पर तैयार किया गया है-

- शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश में कोविड महामारी की परिस्थितियों में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएं नवीन विधा/स्वरूप में यथा- रेडियो लेसन, हमारा घर-हमारा विद्यालय, डिजिटल माध्यम से भेजी गई अधिगम सामग्री आदि माध्यमों से आयोजित की गई।
- कोविड महामारी की परिस्थितियों में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) व वार्षिक मूल्यांकन मूल्यांकन का स्वरूप- बच्चों पर मूल्यांकन संबंधी तनाव को कम करने एवं सहज वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से सत्र 2020-21 में आकलन प्रक्रिया वर्कशीट आधारित (होम बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) की जा रही है। बच्चे घर पर रहकर इन वर्कशीट्स को पूर्ण कर 10-15 दिवस की अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा रहे हैं। वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकतानुसार अपनी पाठ्यपुस्तकों, माता-पिता, मित्रों, भाई-बहन, दादा-दादी आदि संबंधीजनों से चर्चा भी की जा सकेगी।
- कक्षा-1 व 2 में मूल्यांकन प्रक्रिया- कक्षा 1, 2 के बच्चों हेतु शालाओं को उपलब्ध कराई गयी है। "अभ्यास पुस्तिका" के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट (विषय-हिन्दी, अंग्रेजी, गणित) के आधार पर मूल्यांकन किया रहा है। बच्चे घर पर रहकर अभ्यास कार्य कर सकें, इसके लिए प्रत्येक बच्चे को अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है।
- कक्षा-3 से 8 में आकलन वर्कशीट का स्वरूप- जनवरी, फरवरी एवं मार्च माह हेतु पृथक्-पृथक् वर्कशीट्स निर्मित की गई हैं। वर्कशीट में कौशल आधारित प्रश्न एवं प्रोजेक्ट कार्य संबंधी प्रश्न शामिल किए गए हैं। वर्कशीट का स्वरूप "प्रश्नपत्र सह उत्तरपुस्तिका" के रूप में रखा गया है अर्थात् वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा। वर्कशीट में 60 प्रतिशत लिखित एवं 40 प्रतिशत प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन (Observation) के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य से आशय यह नहीं कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाएगा, बल्कि वर्कशीट में दिए गए प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन/सामग्री एवं दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिन्दुओं के आधार पर लिखना है। वर्कशीट के अंतर्गत ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे।
- वर्कशीट को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षकों द्वारा मॉनीटरिंग-
 - वर्कशीट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक को दी जाएगी। एक वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 10 से 15 दिवस का समय दिया गया है।



- शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों के सतत सम्पर्क में रहकर (फोन/व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा) होम बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनीटरिंग की जाएगी, ताकि शत-प्रतिशत बच्चों द्वारा वर्कशीट समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। जनशिक्षक तथा बीएसी के द्वारा बच्चों के एवं शिक्षकों से सम्पर्क कर अपने प्रभार की शालाओं में इस प्रक्रिया की सतत मॉनीटरिंग की जाकर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जावेगा।

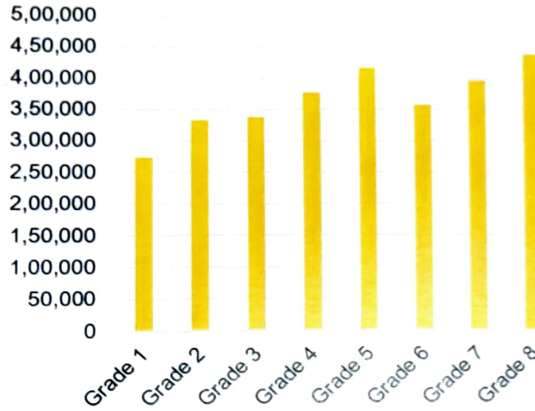
- परीक्षाफल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना-

0 बच्चों द्वारा पूर्ण की गई वर्कशीट शाला में जमा कराए जाने के उपरांत कक्षा शिक्षक/विषय शिक्षक द्वारा इनकी जांच की जाएगी।

0 परीक्षाफल का निर्धारण अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

0 प्रगति पत्रक में अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

प्रत्येक कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी



3.2.2.14 हमारी शाला ऐसी हो- शाला सिद्धि कार्यक्रम

विद्यार्थियों को भयमुक्त एवं आनंददायी वातावरण में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों में दक्षता उन्नयन, प्रतिभा पर्व, हमारी शाला ऐसी हो, शाला गुणवत्ता कार्यक्रम इत्यादि प्रमुख हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा शालाओं के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु "शाला सिद्धि" फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसे दिनांक 07.11.2015 को प्रारंभ किया गया। इस फ्रेमवर्क को आधार मानते हुए तथा राज्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को केन्द्रित करते हुए मध्यप्रदेश में शालाओं के मूल्यांकन से उन्नयन हेतु शाला सिद्धि-हमारी शाला ऐसी हो कार्यक्रम तैयार किया गया है।

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा "शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सत्र 2016-17 में प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से चार प्राथमिक एवं चार माध्यमिक शालाओं का चयन किया गया। इस प्रकार प्रदेश में कुल 24,792 शालाएं चयनित की गयीं। प्रत्येक शाला द्वारा स्वमूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन कार्ययोजना निर्माण तथा कार्ययोजना के अनुसार सुधार हेतु कार्यवाही की गयी।



द्वितीय चरण में सत्र 2019-20 में सभी माध्यमिक शालाओं, एक शाला एक परिसर के अंतर्गत आने वाली सभी माध्यमिक शालाओं एवं प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से चार प्राथमिक शालाओं अर्थात् कुल 30,000 शालाओं का चयन किया गया है, जिनमें स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। शिक्षा सत्र 2020-21 से प्रदेश की सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम शाला के सभी साझेदार जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, एसएमसी के सदस्य, बाल कैंबिनेट के सदस्य एवं पालक मिलकर 7 आयामों के 46 मानकों पर स्वमूल्यांकन कर

शाला का स्तर निर्धारित करेंगे। इसके पश्चात 2 सदस्यीय टीम द्वारा शाला के स्वमूल्यांकन की पुष्टि करते हुए बाह्यमूल्यांकन किया जायेगा। बाह्य मूल्यांकन के पश्चात जो सुधार की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हैं, उसके आधार पर कार्ययोजना बनाकर विद्यालय उन्नयन किया जा सकेगा। उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर शाला सिद्धि कोर समूह का गठन किया गया है। साथ ही जो शालाएं विभिन्न मानकों पर स्तर उन्नयन का कार्य तीव्रता से कर रही हैं, उन्हें अन्य शालाओं के लिये मॉडल शाला का दायित्व दिया गया है। यह शालाएं अन्य शालाओं के स्तर उन्नयन में मार्गदर्शन का कार्य कर रही हैं।



शालाओं द्वारा कार्ययोजना बनाकर स्तर उन्नयन करने से शाला के सभी आयामों पर व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जा रहा है एवं शाला को अपनी वर्तमान स्थिति तथा उन्नयन हेतु निश्चित उपकरण उपलब्ध कराए गये हैं। जिनके आधार पर वह अपनी कार्य की दिशा निर्धारित कर सकते हैं।

3.2.2.15 पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं गुणवत्ता विकास से संबंधित गतिविधियाँ

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रत्येक बच्चे के सीखने की सामर्थ्य को सहज स्वीकार करने तथा उनके सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने सम्बन्धी अवधारणा को विकसित किये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) 2005 में विशेष रूप से रचनावादी दृष्टिकोण से शिक्षण कराने पर बल दिया गया है।

एन.सी.एफ. 2005 और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्तर पर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों को एन.सी.ई.आर.टी. से अभिग्रहित किए जाने का निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। जिसके अनुसार 2017-18 से एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें चरणबद्ध रूप से लागू की गई हैं।

(1) एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तकों का अभिग्रहण

सत्र 2020-21 में एन.सी.ई.आर.टी. से निम्नांकित पाठ्यपुस्तकों को अभिग्रहित किया गया है, ये पाठ्यपुस्तकें शिक्षा सत्र 2021-22 से लागू होगी -

- प्राथमिक स्तर - कक्षा 1 से 5 की गणित, पर्यावरण अध्ययन।
- पूर्व माध्यमिक स्तर - कक्षा 6 से 8 गणित, विज्ञान तथा कक्षा -6 एवं 7 सामाजिक विज्ञान।
- माध्यमिक स्तर - कक्षा 9 व 10 गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा।
- सेकेंडरी स्तर - कक्षा 11 व 12 के लिए विज्ञान, गणित, वाणिज्य, कला समूह तथा भाषा समूह में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत।

उपर्युक्तानुसार एन.सी.ई.आर.टी. से कुल 258 पाठ्य पुस्तकें प्रदेश की शालाओं हेतु अभिग्रहित की गई हैं।

(2) एन.सी.ई.आर.टी द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण व संशोधन

सत्र 2021-22 हेतु SCERT द्वारा निर्मित व वर्तमान में प्रचलित निम्नांकित पाठ्यपुस्तकों को पुनरीक्षित कर अद्यतन किया गया है -

- कक्षा 1 से 8 - भाषा समूह की पाठ्यपुस्तकें (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू)
- कक्षा 6 से 8 - सहायक वाचन (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी),
- कक्षा 8 - सामाजिक विज्ञान (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी)

(3) शिक्षकों के लिए CM RISE online प्रशिक्षण शिक्षकों का क्षमतावर्धन हमेशा से ही रा

प्रदेश के दो लाख 70 हजार शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

[illegible]

कार्यक्रम अंतर्गत मई, 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि में कुल 18 कोर्स संचालित किये गए। इसके पश्चात् NCERT द्वारा निष्ठा कार्यक्रम अंतर्गत अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कुल 18 कोर्स संचालित किये गए।

कार्यक्रम अंतर्गत मई, 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि में कुल 18 कोर्स संचालित किये गए। इसके पश्चात् NCERT द्वारा निष्ठा कार्यक्रम अंतर्गत अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कुल 18 कोर्स संचालित किये गए।

सर्क पश्चात् NCERT द्वारा निष्का कर्तव्य
सर्क संचालित किये गए ।

आधारभूत कोर्स श्रृंखला

May-June

- प्रशिक्षण से परिचय
- शिक्षक की भूमिका
- चिंतन - प्रभावी शिक्षण का आधार
- दूरस्थ शिक्षण

हमारा घर हमारा विद्यालय श्रृंखला

July-August

- हमारा घर हमारा विद्यालय
- बच्चों और पालकों से प्रभावी बातचीत
- शिक्षकों और पालकों की साझादारी

मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला - 2

Aug-Sept

Student:

- बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण
- संवाद, भावनाओं का प्रबंधन एवं सहिष्णुता क्रोध प्रबंधन, सफलता-असफलता, स्वयं की पहचान
- बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण

लर्निंग आउटकम्स श्रृंखला

Sept-Oct

- सीखने के प्रतिफल (परिणाम) पर समझ
- पाठ्यपुस्तक : शिक्षकों की मित्र
- RSK द्वारा निर्मित लर्निंग आउटकम्स पर आधारित टीचर हेडबुक - बेहतर शिक्षण योजना बनाने का मुख्य आधार
- पाठ योजनाएं - सीखने सिखाने का आधार

मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला

Aug-Sept

Teacher:

- मानसिक स्वास्थ्य परिचय एवं भावनाओं का प्रबंधन
- सोच में परिवर्तन एवं क्रोध प्रबंधन
- मन की व्यावसायिकता

निष्ठा प्रशिक्षण (Ongoing)

Oct-Jan

Nation wide training from NCERT on critical subject areas

- अवैकिक विषय
- औद्योगिक रणनीतियाँ
- विषय विशिष्ट शिक्षाशास्त्र
- स्कूल नेतृत्व

NISHTHA
on DIKSHA

प्रशासकीय प्रतिवेदन

CMRise कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किये गए प्रशिक्षणों में "दीक्षा" अनुसार मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा Covid महामारी की इस कठिन परिस्थिति में भी शिक्षकों के सिखाने की यह यात्रा निर्बाध रूप से संचालित की गई। मध्यप्रदेश में शासकीय विद्यालयों के 2,80,000 शिक्षकों ने डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षणों में नामांकन किया है।

(4) डिजिटल लर्निंग इन्हान्समेंट प्रोग्राम (DigiLEP)

इस कार्यक्रम का शुभारंभ 8 अप्रैल 2020 से किया गया। इसके माध्यम से Whatsapp पर सीखने के अवसर प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं—

1. इसके द्वारा उच्च स्तरीय अधिगम सामग्री को सभी कक्षाओं हेतु सीधे उपलब्ध कराया गया।
2. मुख्य विषयों (अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान) की सभी दक्षताओं को शामिल किया गया।
3. समस्त अधिगम सामग्री को एक सुस्पष्ट तरीके से कई चैनलों के द्वारा सावधानीपूर्वक निर्मित Whatsapp group व्यवस्था (राज्य, जिला एवं संकुल स्तर पर) पर भेजा गया, जो कि बच्चों के पालकों तक आसानी से नियमित रूप से पहुँच सका।

- एक निश्चित समय पर प्रतिदिन byte signed प्रेषित किया गया।
- 50,000 से अधिक DigiLEP समूह (पालकों को मिलाकर) पहले से ही बना लिये गये थे।

रेडियो, दूरदर्शन से प्रसारित पाठ योजनाओं के संक्षिप्त विवरण को डिजीलेप, वाट्सएप पर पालकों, शिक्षकों के लिए प्रतिदिन भेजी गई, जिससे वे बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें एवं अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए लगभग 50 लाख वाट्सएप ग्रुप में सामग्री प्रेषित की गई है तथा 7 लाख लोगों द्वारा प्रति दिवस इन्हें देखा गया है।

(5) हमारा घर—हमारा विद्यालय

कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में शिक्षण व्यवस्था के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए 'हमारा घर—हमारा विद्यालय' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए घर पर सुरक्षित रहकर डिजिटल रूप से सीखने की गतिविधियों को आयोजित किया गया -

- पाठ्यपुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तिकाओं का शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर वितरण किया गया।
- कोविड-19 के दृष्टिगत शिक्षक एवं विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने हेतु उसे पुनर्नियोजित किया गया, जिसमें 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम कार्यक्रम फेस टू फेस तथा 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट के रूप में घर की वस्तुओं से तथा आसपास के अवलोकन के आधार पर निर्धारित किया गया।
- दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था के लागू करने के आरंभ में 4 जुलाई को रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पालकों को संबोधित किया गया है। दूरदर्शन पर 9 जुलाई 2020 तथा 18 दिसम्बर 2020 को पालकों के साथ चर्चा और संवाद का आयोजन किया गया है, जिससे पालकों की समझ इस व्यवस्था के प्रति स्थापित की जा सके।
- कक्षा 1 से 5 की पाठ्यपुस्तकों की अवधारणाओं पर रेडियो स्क्रिप्ट तैयार की गई, इसमें पाठवार मूल्यांकन को जोड़ते हुए बच्चों को संबोधित किया गया एवं गृहकार्य दिया गया, जिससे विद्यार्थी घर पर रहकर रेडियो के माध्यम से सीखें और प्रश्नों को हल करना जानें।
- 'हमारा घर—हमारा विद्यालय' की अवधारणा पर वातावरण निर्माण— प्रदेश की शिक्षा रेडियो, टी.वी., मोबाइल, डिवाइसेस का उपयोग करते हुए घर पर सुरक्षित रहकर बच्चों की व्यवस्था कैसे की जाए, 'हमारा घर—हमारा विद्यालय' की प्रक्रिया पर यूट्यूब, फेस बुक

पालकों, शिक्षकों और सामाजिक वर्ग से जुड़कर संवाद स्थापित किया गया, जिसकी स्थिति इस प्रकार है—

क्र.	शिक्षण योजना	ऑनलाइन संवाद	संवाद के लिए अधिकारीगण	सहभागी	संख्या	कुल व्यूज
1	हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 8	फेसबुक लाइव 26 जून, 2020	प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों पर प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र संवाद	पालक, शिक्षक एवं विद्यार्थी	87,689	3,11,700
2	हमारा घर हमारा विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण	यू ट्यूब लाइव 7 अगस्त, 2020	आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र	पालक, शिक्षक एवं विद्यार्थी	12,060	71,965

(6) रेडियो स्कूल कार्यक्रम

यह कार्यक्रम पूरे राज्य के लिए ऑल इण्डिया रेडियो (AIR) के सहयोग से संचालित किया गया। इसे 1 अप्रैल 2020 से समस्त रेडियो प्रसारण केन्द्रों से प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं —

1. प्रसारण प्रतिदिन दो भागों में किया गया (रविवार को छोड़कर)

- 11 से 12 PM
 - 5 से 5:30 PM
- ग्रेड 1 से 8 के बच्चों के लिए तैयार की गई वर्कबुक एवं सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों पर आधारित (खेल, कला एवं हस्त कला, स्वास्थ्य एवं पोषण) आकर्षक एवं मिश्रित अकादमिक कार्यक्रम।
 - माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लक्ष्य निर्धारण एवं जीवन में केन्द्रित होने हेतु पहली कहानी सुनाई गई।

(7) विषय आधारित प्रमुख अवधारणाओं के वीडियो का दूरदर्शन पर प्रसारण

राज्य शिक्षा केन्द्र के साथ मिलकर कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा पूर्व में तैयार किए गए वीडियो की विषयवार मेंपिंग की गई। मेंपिंग के उपरान्त कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए चयनित वीडियो लेसन-विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित 4 जनवरी 2021 से सुबह 11 से 12:30 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है। 1 फरवरी 2021 से भाषा विषयों में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत को जोड़ते हुए कक्षा 6 से 8 के सभी विषयों में वीडियो लेसन प्रसारित किए गए हैं। विषयवार प्रसारित किए जा रहे वीडियो की समय सारणी इस प्रकार है—

अवधि	विषय	दिवस	प्रसारण का समय
दूरदर्शन शिक्षण 4 जनवरी 2021 से	गणित	सोमवार, गुरुवार	(कक्षा 8, 7, 6 प्रत्येक कक्षा को 25 मिनट)
	सामा.विज्ञान	मंगलवार, शुक्रवार	
	विज्ञान	बुधवार, शनिवार	
दूरदर्शन शिक्षण 1 फरवरी 2021 से	गणित	सोमवार	(कक्षा 8, 7, 6 प्रत्येक कक्षा को 25 मिनट)
	सामा.विज्ञान	मंगलवार	
	विज्ञान	बुधवार	
	हिन्दी	गुरुवार	
	अंग्रेजी	शुक्रवार	
	संस्कृत	शनिवार	

दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पाठों के प्रसारण का उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराना है, जिसका उपयोग करके विद्यार्थी अवधारणाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर खोजें, उन्हें हल करें एवं पालकों के सहयोग से पढ़ना-लिखना सतत जारी रख सकें।

(8) विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु गतिविधि आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण -

शिक्षा सत्र 2020-21 कोविड-19 के कारण प्रभावित रहा है। कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक माध्यम से घर पर ही पढ़ाई निरन्तर जारी रखने के प्रयास किए गए। किये गये प्रयासों के आधार पर विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर के आकलन हेतु जनवरी, फरवरी व मार्च माह के लिए विषयवार व कक्षावार गतिविधि आधारित व पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण किया गया है।

(9) स्टीम आधारित गतिविधि

वर्तमान शिक्षा पद्धति ब्लूमस टेक्सोनोमी के तीन पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनो गत्यात्मक पक्ष में से मात्र विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास तक सीमित है। संज्ञानात्मक विकास के भी छह अधिगम स्तर में से तीन न्यूनतम स्तरों याद करना, समझना और कक्षा में सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग करना तक ही सीमित है। इसमें उच्च स्तर के अधिगम स्तर जैसे विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, और कुछ नया सृजन करना पर लेश मात्र भी जोर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों को रटने पर जोर देकर सिर्फ अंको की दौड़ में ही लगाये रखती है, जबकि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों में रचनात्मकता और तार्किक सोच का विकास कर सकें जिससे विद्यार्थी प्रत्येक परिस्थिति में तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होता है और कुछ नया करने को प्रेरित होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी इस बात पर जोर दिया गया है की हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रटत प्रणाली से अलग कर विद्यार्थियों को नवाचारी और विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने वाला और उपभोक्ता ना बनाकर उत्पादक बनाना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह के कौशल विद्यार्थी में विकसित करने में समर्थ होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट कहा गया है बहु विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला और खेल के बीच एक बहु विषयक और समग्र शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में रचनात्मक, तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकसित करने चाहिए। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान शिक्षा पद्धति में एक शिक्षण-अधिगम उपागम के रूप में स्टीम उपागम को प्रयुक्त करने का विचार मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया।

1. स्टीम कॉन्क्लेव 2020 के प्रतिफल ने मध्य प्रदेश शासन के स्टीम एजुकेशन के विचार के प्रमोशन को आधार प्रदान किया गया। दो दिवसीय स्टीम कॉन्क्लेव- 2020 का आयोजन 30-31 अक्टूबर 2019 में मिंटो हॉल में किया गया, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री द्वारा सराहा गया। इस कॉन्क्लेव कीनोट स्पीकर स्टीम एजुकेशन की फाउंडर श्रीमती यकमैन थी। यूएस की जयंती तांबे राँय द्वारा में स्टीम से सीखना सिखाना बताया गया। श्रीमती शाहीन सहीबोले मुंबई एवं सुमिता मलिक, फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा भी समानांतर सत्रों में स्टीम शिक्षा पर चर्चा की गई। इस कॉन्क्लेव जिलों से शिक्षक एवं ऑफिशल्स भी उपस्थित रहे।

2. आई.ए.एस.ई. भोपाल द्वारा बी.एड. की छात्र-छात्राओं से मॉडल्स एवं स्टीम शिक्षण 800 प्रोजेक्ट तैयार किये गये एवं 01 जनवरी 2020 को स्कीम डे के रूप में प्रदर्शित किये गये।



स्टीम (STEAM) शिक्षण से सीखना प्रायोगिक अधिगम है, जिसमें किसी अवधारणा को सीखने के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में, विद्यार्थी और शिक्षक एकजुट (Collaborative) होकर काम करते हैं। इस कार्य में अवधारणा को इंजीनियरिंग, तकनीकी ज्ञान से तथा गणितीय गणनाओं से जोड़कर (Connective) देखते हैं एवं कुछ नया सृजन (Creative) करके सीखने के अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं।

सीखने की इस प्रक्रिया में कला का समेकन (Art integration) एक खुशबू की तरह विषय के साथ जोड़कर किया जाता है, जिससे उन्हें रोचक, कलात्मक वस्तुओं को बनाने, सीखने के कौशल भी उपलब्ध कराए जाते हैं और सौंदर्य अनुभूति के साथ कला के क्षेत्रों में म्यूजिक, परफार्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट को जानने, समझने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। स्टीम पेडागॉजी में 5 अवयवों को जोड़कर अवधारणा को समझा जाता है — Science, Technology, Engineering, Arts & Maths.

स्टीम शिक्षण के उद्देश्य -

- विद्यार्थियों को अवधारणा की समझ उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से (Real life experiences) जोड़कर स्थापित करना।
- विद्यार्थियों को प्रश्न करने, प्रश्नों के हल ढूँढने के साथ सूक्ष्म चिंतन (Critical thinking) करने के लिए तैयार करना।
- विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी के कौशलों की प्राप्ति के लिए जागरूक करना।



Plain Tap Water

Salty Water



बीसवीं सदी के अंतिम दशक में अमेरिका जैसे विकसित देशों में स्टेम पद्धति का उद्भव हुआ जिसमें विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित को बहु विषयक उपागम द्वारा जोड़कर देखा गया। शिक्षाविदों द्वारा यह देखा गया एक वैज्ञानिक हो या इंजीनियर अथवा टेक्नोलॉजिस्ट सभी में समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान और एमपैथेटिक सेंस होना आवश्यक होता है। कई बड़े वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन वैज्ञानिक होने के साथ-साथ अच्छे कलाकार भी थे और यह भी देखा गया कि कई बड़े कलाकार जैसे लियोनार्डो द विंची अच्छे वैज्ञानिक सिद्ध हुए हैं। इसी लिए 21वीं सदी में स्टेम को कला से जोड़कर नवीन अधिगम उपागम स्टीम का उद्भव हुआ। कई एशियाई देशों चीन, साउथ कोरिया, जापान इत्यादि में इस पद्धति को अपनाकर ना केवल आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की अपितु पीसा में भी शीर्ष के परफॉर्मर के रूप में उभर कर आए। फिनलैंड में भी यह उपागम फेनोमेनल बेस्ट लर्निंग के रूप में प्रचलन में है।

स्टीम उपागम क्या है ?

स्टीम एक एक्रोनीम है जहां एस(S) साइंस को डिनोट करता है। विज्ञान को हम साधारणतया क्या, क्यों और कैसे से संबंधित होता है। टी (T) टेक्नोलॉजी को डिनोट करता है इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग से दैनिक जीवन को सरल और सहज बनाने का प्रयास किया जाता है इंजीनियरिंग को डिनोट करते हैं इसका संबंध डिजाइनिंग और प्लानिंग से होता है A (A) आर्ट को डिनोट करता है 8:00 का संबंध परफॉर्मिंग आर्ट विजुअल आर्ट्स और मानविकी से होता है मैथमेटिक्स को डिनोट करता है इसका संबंध संख्या आकलन और मापन से होता है।

स्टीम उपागम एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें विषयों एवं कक्षाओं की दीवार तोड़कर विद्यार्थी को स्वयं करके सीखने तथा थीम के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, तकनीकी, इंजीनियरिंग और कला के समस्त पहलुओं को जान सके। इस प्रकार का शिक्षण आनंदायी और भयमुक्त वातावरण में विद्यार्थी को खोज करने, तथ्यों को संग्रहण कर विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के द्वारा अनुभवजन्य अधिगम से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार का अधिगम विद्यार्थियों में नया सृजन करने की क्षमता का भी विकास करता है।

इस उपागम द्वारा कम लागत के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करे परियोजना आधारित विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में उपयोगी उच्च स्तर के चिंतन कौशल जैसे क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग तथा आवश्यक सामाजिक कौशल जैसे संप्रेषण कौशल और सहयोगात्मक कौशल किए जा सकते हैं।

प्रदेश में स्टीम शिक्षा लागू करने हेतु अब तक किए गए प्रयास

प्रदेश में स्टीम शिक्षा लागू करने हेतु अब तक किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:-

- शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए स्टीम शिक्षा की उपयोगिता जानने के शैक्षिक अध्ययन संस्थान द्वारा 1 जनवरी 2020 को स्टीम डे का आयोजन किया गया।

प्रोजेक्ट के माध्यम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा के कक्षा 6 से 12 तक के 900 विद्यार्थियों को विषय से परे स्वयं करके सीखने हेतु प्रेरित किया गया यह सीखने की प्रक्रिया एक मॉडल निर्माण के द्वारा करवाई गई। इस प्रकार के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के संबंध में विद्यार्थियों से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ ।

- प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में स्टीम कोर समिति का गठन किया गया ।
- शासन स्तर से निर्णय लिया गया कि वर्तमान प्रचलित पाठ्यक्रम की स्टीम शिक्षा की दृष्टि से मैपिंग की जाए करिकुलम मैपिंग अंतर्गत विज्ञान को आधार मानते हुए उसी कक्षा के अन्य विषयों के साथ तथा अगली पिछली कक्षाओं के विषय वस्तु से भी जोड़ने का प्रयास किया गया इस प्रकार अवधारणा के अथवा प्रॉपर योजना के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिंकेज की मैपिंग की गई ।

स्टीम कोर समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

- आई.ए.एस.ई. भोपाल द्वारा कक्षा 6 से 10 की पाठ योजनाओं का निर्माण
- एस. आई.एस.ई., जबलपुर द्वारा कक्षा 4- 5 की पाठ योजनाओं का निर्माण
- जुलाई एवं अगस्त माह में वेबीनार द्वारा स्टीम पर शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों का उन्मुखीकरण

मध्य प्रदेश में सत्र 20 21 22 में स्टीम शिक्षा लागू करने की योजना

- सर्वप्रथम स्टीम शिक्षा लागू करने हेतु 1500 विद्यालयों का चयन किया गया। इन विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है:-

- i. मिशन 1000 के एक परिसर एक शाला
- ii. शाला सिद्धि के चैंपियन स्कूल और उनके जन शिक्षा केंद्र
- iii. दक्षिण कोरिया भ्रमण करने वाले प्राचार्य प्राचार्य के विद्यालय
- iv. आईएससी भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के विद्यालय

गूगल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा इन 1500 विद्यालयों के चयन में स्वतंत्रता प्रदान करते हुए एडिशन अल्टरेशन सूची में कराया गया ।

भोपाल एवं जबलपुर के तीन तीन विद्यालयों को पायलट स्टडी हेतु चयनित किया गया इन विद्यालयों की पायलट स्टडी आई ए एस ई भोपाल एवं एस आई एस ई जबलपुर द्वारा की जाएगी।
आईएमए पुणे एवं आईआईटी, गांधीनगर द्वारा प्रति शनिवार 30-30 स्टेम कार्यक्रम का आयोजन प्रति शनिवार 4:30 बजे 16 अगस्त से प्रति रविवार सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग के द्वारा यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है

STEAM आधारित विशिष्ट व्याख्यान

प्रदेश में STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) आधारित शिक्षण शास्त्र को प्राथमिकता देने की दृष्टि से प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल द्वारा विशेष पहल की गयी। प्रथम चरण में दिनांक 01 जनवरी 2020 को संस्थान के प्रांगण में भोपाल के चयनित विद्यालयों के 800 छात्रों तथा 200 छात्राध्यापकों ने विज्ञान आधारित अनेक प्रोजेक्ट तैयार किये। प्रत्येक प्रोजेक्ट का विश्लेषण करते समय STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) आधारित

सभी विषयों का समावेश कैसे संभव हो सकता है इसको सुव्यस्थित ढंग से समझाया। द्वितीय चरण में बी.एड. द्वितीय वर्ष के 150 छात्राध्यापकों ने इंटर्नशिप के अंतर्गत STEAM आधारित प्रोजेक्ट तैयार कर विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य कराया। तृतीय चरण में एम.एड. तथा बी.एड. के छात्राध्यापकों ने विज्ञान की 50 तथा गणित की 20 आदर्श पाठयोजनाएं तैयार की जिनके आधार पर प्रदेश के अन्य शिक्षक अध्यापन कार्य कर सकेंगे तथा प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण दे सकेंगे।

STEAM की समझ तथा इससे संबंधित शंकाओं का समाधान सभी को हो सके इस दृष्टि से प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल द्वारा STEAM आधारित व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित की गयी जिसमें देश-विदेश के प्रख्यात विद्वानों ने अपनी सहभागिता की।

Webinars and lectures organized for STEAM based education

IASE bhopal have been organized various lecture series to foster STEAM education in MP

S.No.	Date	Topic	Resource person
1	6-7 july 2020	Map reading skills	Dr Kirtee Jadon, IASE Bhopal
2	8 july 2020	Drama in Education	Dr. Rizwan-ul-haque, A.P. RIE, Bhopal
3	9-10 july 2020	Drawing and Painting	Mr. Santosh Dhanware, MFA
4	13-15 July 2020	Creative writing Skills	Ms. Samia Ahmed, ODU, Virginia, USA
5	16-18 July 2020	e-resource Development workshop	Dr Yash Paul Sharma , CIET, NCERT, Delhi
6	20 July 2020	Mathematical Literacy	Dr. Ashwini Garg, Associate Prof. RIE
7	22 July 2020	Mathematical Literacy	Dr. Ashwini Garg, Associate Prof. RIE
8	23.july 2020	STEAM based Learning Strategies	Mrs Sameena Jamal, Director Bilabong school
9	26 july 2020	Mrs Sameena Jamal	Project based Learning
10	27.july 2020--	Designing Project for STEAM based Learning	Mrs. Shaheen Sahibole, Mumbai
11	28 july 2020	Designing Project for STEAM based Learning	Mrs. Shaheen Sahibole, Mumbai
12	29 july 2020	Mathematics is not difficult	Dr Ritu Shrivastava, A.P. Bahrain
13		Mrs . Jayanti Tambey Roy	STEAM Education
14	19-20 Aug 2020	Design Thinking and its application in school education	Mr. Amit Kumar , Faculty of NID, Bhopal
15	5-7 aug 2020	Promotion of Indian ART& Culture	Dr Jyotsana Tiwari & Dr Sharbari Banerjee from NCERT New Delhi

(10) लर्निंग आउटकम्स आधारित निर्मित टीचर हैण्डबुक को अपग्रेड करना -

सीखने की सम्प्राप्ति अर्थात सीखने के प्रतिफल से आशय है कि बच्चे को सत्र के अंत में क्या-क्या दक्षताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसे शैक्षिक अपेक्षाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। सीखने के प्रतिफल को कक्षावार व विषयवार तैयार किए गए हैं। यह सीखने की सम्प्राप्ति आंकलन के मानक या आंकलन के बेंच मार्क के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इस सत्र में लर्निंग आउटकम्स को सबलर्निंग आउटकम्स में विभाजित किया गया है तथा अपने आसपास सरल उदाहरणों से उन्हें समझाने

उद्देश्य से डाक्यूमेंट तैयार किया गया है। सीखने के प्रतिफल (लर्निंग आउटकम्स) प्राप्ति हेतु अध्ययन मार्गदर्शी टीचर हैण्डबुक तैयार की जा रही है, जिसमें सुझावात्मक पैडागॉजिकल प्रक्रिया, आवश्यक टी.एल.एम. एवं सतत् मूल्यांकन हेतु गतिविधियों के साथ प्रश्न आदि सुझावात्मक रूप से दिए गए हैं।

11) लर्निंग इन्हान्समेंट प्रोग्राम (LEP) अंतर्गत गतिविधियाँ –

अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण – प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 एवं 2 के सभी विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने के साथ-साथ अभ्यास के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा गणित की मूलभूत दक्षताओं के विकास एवं विभिन्न संक्रियाओं की समझ विकसित कराने के उद्देश्य से सत्र 2020-21 में अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गईं।

सत्र 2020-21 में कक्षा-1 की अभ्यास पुस्तिकाएं प्रदेश के 49 जिलों (03 जिलों भोपाल, सीहोर, शाजापुर में प्रोजेक्ट अंकुर अन्तर्गत तैयार अभ्यास पुस्तिकाएं दी गईं) की समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत कुल 7,17,825 विद्यार्थियों को वितरित की गईं। कक्षा-2 की अभ्यास पुस्तिकाएं प्रदेश के सभी 52 जिलों की समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं के कुल 7,41,558 विद्यार्थियों को वितरित की गईं।

स्लेट, पेंसिल का वितरण– प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 एवं 2 के सभी विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा गणित की मूलभूत दक्षताओं के विकास एवं विभिन्न संक्रियाओं की समझ विकसित करने के उद्देश्य से सत्र 2020-21 के लिए स्लेट, पेंसिल आदि (स्लेट-01, कलम, पेंसिल-01 पैकेट, रबर-05 नग, शार्पनर-02 नग, रंगीन पेंसिल-12 नग) वितरित की गईं। प्रदेश के सभी 52 जिलों के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 एवं 2 में अध्ययनरत 15,43,064 विद्यार्थियों को स्लेट, पेंसिल आदि सामग्री का वितरण किया गया। उक्त सामग्री वितरण हेतु विद्यालयों को रु. 10,80,14,480 / (रु.दस करोड़ अस्सी लाख चौदह हजार चार सौ अस्सी) जारी किए गए।

खूब पढ़ो अभियान – प्रदेश के विद्यार्थियों में **रीडिंग हेबिट** विकसित करने के लिए 'खूब पढ़ो अभियान' 24 अगस्त से प्रारम्भ किया गया है। कोविड-19 की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए घर में ही उपलब्ध सीखने के संसाधनों जैसे – पाठ्यपुस्तक, अखबार, गीत कहानी की पुस्तकें, उपन्यास आदि का उपयोग करते हुए भाषा कौशल को विकसित करने व उसे निरन्तर रखने हेतु प्रत्येक बच्चे के पालक/ अभिभावक/ बड़े भाई-बहन द्वारा निम्नांकित गतिविधियां सम्पन्न कराई जा रही हैं –

- प्रतिदिन एक पृष्ठ हिन्दी तथा एक पृष्ठ अंग्रेजी का सुलेख करना।
- प्रति मिनट 30 से 35 शब्द पढ़ने, बोलने का अभ्यास करना।

(12) राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RRA) अंतर्गत गतिविधियाँ –

ऑनलाइन विज्ञान केन्द्र के सहयोग से स्टीम आधारित विद्यालयों हेतु प्रोजेक्ट बेस लर्निंग अप्रोच पर विभिन्न मॉडल तैयार कर शिक्षकों हेतु दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दिनांक 11 व 12 नवम्बर 2020 को आयोजित प्रशिक्षण में प्रदेश के लगभग 6000 शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण किया गया। इस स्टीम आधारित प्रशिक्षण में IASE, CTE, SISE, APC, BRC, BAC, CAC, SRG & DRG द्वारा सहभागिता की गई।

IISEER भोपाल द्वारा प्रदेश के कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु ऑनलाइन विज्ञान एवं गणित की गतिविधियों का आयोजन प्रति शनिवार 4 से 5 बजे तक, 26 दिसम्बर 2020 से 24 अप्रैल

- 2021 तक सतत् रूप से किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के विद्यार्थी एवं शिक्षक जुड़कर विज्ञान एवं गणित की विषय वस्तु को सरल रूप में समझ रहे हैं।
- IIT इन्दौर द्वारा प्रदेश के कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान एवं गणित विषय की गतिविधि ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। यह गतिविधियाँ 13 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक प्रत्येक बुधवार को सायं 4 से 5 बजे आयोजित की जा रही है। इन गतिविधियों में प्रदेश के कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी एवं माध्यमिक स्तर के अध्यापन कराने वाले शिक्षक सहभागिता कर रहे हैं।

(13) यूथ एण्ड यूको क्लब -

प्रदेश के सभी विद्यालयों में यूथ एण्ड इको क्लब के गठन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु कोविड-19 के कारण विद्यालय नहीं खुलने के विद्यालयों में क्लब का गठन नहीं हो सका है।

(14) पूर्व प्राथमिक व कक्षा 1 व 2 की भाषा व गणित की विषयवस्तु की मैपिंग -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसा अनुसार शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए अब 3 से 8 आयुसमूह के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर निर्धारित किया गया है। उक्त अनुशंसा के अनुक्रम में नर्सरी, के.जी. -1, के.जी.-2 एवं कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की मैपिंग की गई है। उक्त मैपिंग के आधार पर आगामी समय में विषय सामग्री का विकास किया जा सकेगा।

(15) पूर्व प्राथमिक लर्निंग आउटकम्स को sub Learning outcomes के रूप में तैयार करना -

एन.सी.ई.आर.टी द्वारा पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम एवं लर्निंग आउटकम्स तैयार किए गए हैं। उक्त पाठ्यक्रम को प्रदेश में अभिगृहित किया गया है। एन.सी.ई.आर.टी लर्निंग आउटकम्स को नर्सरी, के.जी. -1, के.जी.-2 (3+, 4+, 5+) के बच्चों के विकास व मूल्यांकन की दृष्टि से sub Learning outcomes के रूप में विस्तारित कर तैयार किए गए हैं।

(16) पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों व शिक्षकों के उपयोग हेतु गतिविधि पुस्तिका का निर्माण -

शिक्षा सत्र 2019-20 से प्रदेश के 5 जिलों - भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर व शहडोल में पायलट के रूप में 1500 के.जी. कक्षाएं एक शाला एक परिसर विद्यालयों के साथ प्रारंभ किए गए हैं। उक्त कक्षाओं के संचालन हेतु चिन्हित समर्पित शिक्षकों व बच्चों के उपयोग हेतु गतिविधि पुस्तिका का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास, परिवेश की समझ विकसित करना, रंग, आकार, आकृति, पूर्व संख्या व संख्या अवधारणा, सृजनात्मक चिंतन तथा हिन्दी व अंग्रेजी के स्वर-व्यंजन की पहचान व लेखन अभ्यास आदि से सम्बन्धित गतिविधियों को समाहित किया गया है।

प्री-प्राथमरी

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 5 जिलों की चयनित एक परिसर एक शाला में प्री-प्राथमरी कक्षाओं का चिन्हित किया गया। जिला भोपाल (200), सीहोर (250), सागर (250), शहडोल (300) एवं छिंदवाड़ा (500), कुल 1500 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्री-प्राथमरी की के.जी. 1 कक्षाएं आरंभ की गई हैं, तदनुसार जिन शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्री-प्राथमरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वहां शिक्षकों की व्यवस्था होने तक उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से प्री-प्राथमरी कक्षाओं का संचालन कार्य आरंभ किया गया है। उक्त पाँच जिलों में 4+ आयु समूह के लगभग 16 हजार बच्चों लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चों की गतिविधियों हेतु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करायी गई है तथा शिक्षकों को प्री-प्राथमरी कक्षाओं के संचालन का ऑनलाइन सी.एम राइज के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ii) हेडस्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत 2,589 हेडस्टार्ट केन्द्र हैं। हेडस्टार्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर स्थानीय परिवेश और बच्चों के सीखने के अनुरूप विकसित किये गये हैं। विभिन्न विषयों पर कई सी.डी. विकसित की जा चुकी हैं। इसके अलावा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित कार्यक्रम की सी.डी. भी इन केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी हैं।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की पूर्ति करने के परिपेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 1,380 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। स्मार्ट क्लास में एक लेपटॉप, 42" टेलीविजन तथा यू.पी.एस. प्रदाय किया गया है।

ज्ञान पिटारा के अन्तर्गत कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (सी.ए.एल.) के लिए विषयवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो, आडियो, पीडीएफ तथा अन्य उपयोगी लिंक अपलोड की गयी हैं।

(iii) विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन

वर्चुअल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र में स्थापित स्टूडियो से वर्चुअल के माध्यम से लगभग 140 वेबीनार व वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न घटकों की समीक्षा आयोजित की गई है। प्रदेश में शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद शिक्षा केन्द्रों में 64 सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल (SIT) स्थापित हैं, जिनका उपयोग प्रशिक्षण तथा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है।

(iv) निर्माण कार्य

वर्ष 2019-20 तक के समग्र शिक्षा (पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान) स्वीकृत कार्यों की प्रगति (31.12.2020 तक)

क्र.	कार्य का प्रकार	PAB लक्ष्य (इकाइयाँ)	पूर्ण इकाइयाँ	निर्माणाधीन (इकाइयाँ)	अप्रारम्भ/ रोकीगई
1	बी.आर.सी. (विकास खंड स्त्रोत केन्द्र)	84	84	0	0
2	नवीन प्राथमिक शाला	26738	26702	36	0
3	क्षतिग्रस्त भवन (प्राथमिक शालायें)	1251	940	311	0
4	नवीन माध्यमिक शाला	19667	19625	42	0
5	क्षतिग्रस्त भवन (माध्यमिक शाला)	385	237	146	02
6	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	127883	122020	4655	1208
7	कार्यालय सह प्रधानाध्यापक कक्ष (प्रधानाध्यापक)	12262	11379	883	0
8	शौचालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	98318	96813	1171	334
9	पेयजल (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	18964	18878	86	0
10	बाउण्ड्रीवॉल (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	5491	5491	0	0
11	शाला भवन मरम्मत कार्य	14657	14223	213	221
12	आवासीय विद्यालय का निर्माण	15	15	0	0
13	विद्युतीकरण (कक्षा 08 तक)	7661	6977	472	212
	कुल-	333376	323384	8015	1977

- (i) भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार 76 जीर्ण-शीर्ण शाला भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण रुपये 1033.93 लाख, 194 शाला भवन मरम्मत रुपये 175.84 लाख, 3164 विद्युत व्यवस्था रुपये 696.08 लाख एवं 14399 हैण्डवॉश यूनिट रुपये 2159.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की गईं, कार्य प्रगतिरत हैं। 1840 शालाओं में फर्नीचर व्यवस्था रुपये 4416.00 लाख स्वीकृत है, जो प्रक्रियाधीन है।
- (ii) एक शाला एक परिसर (EPES Anchor) की 1293 शालाओं में पहुँच मार्ग, 5363 शालाओं में खेल-मैदान का विकास एवं 8855 शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, मनरेगा अंतर्गत कराए जाने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 दिनांक 01.12.2020 से निर्देश जारी किये गये हैं।
- (iii) राज्य मद प्रदेश के 312 छात्रावासों में शिक्षक आवास गृह निर्माण राशि रु. 2496.00 लाख की योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत हुई, जिनमें से 130 शिक्षक आवास गृह रुपये 975.00 लाख के स्वीकृत किये जाकर राशि जारी की गई निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
- (iv) राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 2305 शालाओं में स्थाई पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 1999.736 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर राशि जारी की गई है, जिनमें से 2138 कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगतिरत हैं। पंचायतराज संचालनालय द्वारा भी 2776 शालाओं में स्थाई पेयजल स्रोत हेतु राशि रुपये 3886.40 लाख लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्वीकृति एवं राशि जारी की गई है, जिनमें से 2546 कार्य पूर्ण हैं एवं शेष प्रगतिरत हैं।
- (v) राज्यमद अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 64 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवन राशि रुपये 989.24 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से बजट उपलब्धता अनुसार राशि रुपये 560.00 लाख जारी की गई एवं शेष जारी की जा रही है, निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।
- (vi) वर्ष 2018-19 में 461 शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल रुपये 1625.00 लाख जिसमें मनरेगा (45%) एवं स्कूल शिक्षा (55%) का अंश शामिल है, जिसमें स्कूल शिक्षा का अंश भाग रुपये 893.75 लाख जारी किये जा चुके हैं, जिसमें 381 कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2019-20 में 520 शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल रुपये 2661.20 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध शिक्षा विभाग का अंश रुपये 1463.70 लाख में से रुपये 609.75 लाख जारी किये जा चुके हैं एवं शेष राशि जारी की जाना है, निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।
- (vii) राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 10490 शालाओं में विद्युत संयोजन राशि रुपये 1320.70 लाख का कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में 17054 शालाओं में विद्युतीकरण राशि रुपये 2684.65 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें बजट उपलब्धता अनुसार राशि रुपये 858.5171 लाख जारी किये गये हैं एवं शेष राशि रुपये 1826.1329 लाख किये जाना है। 4164 कार्य पूर्ण है एवं शेष प्रगतिरत हैं।

एकीकृत शाला निधि :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से शालाओं हेतु एकीकृत शाला निधि स्वीकृत की गई, जिसके माध्यम से शाला का अधोसंरचना का रखरखाव एवं शाला में लगने वाले आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु 10% राशि निर्धारित की गई है, जिसमें माध्यम से शाला के शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाना है। इस धनराशि के उपयोग का निर्णय शाला प्रबंधन समिति ही करती है। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का एकीकृत शाला निधि का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष

2018-19 से समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शालाओं में एकीकृत शाला निधि के रूप में 14 छात्र संख्या तक रुपये 12500/-, 15 से 100 छात्र संख्या तक रुपये 25000/- 101 से 250 छात्र संख्या तक रुपये 50000/-, 251 से 1000 छात्र संख्या तक 75000/- एवं 1000 से अधिक छात्र संख्या वाली शालाओं में रुपये 100000/- शाला प्रबंधन समिति के खातों में जारी की जाती है।

स्वच्छ विद्यालय अभियान :

म.प्र. की शालाओं में 'वॉश' का उद्देश्य स्वच्छता ढाँचे का विकास, इसके संचालन तथा रख रखाव हेतु बच्चे (Child Cabinet), SMCs, समुदाय तथा शासकीय अन्तर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल स्वच्छता के सुचारु संचालन हेतु निम्नानुसार वर्ष 2021 में गतिविधियाँ संचालित की गई है :-

- यूनिसेफ की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में गतवर्ष एक एवं दो स्टार शालाओं को सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से दर्शाये गये स्वच्छता के घटकों में कार्य करते हुये तीन स्टार एवं उसके ऊपर अपग्रेड करने हेतु कार्य किया जा रहा है, कुल 31546 एक एवं दो स्टार शालाओं में से 19147 शालाओं का मोबाईल बेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापन किया गया, जिसमें से 15254 शालाएँ तीन स्टार एवं उससे ऊपर सत्यापित हुई, शेष 12399 एक एवं दो स्टार शालाओं का सत्यापन चालू वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। कोविड-19 संक्रमणकाल को ध्यान रखते हुए इन शालाओं में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्थाएं संधारित करना स्वच्छता सुविधाओं का सुचारु संचालन विशेष रूप से शाला आकस्मिक निधि के माध्यम से करना प्रस्तावित है।
- माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर नल से जल प्रदाय हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सभी शालाओं में पेयजल एवं साबुन से हाथ धुलाई के स्थान पर तथा शौचालय में निरंतर जल प्रदाय पाइप फिटिंग के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार लोक यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर प्रदेश की सभी शालाओं में पाइप फिटिंग के माध्यम से पेयजल, साबुन से हाथ धुलाई इकाई में एवं शौचालयों में जल आपूर्ति करने हेतु सघन मॉनिटरिंग एवं समन्वय किया जा रहा है।
- कोविड-19 संक्रमणकाल में हाथों की स्वच्छता को लेकर इस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 14399 हाथ धुलाई इकाई में स्वीकृत की गई, जिसे कोविड-19 में दर्शाए प्रोटोकाल अनुसार सामाजिक दूरी एवं लिविड सोप की व्यवस्था के साथ निर्माण किया जा रहा है।
15 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस का आयोजन म.प्र. की सभी शालाओं में किया गया। कोविड-19 के संक्रमणकाल की वजह से इस वर्ष शालाओं विभाग द्वारा आयोजित "हमारा घर हमारा विद्यालय" के माध्यम से साबुन से हाथ धोने की तकनीक एवं लाइट डेमों का आयोजन किया गया, जिसमें शाला प्रबंध समिति, समुदाय एवं शिक्षकगण तथा विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता सभी जिलों में विद्यार्थीगण 1600432 तथा 10432 शालाओं ने भाग लिया।



- कोविड-19 अंतर्गत विद्यालयों की स्वच्छता पर आधारित विषयों पर ऑनलाइन चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 विद्यार्थियों के समूह में से राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर की सुश्री श्वेता श्रीवास, कक्षा 11वीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंधीग्राम, जबलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरव बढ़ाया।



- शहरी क्षेत्र स्थित समस्त शासकीय शालाओं में शाला परिसर एवं शौचालयों की नियमित साफ सफाई तथा अन्य अधोसंरचनाओं हेतु शिक्षा उपकर की राशि से करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग से समन्वय कर निर्देश जारी करवाये गये हैं।
- बाल मित्र शौचालय : बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक् शौचालय, शौचालय का डिजाइन आर्किटेक्ट एवं प्लानिंग द्वारा परिवर्तित किया गया, जिससे कि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं विशेषकर बालिकाओं के अनुकूल हो सके। हाथ धुलाई इकाई का प्रावधान शौचालय निर्माण में रखा गया है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान अन्तर्गत नवीन शौचालय निर्माण के साथ हाथ धुलाई इकाई का निर्माण किया गया।

3.2.3 शिक्षक-शिक्षा सुदृढीकरण

केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा शिक्षक योजना के अंतर्गत प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल एवं इसके अधीन संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के दृष्टिगत शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त और बेहतर करने की योजना है।

शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण हेतु सेवाकालीन एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है-

3.2.3.1 सत्र 2020-21 में भारत सरकार द्वारा राज्य की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के आवर्ती मद के अन्तर्गत राशि रुपए 3392.57 लाख का अनुमोदन दिया गया है, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 2035.54 (60 प्रतिशत) लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 1357.02 लाख (40 प्रतिशत) है एवं अनावर्ती मद के अन्तर्गत राशि रुपए 1326.20 लाख, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 795.72 लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 530.48 लाख है। नवीन जिलों अशोकनगर, अनूपपुर एवं सिंगरौली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक भवन निर्माण किये जा रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों की अकादमिक दक्षता संवर्धन हेत विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से उन्मुखीकरण की योजना है।

3.2.3.2 वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 47 डाईट्स में से 44 डाईट्स द्वारा डी.एल.एड. नियमित पाठ्यक्रम संचालित है। शेष डाईट्स द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम

संचालन करने की मान्यता प्रक्रियाधीन है। इन सीट्स पर प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षक को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नियमावली अनुसार गठित फीस विनियामक समिति द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारित किये गये हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संस्थान विकास समिति गठित है। इन समितियों की नियमित बैठक आयोजित कर स्थानीय प्रबंधन एवं संसाधनों का सुदृढीकरण किया गया है।

3.2.3.3 प्रदेश में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी.एड. पाठ्यक्रम में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु 1,385 स्थान उपलब्ध हैं। 3550 अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. पाठ्यक्रम (नियमित) में तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण के द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 40 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों हेतु 340 सीट्स/स्थान उपलब्ध हैं।

3.2.3.4 सतत शिक्षा के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पी.एच.डी. प्रवेश के अर्हताधारी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षकों को पी.एच.डी. हेतु प्रशासकीय अनुमति प्रदान की जा रही है।

3.2.3.5 प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता हेतु संचालित विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के सफल एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन का मूल्यांकन शासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं एवं प्रतिष्ठित शासकीय/गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। 02 प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASE)- भोपाल एवं जबलपुर, 07 शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTE) (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) और 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) द्वारा शैक्षिक योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर शोध के माध्यम से संप्राप्तियां, निष्कर्ष, सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रदान की जाती हैं।

वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण में शोध से प्राप्त निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं को सम्मिलित किया जाता है। सत्र 2020-21 की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं -

- 09 मध्यावधि- शोध प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) द्वारा, 43-लघु अवधि शोध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) द्वारा किये जा रहे हैं। 558 क्रियात्मक अनुसंधान- प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किये जा रहे हैं। प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) द्वारा M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों से 310 Dissertation (लघु शोध प्रबंध) करवाए जा रहे हैं।

- सत्र 2019-20 में डिजिटल एनहैंसमेंट प्रोग्राम द्वारा विज्ञान विषय के शिक्षण, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम एवं उनके उपलब्धि स्तर पर प्रभाव, जिला एवं विकास खंड स्तर द्वारा की जा रही अकादमिक मॉनीटरिंग का अकादमिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव, नियमित सुलेख श्रुतलेख देने एवं मौखिक गणित के अभ्यास की स्थिति, प्राथमिक शालाओं में नामांकन में गिरावट के कारण, के. जी.बी.वी. एवं बालिका छात्रावास की बालिकाओं तथा शाला में अध्ययनरत अन्य बालिकाओं का उपलब्धि स्तर, माध्यमिक विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधि अंतर्गत बालसभा का विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, टीचर हेण्ड बुक एवं अभ्यास पुस्तिका की उपयोगिता का शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर होने वाले प्रभाव, नियमित गृह कार्य तथा अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच एवं त्रुटि सुधार से लर्निंग आउटकम्स पर पड़ने वाले प्रभाव, शाला से बाहर एवं कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के शाला प्रवेश एवं नियमितता हेतु समुदाय के योगदान, माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित स्मार्ट क्लास योजना के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता शाला, शाला सिद्धि 'हमारी शाला ऐसी हो' कार्यक्रम अंतर्गत चयनित शालाओं के स्व-मूल्यांकन में आने वाली समस्याओं, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर मोबाइल स्रोत सलाहकार (MRC) एवं विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य शैक्षिक नवाचार के आधार पर प्रायोगिक शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि का

सतत् एवं व्यापक अध्ययन, सतत् व्यापक अधिगम एवं मूल्यांकन का विद्यार्थियों में इक्कीसवीं शताब्दी के लिए आवश्यक कौशल तथा अधिगम पर प्रभाव, RTE अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित विद्यार्थियों की उपस्थिति ठहराव एवं उपलब्धि स्तर, शैक्षिक संवाद का माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रभाव आदि विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं।

- सभी जिलों में क्रियात्मक अनुसंधान विषय पर दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।
 - शोधकर्ताओं के लिये शोध प्रविधियों पर प्रशिक्षण सह कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
- शोध कार्यों की मॉनीटरिंग समय-समय पर प्रत्येक स्तर पर की जाती है।

3.2.4 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना

केन्द्र प्रायोजित स्कीम "मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना SPEMM (Scheme For Providing Quality Education in Madrasa/Minorities) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पूर्व 1810 मदरसे वित्तीय सहायता के पात्र हैं। जिसमें लगभग 4177 स्नातक एवं 251 स्नातकोत्तर शिक्षक लाभान्वित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 214 तथा 2018-19 में 59 नवीन मदरसों के प्रस्ताव भारत शासन को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा स्नातक शिक्षक को 72000/- एवं स्नातकोत्तर अथवा बी.एड.योग्यताधारी शिक्षक को रुपये 1,44,000/- प्रति वर्ष प्रति शिक्षक के मान से वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों को जिन्हें भारत शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई हो अथवा की जायेगी को मध्यान्ह भोजन का लाभ प्रदाय किया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बजट प्रावधान कराकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को राशि उपलब्ध कराई जायेगी। जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम एवं द्वितीय किशत के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 346.08 लाख की राशि आवंटित की जाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बी.सी.ओ.में स्थानान्तरित की गई है। जिसके अंतर्गत 273 मदरसों में प्राथमिक शाला में लगभग 12213 तथा माध्यमिक शाला में 3342 (कुल 15555) अध्ययनरत विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

3.2.5 नेशनल स्कीम फार इन्सेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्युकेशन (एन.एस.आई.जी. एस.ई)

नेशनल स्कीम फार इन्सेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्युकेशन (NSIGSE) भारत सरकार की पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी वर्गों की पात्र बालिका के खाते में राशि रु 3000/- (राशि तीन हजार रूपए मात्र) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु व अविवाहित होने पर राशि आहरित करने हेतु पात्र होती है।

वर्ष 2016-17 से भारत सरकार की यह योजना " राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल " (National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। Online आवेदन जिले तथा जिले के माध्यम से किए जा रहे हैं।

उक्त योजना को नवीन स्वरूप में संचालन हेतु मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेशों से सुझाव/संशोधन चाहे गये थे। वर्तमान में भारत सरकार से योजना के संबध में अद्यतन दिशा निर्देश अपेक्षित है।

3.2.6 इंस्पायर अवार्ड योजना

भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना प्रदेश के युवाओं में किया गया एक ऐसा निवेश है, जो विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को विकसित करता है। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान का बीज बोना, उसका पोषण करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, रुचि बढ़ना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। इस योजना हेतु प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक, हाईस्कूल, उ. मा. विद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केन्द्रीय स्कूल (सेन्ट्रल स्कूल) नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं केन्द्र सरकार के अन्य विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी पुरस्कार के पात्र होते हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना की संकल्पना को संशोधित करते हुए योजना का नाम इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किया गया है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम देशभर के पाँच लाख विद्यालयों के स्कूली बच्चों (प्रत्येक विद्यालय से दो सर्वश्रेष्ठ विचार ; फकमंद के लगभग 10 लाख नवाचारों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग और 6वीं-10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आइडियास को शामिल किया गया।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रदेश के लगभग 26,000 विद्यार्थियों द्वारा अपने आइडियास भारत सरकार को आनलाईन भेजे गये जिसमें से भारत सरकार द्वारा 2020-21 हेतु 819 अवार्डी छात्रों को चयन किया गया। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय आयोजन सम्पन्न नहीं हुआ।

3.3 अन्य योजनाएं/गतिविधियाँ

3.3.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश

3.3.1.1 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना।

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 07 नवीन ट्रेड को जोड़ा गया तथा हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 02 ट्रेड की परीक्षा ली जावेगी। इस योजना में हाईस्कूल के छात्र तृतीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 09 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का चयन कर सकता है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा के छात्र द्वितीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 02 ट्रेड में किसी एक ट्रेड का चयन कर सकता है।

नवीन व्यावसायिक जिला योजना अन्तर्गत सत्र 2018-19 से दो वर्षीय पाठ्यक्रम के 05 ट्रेड्स कक्षा 9वीं में प्रारंभ कर दिए गए हैं जिनका प्रथम बैच कक्षा 10वीं में सत्र 2019-20 में Exit हुआ, एवं सत्र 2018-19 से 04 ट्रेड्स कक्षा 9वीं में प्रारंभ किए गए हैं जिनका प्रथम बैच कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 में Exit हुआ।

3.3.1.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिये नवीन मूल्यांकन योजना

सत्र 2020-21 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु नवीन मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई है। अंक विभाजन निम्नानुसार है :-

हाईस्कूल :- हाईस्कूल में गणित एवं विज्ञान विषय में एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। हाईस्कूल के सभी विषयों में 80 अंक सैद्धांतिक परीक्षा एवं 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। हाईस्कूल परीक्षा हेतु नियमित हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिये प्रश्नपत्र का निर्माण 100 अंकों का ही होगा। केवल नियमित छात्रों हेतु 100 अंक का 80 प्रतिशत अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा। स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल विज्ञान विषय में 80 अंक सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित है।

हायर सेकेण्डरी :- हायर सेकेण्डरी में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। हायर सेकेण्डरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रायोगिक विषयों का मूल्यांकन 70 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा तथा 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर किया गया है।

सत्र 2020-21 से कला संकाय के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मनोविज्ञान परीक्षा तथा 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर किया गया है।

वाणिज्य संकाय के छात्रों हेतु मूल्यांकन व्यवस्था :- नियमित छात्रों हेतु 100 अंकों का प्रश्नपत्र निर्धारित है। 100 अंकों में से प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा एवं 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित है। स्वाध्यायी छात्रों के लिये 100 अंक का प्रश्नपत्र होगा एवं प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किये जायेंगे। स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रोजेक्ट वर्क का प्रावधान नहीं रखा गया है।

एन.एस.क्यू.एफ. भारतीय संगीत, ड्राइंग डिजाइन एवं ललित कला समूह में मूल्यांकन व्यवस्था पूर्ववत् ही रहेगी।

3.3.1.3 म.प्र. में ऐच्छिक विषय के रूप में एन.सी.सी.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में वर्ष 2017-18 से तथा सत्र 2019-20 से हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में एन.सी.सी. को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐच्छिक विषय की ग्रेड अंकसूचियों में प्रदर्शित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि एन.सी.सी. विषय के प्रति छात्र-छात्राओं में और अधिक रुझान उत्पन्न हो सके तथा प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं में रक्षा सेवाओं की भांति अनुशासन, समर्पण, देश-भक्ति की भावना जागृत की जा सके।

3.3.1.4 सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप सत्र 2008-09 से प्रारंभ की गयी थी। इसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय दैनिक खर्चों की आर्थिक पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह छात्रवृत्ति हायर सेकेण्डरी परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 4299 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है। जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गयी हैं। उपरोक्त 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जाता है।

इन अभ्यर्थियों में सभी वर्गों को कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 5 प्रतिशत विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित है।

इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2019-20 में Top 20 Percentile वाले पात्र आवेदकों को सत्र 2020-21 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत होना चाहिये।

सभी प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक स्तर तक 4 वर्ष तथा अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर पर प्रथम तीन वर्ष के लिए रुपये 10,000/- प्रतिवर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रुपये 20,000/- प्रतिवर्ष होती है।

3.3.1.5 मण्डल की परि-सम्पत्तियों का जीर्णोद्धार:-

मण्डल मुख्यालय परिसर स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन एवं विज्ञान केन्द्र के रेनोवेशन के कार्य किया जाना है। कार्य पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि क्रमशः रु. 996.80 एवं 409.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 04.01.2021 में प्रदान की गई है। जिसके तारतम्य में रेनोवेशन के कार्य के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा रही है।

मण्डल द्वारा संचालित आदर्श उमावि टी.टी. नगर भोपाल परिसर में जी+3 स्कूल भवन, टायलेट ब्लॉक, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का निर्माण तथा ग्राउण्ड डवलपमेंट आदि का कार्य किया जाना है। कार्य पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि रु. 1150.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 04.01.2021 में प्रदान की गई है। जिसके तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा रही है।

मण्डल की आवासीय कालोनी रविशंकर नगर में लगभग 50 वर्ष पुराने एवं जर्जर अवस्था में स्थित 10 बंगलों को तोड़कर 16 नवीन अधिकारी आवास गृह बनाने का कार्य किया जाना है, तथा रविशंकर नगर नई कालोनी में पुराने एवं जर्जर 6 टाईप के 36 आवास गृहों को तोड़ने से रिक्त हुई भूमि पर 8 मंजिला 2 कम्प्लेक्सों का निर्माण (2BHK के 32 No. And 3BHK के 16 No.) कार्य कराये जाने एवं कार्य पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि क्रमशः रु. 1390.09 लाख एवं रु. 1933.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 04.01.2021 में प्रदान की गई है। जिसके तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा रही है।

3.3.1.6 हेल्पलाइन सेवा

विद्यार्थियों में परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा के उपरान्त होने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव व अन्य प्रकार की व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान हेतु सत्र 2006-2007 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी हेल्पलाइन सेवा का संचालन निरन्तर किया जा रहा है।

वर्ष 2020 की हेल्पलाइन सेवा 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक संचालित की गई। 04-04 घण्टे की 03 पारियों के माध्यम से प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 तक किया गया। प्रत्येक पारी में 06 काउंसलर्स द्वारा दूरभाष पर काउंसलिंग प्रदान की गई, साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों को भी परामर्श प्रदान किया गया।

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु यह निर्णय लिया गया कि, हेल्पलाइन सेवा यथावत टोल फ्री नम्बर 18002330175 पर काउंसलर्स के माध्यम से वर्क फ्राम होम संचालित की गई, जिसमें कुल 235576 विद्यार्थियों को काउंसलिंग का लाभ प्रदान किया गया।

3.3.1.7 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षाओं के परीक्षा-परिणामों में सुधार एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों के विषयज्ञान के गुणात्मक स्तर में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों यथा विभिन्न आडियो वीडियो अल इत्यादि तकनीकी के माध्यम से वृद्धि लाना शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है।

प्रदेश में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि करने हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने प्रदेश के अंग्रेजी भाषा के लगभग 7000 शिक्षकों के अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सम्प्रेक्षण कौशल (Communication Skills) को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ब्रिटिश काउंसिल के 04 वर्षीय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को वर्ष 2018 से 2022 के मध्य अंग्रेजी भाषा शिक्षण के साथ सम्प्रेक्षण कौशल बढ़ाने हेतु जोर दिया जायेगा साथ ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने एवं अंग्रेजी भाषा बोल-चाल हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में ब्रिटिश काउंसिल द्वारा समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किये गये।

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षाओं के परीक्षा-परिणामों एवं शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रमुख विषयों के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों यथा आडियो/वीडियो अल आदि के माध्यम से उनके विषयज्ञान में गुणात्मक स्तर का उन्नयन किये जाने हेतु ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

3.3.2 म.प्र. मदरसा बोर्ड (अन्य योजनाएं/गतिविधियां) :

म.प्र. मदरसा बोर्ड की राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से आयोजित होने वाली हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्तमान में उर्दू माध्यम में आयोजित की जाती है। जबकि प्रदेश में संचालित माध्यमिक स्तर तक के मदरसों में तीनों माध्यम (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू) में छात्र/छात्राएं अध्ययन करते हैं। मदरसा बोर्ड का गठन प्रदेश में संचालित मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु किया गया है। ऐसे में हाई स्कूल हायर सेकण्डरी में उर्दू माध्यम की बाध्यता को समाप्त कर परीक्षार्थियों को हिन्दी एवं उर्दू दोनों माध्यम से परीक्षाओं में सम्मिलित होने की सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है हिन्दी माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा में उर्दू विषय अनिवार्य रहेगा। इस सुविधा से अधिक संख्या में मदरसा छात्रों को लाभ प्राप्त हो सकेगा केवल उर्दू माध्यम से परीक्षा होने के कारण छात्रों की संख्या में काफी कमी आ रही है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

3.3.3 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

3.3.3.1 रुक जाना नहीं योजना

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को साल खराब नहीं हो इसी उद्देश्य से रुक जाना नहीं योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नियमित/स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है ताकि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनका वर्ष बरबाद नहीं हो और वे आत्मघाती कदम उठाने से दूर रहें।

उक्त योजना का लाभ लेकर कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत हैं तथा कक्षा 12 वीं के विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के बाद उच्च अध्ययन हेतु अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं।

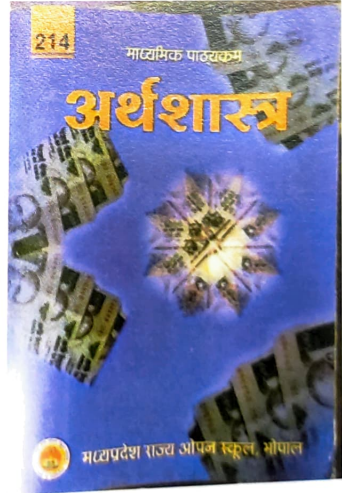
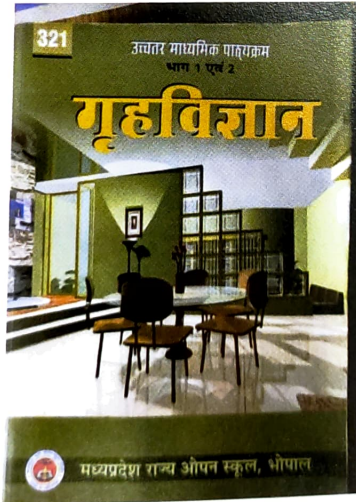
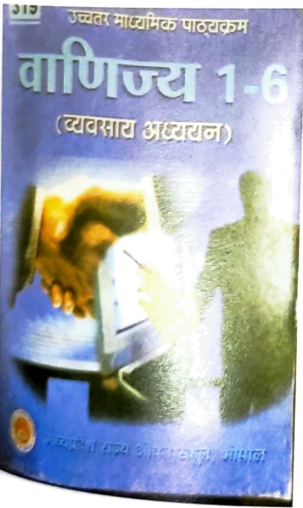
डिजिटल मूल्यांकन

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भी अगस्त एवं दिसम्बर 2020 में शासकीय गाइड लाईन का पालन करते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया तथा उक्त आयोजित परीक्षाओं की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल मूल्यांकन द्वारा कराया जा रहा है। समस्त अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कराई जाकर लगभग दस लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कंप्यूटर पर ही कराया जाकर एक माह से कम रिकार्ड समय सीमा में परीक्षा परिणाम तैयार कराकर घोषित किया गया। डिजिटल मूल्यांकन कार्य कराये जाने से मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता आयी और फर्जीवाड़ा भी समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल प्रदेश ही नहीं अपितु देश का पहला ऐसा बोर्ड है जिसके द्वारा सब्जेक्टिव डिजिटल मूल्यांकन कार्य कराया जा रहा है जिसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं।

1. व्यावसायिक शिक्षा

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में चार व्यावसायिक विषय यथा स्टेनोग्राफी (हिन्दी), खाद्य संसाधन, कटिंग टेलरिंग एण्ड ड्रेस मटेरियल तथा कंप्यूटर हार्डवेयर असेम्बली एण्ड मेंटेनेंस तथा उद्यमिता एवं कौशल विकास की शिक्षा दी जा रही है। ये विषय कुछ चुने हुए अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये हैं। विद्यार्थी इन चार विषयों में से किसी एक विषय का चयन, अन्य विषयों के साथ कर सकता है।

अध्ययन सामग्री



छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन सामग्री ओपन स्कूल की वेबसाइट पर जारी की गई। म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा दसवीं तथा बारहवीं के पाठ्यक्रम में क्रमशः 11 व 18 विषय सम्मिलित हैं। कक्षा 10वीं में कुल 5 भाषाएँ तथा अन्य शैक्षिक विषय हैं। जबकि कक्षा 12वीं में 3 भाषाओं तथा 4 व्यावसायिक विषयों सहित कुल 18 विषय हैं। जिनमें से विद्यार्थियों द्वारा अधिकतम 2 भाषाओं का चयन किया जा सकता है।

ऑन लाईन प्रमाण पत्र की व्यवस्था

डिजिटल इंडिया के सपने का साकार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रवेश फार्म, प्रवेश पत्र, माइग्रेशन ऑन लाईन के माध्यम से विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसी भी विद्यार्थी को उक्त अभिलेख प्राप्त करने के लिए मुख्यालय, भोपाल नहीं आना पड़े।

सबके लिए शिक्षा (EFA) योजना

सबके लिए शिक्षा (EFA) योजना के तहत प्रदेश के समस्त 52 जिलों के मुख्यालय तथा एक विकासखण्ड शुजालपुर में स्थित एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विश्वस्तरीय विद्यालय बनाये जाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। उक्त सभी संस्थाओं में विश्वस्तरीय सुविधा के साथ अध्यापन व्यवस्था करने का लक्ष्य है। उक्त पर खर्च होने वाली धनराशि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की निधि से खर्च की जावेगी।

EFA के तहत चयनित विद्यालयों की पृथक-पृथक वेबसाइट का निर्माण कराया गया है तथा उस पर विद्यालय की जानकारी अपलोड की जा चुकी है।

वर्ल्ड ऑन व्हील प्रोजेक्ट



प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से "वर्ल्ड ऑन व्हील योजना" के तहत EDII (Entrepreneurship Development Institute of India, Gandhi Nagar Gujrat) गुजरात की कम्पनी से एक बस प्राप्त की गई है उक्त बस 20 कम्प्यूटर लेब से सुसज्जित है जो कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से भी चल रही है।

मोबाइल एप सुविधा

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों का योजनाओं की जानकारी हेतु वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से जनमानस को संस्था की योजनाओं/नियमों/निर्देशों की प्रतियों को प्रसारित किया जाता है। इसी प्रकार संस्था के द्वारा मोबाइल एप (MPSOS) का भी निर्माण किया गया है जिससे अनेकों विद्यार्थियों को संस्था की जानकारी प्राप्त हो रही है और प्रश्न मंच के माध्यम से विद्यार्थियों की कठिनाईयों का भी निराकरण किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को अपने विषय संबंधी कठिनाईयों के निराकरण के लिए वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय, भोपाल कार्यालय के वीडियो कन्फ्रेंसिंग कक्षा से सीधे समस्त ब्लॉक में स्थित विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण से विद्यार्थियों की विषय संबंधी कठिनाईयों का निराकरण किया जा रहा है।

वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा EFA के तहत चयनित विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ हेतु वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा भृत्यों के लिए हाउस कीपिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन्डस्ट्रीयल वेक्यूम क्लीनर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षकों को अमेरिकन अंग्रेजी एसेन्ट का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भोपाल के सहयोग से विभिन्न जिलों के गणित एवं भौतिक विषयों के शिक्षकों को ऑन लाईन प्रशिक्षण प्रदान किया।

चयन/पात्रता/प्रवेश परीक्षा का आयोजन

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपनी परम्परागत परीक्षाओं के साथ-साथ राज्य शासन के निर्देश पर निम्नांकित चयन/पात्रता/प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2020 में किया गया तथा रिकार्ड समय सीमा में ही परीक्षा परिणाम, मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी की गई।

क्र.	परीक्षा का नाम	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या
1.	उत्कृष्ट विद्यालय/मॉडल स्कूल चयन परीक्षा	1,00,897
2.	आदर्श संस्कृत कन्या आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा	310

EFA संकलन केन्द्रों का सुदृढीकरण

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के 9 संभागीय मुख्यालयों पर 2000 विद्यार्थियों के एक साथ परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए एक हाल का निर्माण संस्था की निधि से कराया जा रहा है। उक्त शेड के निर्माण के साथ-साथ बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था भी की जावेगी। उक्त निर्माण से विद्यालय में 2000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त हॉल का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं एवं मूल्यांकन कार्य के लिए भी किया जा सकेगा। हॉल में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे।

वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की सबके लिए शिक्षा योजना के तहत भोपाल स्थित शासकीय सरोजनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छत पर कमरों का निर्माण कराए जाने हेतु अनुदान प्रदान किया गया। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र.2, नीमच में आयर फेब्रिकेशन के कार्य हेतु ओपन बोर्ड द्वारा अनुदान प्रदान किया।



शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुजालपुर नगर, जिला-शाजापुर में हैण्डीक्राफ्ट एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली के सहयोग से राज्य स्तरीय कौशल केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस हेतु हैण्डीक्राफ्ट एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संचालक म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड,भोपाल के मध्य अनुबंध माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है।

कम्प्यूटर लेब हेतु अनुदान



मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रदेश के समस्त 52 जिलों में स्थित संकलन केन्द्रों के सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से उक्त संकलन केन्द्रों पर 100 कम्प्यूटर से युक्त लेब एवं फर्नीचर के लिए संस्था की निधि से अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त कम्प्यूटर लेब से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे साथ ही उक्त लेब का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। स्थानीय सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में उक्त लैब स्थापित की चुकी है।

वर्ष 2020 में शासकीय अद्वितीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मण्डला में कम्प्यूटर लेब की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुदान से एक हॉल का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। इसी प्रकार शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सागर में भी हॉल का निर्माण किया जा चुका है।

परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों का विवरण

1. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल द्वारा विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परीक्षा वर्ष	योजना का नाम	सम्मिलित कक्षा 10 वीं	सम्मिलित कक्षा 12 वीं	उत्तीर्ण कक्षा 10 वीं	उत्तीर्ण कक्षा 12 वीं
1.	जून, 2018	रुक जाना नहीं	59,665	64,659	28,637	30,764
2.	जून, 2018	ओपन स्कूल परम्परागत	12,047	6,634	2,595	1,836
3.	दिसम्बर, 2018	रुक जाना नहीं	22,231	25,195	9,735	12,380
4.	दिसम्बर, 2018	ओपन स्कूल परम्परागत	9,712	6,431	2,824	1,343
5.	जून, 2019	रुक जाना नहीं	77,374	54,659	15,207	11,114
6.	जून, 2019	ओपन स्कूल परम्परागत	7,950	5,714	1,548	1,112
7.	दिसम्बर, 2019	रुक जाना नहीं	20,678	25,218	11,205	10,614
8.	दिसम्बर, 2019	ओपन स्कूल परम्परागत	9,089	5,704	2,565	1,836
9.	अगस्त, 2020	रुक जाना नहीं	85,616	66,641	17,990	14,836

10.	अगस्त, 2020	ओपन स्कूल परम्परागत	5,131	3,900	701	837
11.	दिसम्बर, 2020	रुक जाना नहीं	29,863	37,382	12,717	20,743
12.	दिसम्बर, 2020	ओपन स्कूल परम्परागत	6,576	5,217	1,700	2,139

ओपन स्कूल के परम्परागत विद्यार्थियों की परीक्षाएं

रुक जाना नहीं योजना/प्रवेश/पात्रता/चयन परीक्षाओं के साथ-साथ ही ओपन स्कूल में परम्परागत परीक्षार्थियों की भी परीक्षाएं तथा मध्य प्रदेश मंदरसा बोर्ड में प्रवेशित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं विगत वर्षों की तरह वर्ष 2020 में भी आयोजित की गई है।

आई.टी.आई विद्यार्थियों के लिये योजना

आई.टी.आई. करने के बाद रोजगार के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके इस हेतु कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् आई.टी.आई. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 12 वीं के समकक्ष माना जाने के लिए ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू की गई है जिसमें अनेक विद्यार्थी सम्मिलित होकर योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और कौशल विकास संचालनालय के मध्य अनुबंध भी हस्ताक्षरित किया गया है।

इस योजना में सम्मिलित विद्यार्थियों का परीक्षाएं अगस्त, 2020 तक कराई जा चुकी हैं।

3.3.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान

3.3.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान
3.3.4.1 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान, शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल की समेकित वेबसाईट www.mpssbhopal.org संचालित है। जिसमें संस्थान से संबंधित समस्त जानकारी एवं आयोजन, गतिविधियों, पाठ्यक्रम, परीक्षा, सम्बद्धता, प्रशिक्षण आदि के संबंध में जारी किये जाने वाले आदेश अपलोड किये गये हैं। वेबसाईट पर लगभग 538 प्राचीन पुस्तकों, संस्थान की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मार्गदर्शन हेतु प्रश्नबैंक एवं आदर्श उत्तर पाठ्यसामग्री सहित, संस्कृत भाषा में एल.के.जी. यू.के.जी कक्षाओं तथा कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं की 03 पुस्तकों के प्रायोगिक संस्करण तथा संभाषण हेतु संस्कृत प्रबोधनी की पुस्तक को स्कैन किया जाकर अपलोड किया गया है जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।



महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग)

संस्था के बारे में	संबद्ध विद्युत	अकादमी	परीक्षा	प्राप्तकर्ता	विषय	जीपा / अर्थ	दस्तावेज
--------------------	----------------	--------	---------	--------------	------	-------------	----------



महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

संस्कृत तथा उसके साहित्य के अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को अग्रसर करने के प्रयत्न हेतु मुक्त सार पर संस्कृत शिक्षा को विविधित करने के लिए उससे सम्बन्धित एवं अनुसंधानिक अथवा विचारों के लिए एक प्रतिष्ठान के माध्यम से मार्गों पर प्रतिष्ठित संस्कृत संस्थान की 2008 में स्थापना हुई।

DETAILS

[illegible][illegible]

મહાવિ પાંડવોનિ સંસ્કૃત સંભા મોચલ

[illegible]

View all | Today | This week | This Month | Search

QUESTION BANK



946

1 Oct

12th

SANSKRIT TUTORIAL

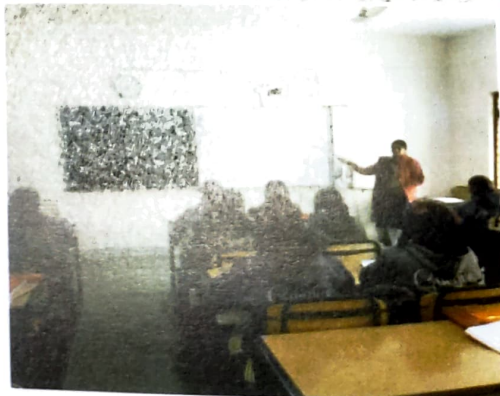


[Click for more more video](#)

2. तीनों संस्थाओं की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाकर मोबाईल वस द्वारा प्रदेश में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के सर्वमुक्तियुक्त G+5 मंजिला नवीन भवन हेतु लागत रु. 10.25 करोड़ स्वीकृत किये गये। इस भवन में 165 सीटर आडीटोरियम, गेस्ट हाऊस एवं कार्यालय आधुनिक अग्निशमनयंत्र एवं केन्द्रीयकृत वातानुकूलन की व्यवस्था है। जिसका निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (पी.आई.यू.) द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।



3. प्रदेश का पहला राज्यस्तरीय शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत उ.मा. विद्यालय भोपाल जो **GARGI'S (GOVT. ADARSH RESIDENTIAL GIRLS INSTITUTE FOR SANSKRIT)** के नाम से जाना जाता है, जुलाई 2018 से प्रारंभ किया गया है। विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक संस्कृत माध्यम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। सत्र 2019-20 से कक्षा 6 एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करायी जा रही है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सत्र 2020-21 में विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में 164 छात्राएं अध्ययनरत हैं जिन्हें निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क भोजन, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, स्टीम लेब एवं अन्य समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ छात्राएँ पारम्परिक एवं आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन कर रही हैं।



4. प्रदेश में पांच आदर्श संस्कृत विद्यालय, सिरोंज, दतिया, उज्जैन, बुरहानपुर एवं बरही (कटनी) में स्वीकृत किये जाकर इनमें से सिरोंज में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु नक्शा अनुमोदन हेतु प्राप्त हो चुका है। दतिया बरही (कटनी) एवं उज्जैन में भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। बुरहानपुर में भूमि आवंटन हो चुकी है। इन विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा के परम्परागत विधि से किये जा रहे अध्ययन को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये आधुनिक पद्धति से भी शिक्षा का प्रावधान है। इन सभी विद्यालयों में संस्कृत और इसके साहित्य तथा प्राच्य संस्कृत को सम्मिलित करते हुये संस्कृत में ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गयी है।

5. संस्थान द्वारा कोविड संक्रमण के दौर में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं संस्कृत विद्यालयों में संभाषण हेतु संस्थान द्वारा चयनित विषय विशेषज्ञों/वक्ताओं द्वारा संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु माह जुलाई से सितम्बर 2020 तक 24 ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। जिसमें 20 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय वक्ता एवं 3000 श्रोताओं द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

क्र.	दिनांक	विषय
1	07.07.2020	नीतिशतकम्
2	08.07.2020	भारतीय संस्कृति - विज्ञानञ्च
3	09.07.2020	विश्वे संस्कृतम्
4	11.07.2020	रघुवंश महाकाव्य (प्रथम सर्ग)
5	13.07.2020	शिक्षकस्थ अर्थः
6	14.07.2020	संस्कृत भाषा परिचय
7	17.07.2020	स्वप्नवासोदत्तम्
8	20.07.2020	सम्भाषणम्
9	21.07.2020	विश्व में योग और आयुर्वेद का बढ़ता प्रभुत्व
10	27.07.2020	पुराण परिचय
11	29.07.2020	शून्य छाया दिवस
12	30.07.2020	भारतीय खगोल विज्ञान परम्परा

क्र.	दिनांक	विषय
13	19.07.2020	संस्कृत शिक्षा एवं अंतर्जालीय प्रयोग
14	20.07.2020	काल विर्मश और उज्जैयिनी
15	03.09.2020	शिक्षकस्य व्यवहार
16	04.09.2020	शिक्षक की विषय शिक्षण सज्जता
17	07.09.2020	पठन पाठन तत्वानी
18	10.09.2020	शिक्षक छात्र संबंध
19	11.09.2020	भाषा शिक्षण पद्धति
20	12.09.2020	व्याकरणपाठनपद्धति
21	12.09.2020	सरल संस्कृत शिक्षणम्
22	12.09.2020	संस्कृत कक्षा प्रबन्धनम्
23	13.09.2020	संस्कृत गद्यपद्य पाठनपद्धति
24	13.09.2020	मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या संस्कृतशिक्षण

6. संस्थान द्वारा कोविड संक्रमण के दौर में राज्य स्तर पर संस्कृत एवं इसके साहित्य में सन्निहित ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय शास्त्री प्रतिभा खोज चयन स्पर्धा का ऑनलाइन आयोजन दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को किया गया।

7. संस्कृत सप्ताह एवं श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य एवं विश्व बन्धुत्व के भावों को अपने अन्दर संजोए हुए वर्तमान में संगणक के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्कृत भाषा को जन-जन की भाषा बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय/प्राच्य/परम्परागत संस्कृत उ.मा.विद्यालयों में 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव के आयोजन, विज्ञान दिवस, योग उत्सव के आयोजन हेतु महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रति विद्यालय को राशि रु. 30,000/- के मान से कुल राशि रु. 10.50 लाख का प्रावधान किया गया है।



8. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल एवं संस्कृतभारती मध्यभारतप्रान्त के संयुक्त तत्वाधान में व्याकरण पठन-पाठन पद्धति एवं सरल संस्कृत शिक्षणम् विषयों पर दो दिवसीय ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2020 को आयोजित किये गये। जिसमें लगभग 800 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।
9. सत्र 2020-21 हेतु आनलाइन/आफलाइन आवेदित नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण संस्कृत विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन/विभागीय अनुमति के आधार पर कुल- 204 संस्कृत विद्यालयों को संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गई। प्रदेश में संस्कृत भाषा में अध्ययन-अध्यापन के उद्देश्य से एल.के.जी (अरुण) से कक्षा 4 तक की कक्षाएँ संचालित करने के लिए 77 संस्कृत विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गई।
10. सत्र 2021-22 में आनलाइन/आफलाइन आवेदित कुल 214 संस्कृत विद्यालयों की संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर कुल- 138 संस्कृत विद्यालयों की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण जारी किया गया शेष प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।
11. संस्कृत शिक्षक/आधुनिक विषय के शिक्षकों को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली की अधिसूचना के आधार पर संस्थान द्वारा विज्ञापन जारी कर संस्कृत शिक्षक/आधुनिक शिक्षकों के वित्तीय सहायता (मानदेय) हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तरीय वित्तीय सहायता समिति द्वारा परीक्षण कर प्रत्येक संस्कृत विद्यालयों के प्रस्ताव शासन के माध्यम से सत्र 2018-19 में संस्कृत शिक्षकों के 29 एवं आधुनिक शिक्षकों के 21 प्रस्ताव तथा सत्र 2020-21 संस्कृत शिक्षकों हेतु कुल 8 संस्कृत शालाओं एवं आधुनिक विषय के शिक्षकों हेतु 7 संस्कृत शालाओं प्रस्ताव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली भेजे गये हैं।
12. संस्कृत विद्यालयों की अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता विवरण- प्राच्य एवं परम्परागत पद्धति से संचालित संस्कृत विद्यालयों की अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता सत्र 2019-20 एवं सत्र 2020-21 में अशासकीय संस्कृत विद्यालयों को कुल राशि रुपये 12.50 लाख वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये।
13. संस्थान द्वारा संस्कृत सम्भाषण का आयोजन - संस्थान द्वारा संस्कृत भाषा को लोकभाषा बनाने एवं जनसामान्य में प्रचार-प्रसार की दृष्टि से पंचशील नगर भोपाल में दिनांक 12.12.2020 से संस्कृत सम्भाषण केन्द्र का शुभारम्भ शासकीय सरदार पटेल हाईस्कूल भोपाल में किया गया है।
14. एल.के.जी (अरुण) एवं यू.के.जी. (उदय) की संस्कृत पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। कक्षा 01 से कक्षा 04 तक के पुस्तकों के लेखन के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया प्रचलन में है।

15. वर्ष 2020-21 में प्रदेश स्तरीय सूर्यनमस्कार के ऑनलाइन आयोजन कराये जाने का दायित्व महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान को सौंपा गया। जिसके अनुक्रम में ऑलइण्डिया रोडियों के माध्यम से इसका प्रसारण किया गया। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. द्वारा प्रदेशवासियों को प्रतिदिन योग करने का संदेश दिया गया। कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2021 के सूर्यनमस्कार कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, जन सामान्य तथा गणमान्य नागरिकों ने अपने-अपने घरों में आकाशवाणी के माध्यम से सूर्यनमस्कार किया।
16. C.M. RISE डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित निष्ठा प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देश जारी किये जाकर शासकीय संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया।
17. डिजीलेप के क्रियान्वयन हेतु संस्कृत की पाठ्यसामग्री विकसित करने हेतु निर्देश जारी किये जाकर प्राप्त ई-सामग्री यथा पीपीटी/विडियो आदि के माध्यम से विद्यालयों के प्राचार्यों को वाट्सअप ग्रुप एवं संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से सामग्री प्रेषित की गयी।
18. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से सम्बद्ध जिला अन्तर्गत संचालित संस्कृत विद्यालयों से जानकारी प्राप्त करने तथा संस्थान की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रति माह जिला संस्कृत प्रभारियों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की जा रही है।
19. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित बोर्ड पूर्वमध्यमा अंतिम खण्ड एवं उत्तमध्यमा अंतिम खण्ड की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा क्रमशः हाईस्कूल (10वीं) एवं हायर सेकेण्डरी (12वीं) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं में कक्षा 12वीं तक नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के आवेदन एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गयी है। संस्थान द्वारा आयोजित पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा द्वितीयखण्ड (कक्षा - 10वीं एवं 12वीं) की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। जिससे परीक्षार्थी अधिक पारदर्शी हो गयी है।
20. परीक्षार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत संस्थान को परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के प्रवजन (माइग्रेशन) एवं अंकसूची की द्वितीय प्रति के आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन का जारी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
21. संस्थान स्थित पुस्तकालय में व्याकरण, ज्योतिष, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, कर्मकाण्ड, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि संस्कृत विषयों के 2084 ग्रन्थ एवं अन्य साहित्य उपलब्ध है जिनका विवरण निम्नानुसार है -

विषय	संख्या	विषय	संख्या
व्याकरण	87	कोष	25
ज्योतिष	76	दर्शन	61
न्याय	07	शिक्षा	06
वेद	43	इतिहास	40
पुराण	50	अर्थशास्त्र	03
धर्मशास्त्र	32	साहित्य/नाटक/निबंध	375
मीमांसा	09	आयुर्वेद	27
कर्मकाण्ड	45	अन्य पुस्तकें	660
प्राचीन ग्रन्थ डिजिटल वर्जन	538		

3.3.4.2 शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन :-

शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अन्तर्गत संचालित प्रदेश की एकमात्र वेधशाला है। इसका निर्माण 1719 में जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। जीवाजी वेधशाला में मध्यकालीन यंत्रों के साथ खगोल विज्ञान के आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध है। मध्यकालीन यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाडीवलय यंत्र, भित्ति यंत्र, दिगंश यंत्र एवं शंकु यंत्र स्थापित है। वहीं आधुनिक उपकरणों में तारामण्डल, टेलीस्कोप श्रृंखला एवं नक्षत्र वाटिका उपलब्ध है। इन यंत्रों की सहायता से अत्यन्त सूक्ष्मता एवं वैज्ञानिकता के साथ स्थानीय समय, सूर्य ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। साथ ही आकाशीय स्थिति को समझने के लिए तारामण्डल एवं चंद्रमा की सतह, शुक्र की कलाएं, ब्रह्मस्पति की सतह, शनि के वलय, सूर्य की सतह, पारगमन एवं ग्रहण की स्थिति देखने के लिए टेलीस्कोप उपलब्ध है। वेधशाला द्वारा 1942 से ही सायन पद्धति आधारित पंचांग का प्रकाशन किया जा रहा है।

1. मौसम के सटीक आकड़ें भेजने हेतु भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केन्द्र नागपुर द्वारा अति-उत्तम कार्य हेतु वेधशाला को पुरस्कृत किया गया है।
2. विद्यालयों को प्रमाणिक खगोलीय जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खगोलीय क्लबों के गठन एवं वेधशाला उज्जैन में विद्यार्थियों को अवलोकन करवाने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/2019/1567 भोपाल, दिनांक 10.07.2019 जारी किया गया। उक्त पत्र के परिपालन में वेधशाला द्वारा 36 खगोलीय क्लबों का पंजीयन किया जा चुका है। खगोलीय क्लबों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। खगोलीय क्लबों को वर्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं की प्रमाणिक जानकारी सतत रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।
3. वर्ष 2019-20 में कुल 61585 एवं 176 विदेशी पर्यटकों ने वेधशाला अवलोकन किया। 13310 पर्यटकों ने तारामण्डल तथा 163 पर्यटकों ने टेलिस्कोप से आकाशीय अवलोकन किया गया। वर्ष 2020-21 में (31 जनवरी 2021 तक) कुल 8157 एवं 2 विदेशी पर्यटकों ने वेधशाला अवलोकन किया गया। 684 पर्यटकों ने तारामण्डल का अवलोकन किया।



4. 21 मार्च, 21 जून, 23 सितम्बर एवं 21 दिसम्बर की खगोलीय घटना को वेधशाला के प्राचीन यंत्रों के द्वारा दिखाया गया एवं प्रेसनोट जारी कर प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।
5. वर्ष 2020 में होने वाले दो सूर्यग्रहण एवं चार चन्द्रग्रहण के दिनांक, प्रारम्भ, मध्य, अन्त के समय, दिखने वाले स्थान आदि की जानकारी वेधशाला की वेबसाइट एवं मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। दिनांक 05-06 जून 2020 की रात्रि में हुए प्रतिछाया चन्द्रग्रहण एवं दिनांक 2020 को हुए कणिका सूर्यग्रहण को वेधशाला में कोविड - 19 संक्रमण से बचाव की गाइडेंस के अन्तर्गत दिखाने की व्यवस्था नहीं की गई। परन्तु प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से

व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। 5 जुलाई 2020 एवं 30 नवम्बर 2020 का प्रतिष्ठाया चन्द्र ग्रहण तथा 14 दिसम्बर 2020 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं था। इन ग्रहण की स्थितियों की प्रमाणिक जानकारी मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करावाई गई। वर्ष 2021 में होने वाले दो सूर्यग्रहण एवं दो चन्द्रग्रहण के दिनांक, प्रारम्भ, मध्य, अन्त के समय, दिखने वाले स्थान आदि की जानकारी वेधशाला की वेबसाइट एवं मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है।

6. दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को शनि एवं बृहस्पति ग्रह की अंशात्मक युति का अवलोकन वेधशाला में किया गया एवं उसका प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार प्रसार किया गया।
7. दिनांक 12 जनवरी 2020 को कालिदास अकादमी उज्जैन में कालविमर्श और उज्जयिनी – पुराणों के संदर्भ में व्याख्यान दिया गया।
8. कोरोना काल को देखते हुए वेधशाला द्वारा निम्नांकित ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित किए गए –

क्र.	दिनांक	विषय	आयोजक
01	03.06.20	भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता	शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास
02	12.06.20	कक्षा शिक्षण कौशल	विद्याभारती उज्जैन संभाग
03	14.06.20	सूर्य ग्रहण	वेधशाला
04	20.06.20	शून्य छाया दिवस	वेधशाला
05	29.07.20	शून्य छाया दिवस	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
06	30.07.20	भारतीय खगोल विज्ञान परंपरा	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
07	20.08.20	काल विमर्श और उज्जयिनी	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
08	10.09.20	भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता	शा.कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन
09	19 एवं 20.09.20	वैदिक गणित	शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास
10	24.09.20	अधिक मास का विज्ञान	अजीम प्रेमजी फाउंडेशन खरगोन
11	22.12.20	खगोल दिवस	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
12	30.12.20	वैदिक गणित	डाइट उज्जैन
13	09.01.21	मकर संक्रांति की वैज्ञानिकता	विपनेट क्लब खरगोन

9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नईदिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को 30.01.20 को वेधशाला का अवलोकन करवाया।
10. वेधशाला को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के उद्देश्य से दिनांक 06.01.2021 को माननीय राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन द्वारा मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में वेधशाला के टिकट, अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा के नाम से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ब्रोशर, इन्टरैक्टिव वेबसाइट एवं सोवेनियर का लोकार्पण किया गया। वेधशाला के नवीन टिकिट में स्कैन क्यूआरकोड अंकित है, जिसे मोबाइल पर स्कैन कर वेधशाला के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
11. दिनांक 15.01.2021 को माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, माननीय सांसद उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र एवं माननीय विधायक उज्जैन उत्तर द्वारा वेधशाला के कैलेंडर का विमोचन किया गया।
12. वेधशाला विकास प्रस्ताव के अन्तर्गत वीडियो फिल्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल :-

शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0, भोपाल एक राज्य स्तरीय योग प्रशिक्षण संस्था है, जिसमें वर्ष भर योग प्रशिक्षण सत्र एवं योग प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित होती हैं। म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 44-04/2009/20-3 भोपाल, दिनांक 08.06.2009 के द्वारा शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र का नियंत्रण महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के अधीन कर दिया गया है।

1. यह संस्था मध्यप्रदेश की एक मात्र शासकीय योग संस्था है जिसमें योगासन, सूर्यनमस्कार, चंद्रनमस्कार, प्राणायाम, स्थूल एवं सूक्ष्म व्यायाम, शुद्धि क्रियाएं (षट्कर्म) एवं ध्यान व त्राटक का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष भर की योग गतिविधियों का वार्षिक योग पंचांग प्रतिवर्ष आयुक्त लोक शिक्षण म0प्र0 द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा योग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक 30 दिवसीय योग प्रशिक्षण सत्र में 10 स्थान जन सामान्य के इच्छुक अशासकीय पात्र व्यक्तियों हेतु उपलब्ध हैं। निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धितों को योग प्रशिक्षण सत्र में सशुल्क प्रवेश दिया जाता है।
2. कोविड-19 संक्रमण के कारण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए 21 जून 2020 विश्व योग दिवस पर प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों/शिक्षकों एवं उनके परिजनों द्वारा घर पर रहकर विश्व योग दिवस के कॉमन योग प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास किया गया।
3. कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए माह अगस्त 2020 से अक्टूबर 2020 तक On Line योग प्रशिक्षण शा0उ0मा0वि में पदस्थ व्यायाम शिक्षकों/खेल प्रभारी शिक्षकों, पूर्व प्रशिक्षित योग शिक्षकों के लिए सम्भागवार आयोजित किये गए, जिसमें शिक्षकों ने बढ़-चढ़ कर सहभागिता की तथा प्रदेश के 1851 शिक्षकों को निम्नलिखित तालिका अनुसार ऑनलाइन योग प्रशिक्षित किया गया :-

क्र.	सम्भाग	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
1	सागर	05.08.20 से 14.08.20 तक	295
2	रीवा एवं	17.08.20 से 26.08.20 तक	109
3	शहडोल	17.08.20 से 26.08.20 तक	41
4	उज्जैन	28.08.20 से 06.09.20 तक	226
5	जबलपुर	08.09.20 से 17.09.20 तक	322
6	ग्वालियर	19.09.20 से 28.09.20 तक	382
7	इंदौर	30.09.20 से 09.10.20 तक	193
8	भोपाल	12.10.20 से 21.10.20 तक	28
9	नर्मदापुरम	12.10.20 से 21.10.20 तक	255

4. आपन स्कूल भोपाल द्वारा दिनांक 26/12/2020 को आयोजित नोडल अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण में शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा 60 नोडल अधिकारियों को योग प्रशिक्षण दिया गया।
5. कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2021 के सूर्यनमस्कार कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, जन सामान्य तथा नागरिकों ने अपने-अपने घरों में आकाशवाणी के माध्यम से सूर्यनमस्कार किया।
6. दिनांक 29 जनवरी 2021 से 30 मार्च 2021 तक भोपाल एवं नर्मदापुरम सम्भाग के विद्यालयों के शिक्षकों हेतु On Line योग प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्वरूप एवं अवधि	सम्मिलित सम्भाग/जिले
1	29.01.2021 से 27.02.2021	On Line मासिक	भोपाल सम्भाग के समस्त जिले
2	01.03.2021 से 30.03.2021	-उपर्युक्तानुसार-	नर्मदापुरम सम्भाग के समस्त जिले

7. योग प्रशिक्षण में शिक्षकों के उत्साह को देखते हुए माह फरवरी 2021 से मार्च 2021 तक शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु प्रदेश के समस्त सम्भागों हेतु 05 दिवसीय On Line योग प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.	संभाग/जिला	प्रशिक्षण की तिथि	कक्षा का समय
1	भोपाल संभाग :- भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा नर्मदापुरम संभाग :- होशंगाबाद, बैतूल, हरदा	01.02.2021 से 05.02.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक
2	सागर संभाग :- सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी	08.02.2021 से 12.02.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक
3	उज्जैन संभाग :- उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच	15.02.2021 से 19.02.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक
4	इन्दौर संभाग :- इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खण्डवा, खरगौन	22.02.2021 से 26.02.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक
5	जबलपुर संभाग :- जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, नरसिंहपुर	01.03.2021 से 05.03.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक
6	ग्वालियर संभाग :- ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर	08.03.2021 से 12.03.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक
7	रीवा संभाग :- रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली शहडोल संभाग :- शहडोल, उमरिया, अनूपपुर	15.03.2021 से 19.03.2021 तक	प्रातः 07:30 से 08:30 तक

3.3.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर

3.3.5.1 अखिल भारतीय स्तर के शिविर

क्रमांक	शिविर का नाम	भाग लेने वाले कैडेट्स की संख्या
1.	एक भारत श्रेष्ठ भारत	450
	योग	450

3.3.5.2 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (अन्य देशों में गये कैंडेट्स का विवरण)

कोविड-19 के कारण यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं हुआ।

3.3.5.3 ट्रेकिंग

कोविड-19 के कारण ट्रेकिंग का आयोजन नहीं किया गया।

3.3.5.4 एनसीसी दिवस का आयोजन

एनसीसी स्थापना की 72वीं वर्षगांठ पर दिनांक 29 नवंबर 2020 को एनसीसी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

3.3.5.5 एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षा

वर्ष 2020 में एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षाओं में निम्नानुसार कैंडेटों ने सफलता अर्जित की।

प्रमाण पत्र	परीक्षा में सम्मिलित कैंडेटों की संख्या	परीक्षा में उत्तीर्ण कैंडेटों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
ए प्रमाण पत्र	22422	21379	95
बी प्रमाण पत्र	9749	9261	95
सी प्रमाण पत्र	6396	5674	89
योग	38567	36314	

3.3.5.6 कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीसी कैंडेट्स द्वारा किये गये योगदान की जानकारी

मध्यप्रदेश एनसीसी निदेशालय देश का पहला एनसीसी निदेशालय है जिसने स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए एन.सी.सी. कैंडेटों को तैनाती हेतु उपलब्ध कराया। इस गंभीर महामारी के समय एनसीसी कैंडेटों द्वारा यातायात नियंत्रण, खाद्य सामग्री एवं राशन वितरण, सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाये रखने, रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासियों की सहायता, मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीनियर डिवीजन के एनसीसी कैंडेट्स ने स्वच्छता से प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, जबलपुर, नरसिंहगढ़ एवं खण्डवा जिलों में स्थानीय प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जाग्रति अभियान का भी सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

एनसीसी कैडेट्स द्वारा किये गये योगदान के फोटोग्राफ्स



3.3.6 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है। यह दो स्तरीय परीक्षा है। प्रथम चयन परीक्षा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित की जाती है। द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा मई माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2020-21 परीक्षा दिनांक 13.12.2020 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित की गई है, परीक्षा में कुल 52000 विद्यार्थी दर्ज हुए हैं। मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रथम स्तर पर वर्ष 2020-21 के लिए कुल 530 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। प्रथम स्तर का परीक्षा परिणाम प्रक्रियाधीन है।

3.3.7 राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मैरिट छात्रवृत्ति परीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2008-2009 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2020-21 की परीक्षा मई माह में आयोजित की जायेगी। मध्यप्रदेश राज्य के लिए कुल 6446 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। मध्यप्रदेश राज्य में स्थित शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त अथवा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत ऐसे नियमित विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं, जिन्होंने कक्षा 7वीं की परीक्षा कम से कम C ग्रेड से पास की हो एवं उनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय ₹1.50 लाख या उससे कम हो। इस परीक्षा में मध्यप्रदेश राज्य के नियमानुसार, जिलेवार आरक्षण का प्रावधान है। चयनित विद्यार्थियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक रुपये 1000/- प्रतिमाह की दर से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली के माध्यम से सीधे पात्र छात्र के खाते में प्रदान की जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9 एवं 11 में 55% अंक एवं कक्षा 10 में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.3.8 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित व एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से सम्बन्धित अकादमिक कार्यों का संचालन एवं निर्देशन मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी) भोपाल द्वारा वर्ष 1980 से लगातार करता रहा है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर/किशोरियों हेतु विभिन्न पाठ्य सहाय्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जन-जन में जागरूकता लाना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना वार्षिक कार्ययोजना अनुसार मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में (एस.सी.ई.आर.टी) राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

1. 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर 47 जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सभी डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। निबंध लेखन हेतु जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन किया गया। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

2. 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन

11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। प्रतियोगिता का आयोजन शाला स्तर जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

शाला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त पोस्टर जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ में भेजे जाते हैं। जिला स्तर पर शाला से प्राप्त पोस्टर में मंडल द्वारा तीन पोस्टर का चयन किया गया एवं उन्हें पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर जिले से प्राप्त 10 पोस्टर का चयन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त पोस्टर को एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली भेजा जाता है।

3. **एडवोकेसी प्रोग्राम** एडवोकेसी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के व्याख्यान का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डी.एल.एड.प्रशिक्षणार्थियों के लिए जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित विषयों पर किया जाता है।
4. **शोध कार्य –**
वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत हर वर्ष जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित विषयों पर एक शोध कार्य किया जाता है।
5. **रोल प्ले प्रतियोगिता**
रोल प्ले प्रतियोगिता के माध्यम से किशोरावस्था के विद्यार्थियों में जनसंख्या संबंधी मुद्दों की समझ व जागरुकता लाना है, जिससे उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का वे सफलतापूर्वक सामना कर सकें, क्योंकि यह एक ऐसी अभिनय प्रक्रिया है, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों की व्याख्या करती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है एवं प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगियों के लिए राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त जिले को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु नई-दिल्ली भेजा जाता है।
6. **लोकनृत्य प्रतियोगिता**
लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन आदिवासी बाहुल्य जिलों में किया जाता है। लोक नृत्य (फोक डान्स) के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा और किशोरवयीन प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से दर्शाया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है एवं प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगियों के लिए राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त जिले को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु नई-दिल्ली भेजा जाता है।
7. **न्यूज लैटर का निर्माण**
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की कार्ययोजना के अनुक्रम में जनसंख्या शिक्षा की आयोजित गतिविधियों पर आधारित वार्षिक न्यूज लैटर का निर्माण किया जाता है।
8. **01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस का आयोजन**
01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस पर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की कार्ययोजना के अनुक्रम में जनसंख्या रैली एवं सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल में किया जाता है।
9. **मॉनिटरिंग**
विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की कार्ययोजना के अनुक्रम में प्रतियोगिताओं की मॉनिटरिंग मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल द्वारा की जाती है।
- 3.3.9 **वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत विशिष्ट आयोजन/प्रतियोगिताएं**
कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 में स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन विधिवत विद्यालयों का संचालन नहीं होने से योजना अंतर्गत वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, देशभक्ति, पर्यावरण तथा शैक्षिक प्रतियोगिताएं एवं योग प्रशिक्षण, राष्ट्रीय बालरंग, मोगली बाल उत्सव, कालिदास समारोह आदि गतिविधियाँ सम्पन्न नहीं की जा सकी।

3.3.10 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान स्थापित होकर शिक्षकों द्वारा प्रति वर्ष देय अंशदान की राशि एवं राज्य शासन की अनुदान निधि से संचालित है। शिक्षकों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम प्रतिष्ठान के माध्यम से क्रियान्वित किये जाते हैं, इसके माध्यम से प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को 05 सितम्बर, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अनुशंसित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

वर्ष 2020 में कोविड-19 संक्रमण के कारण "शिक्षक दिवस" के अवसर पर प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस का आयोजन सम्पन्न नहीं किया जा सका। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की प्रक्रिया को संशोधित कर शिक्षकों के ऑनलाईन प्रस्ताव चाहे गये, जिसमें प्रदेश से राज्य स्तरीय समिति की 6 शिक्षकों की अनुशंसायें चाही गईं। जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश से दो शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु किया गया।

शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षकों एवं उनके आश्रित सदस्यों को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर रोग, हृदय रोग, किडनी रोग एवं दुर्घटना के अंग क्षति होने पर शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा शिक्षकों के कल्याण अन्य योजनायें संचालित है।

3.3.11 सामूहिक सूर्य नमस्कार

स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन प्रदेश के विद्यार्थियों में स्वस्थ मन एवं स्वस्थ तन के अदभुत उपहार हेतु तथा शरीर के सभी अंगों/उपांगों के व्यायाम से आत्मविश्वास, नियमित योग अभ्यास से जीवन शैली में परिवर्तन शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाओं में एक समय एक संकेत पर आयोजित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 कोविड 19 का वर्ष होने के कारण राज्य शासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश कमाक एफ 44-2/2021/20-2 भोपाल दिनांक 08.01.2021 के अनुक्रम में स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस "युवा दिवस" के अवसर पर 12 जनवरी 2021 को आकाशवाणी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश एवं सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रसारण रेडियो से किया गया जिसके अनुसार स्वैच्छिक रूप से विद्यार्थियों शिक्षकों, एवं जन सामान्य द्वारा अपने अपने घर से सामूहिक सूर्य नमस्कार में सहभागिता की गई।

3.3.12 विश्व योग दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व योग का आयोजन भारत सरकार, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (आयुष मंत्रालय) एवं मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में विगत 5 वर्षों से 21 जून को प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में पंचायत स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून, 2020 को सामूहिक योग का आनलाईन कार्यक्रम देश में प्रातः 7.00 बजे से 8.00 बजे तक संपन्न किया गया। जिसमें विद्यार्थियों शिक्षकों नागरिकों तथा सामान्य जन द्वारा अपने-अपने घरों से इस आयोजन में सहभागिता की गई।

भाग - चार

4 सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग - चार

4 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1 यौन उत्पीड़न शिकायत एवं निवारण समिति

महिलाओं के हितों की रक्षा एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 नियम 2013 अंतर्गत संचालनालय सहित सभी संयुक्त संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं शासकीय उ.मा.वि. कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। यह समितियाँ 3 वर्ष के लिए गठित की जाती हैं।

4.2 मध्यप्रदेश राज्य महिला नीति

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मध्यप्रदेश महिला नीति का गठन किया गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य महिला नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- विकास की मुख्य धारा में महिलाओं की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं हितों का संरक्षण करना है।
- महिलाओं की समग्र क्षमताओं का विकास करना ।
- महिलाओं से संबंधित नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का परिणाममूलक क्रियान्वयन करना।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य महिला नीति को लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, शैक्षणिक संस्थाओं में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, बालिका ड्रॉप आउट रेट कम करना, लिंग भेद समाप्त करना, भोपाल जिले में महिलाओं/ बालिकाओं के लिए सुरक्षित व हिंसा मुक्त वातावरण निर्माण के लिए विद्यालय के माध्यम से सेफसिटी कार्यक्रम की जागरूकता के लिए बालिकाओं को स्वरक्षा हेतु मार्शल आर्ट/जुडो/कराटे का प्रशिक्षण, विद्यालयों में बालिकाओं की समस्या के निराकरण हेतु एक महिला परामर्श दाता की व्यवस्था, यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में प्रकाशन होने वाली वार्षिक पत्रिका में अनुच्छेद से संबंधित जानकारी प्रकाशित कराने, जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में समय-समय पर चर्चा/परिचर्चा, भाषण, नाटक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क सायकिल वितरण, निःशुल्क गणवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास संचालित हैं। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राज्य के समस्त विद्यालयों में पूर्व में गठित आंतरिक परिवाद समिति का तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नई समिति के गठन के निर्देश संचालनालय स्तर से दिये गये हैं। संचालनालय में नई आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है एवं शिकायत पेटी भी लगाई गई है।

संचालनालय स्तर पर समस्त महिला अधिकारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों से परिचित करने हेतु दिनांक 29.09.2018 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संचालनालय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की ऑन-लाईन शिकायत हेतु पॉक्सो ई-बॉक्स विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य बच्चों द्वारा यौन शोषण की शिकायत सीधे एवं सरलीकृत ढंग से किया जाना है शिकायत दर्ज होने के पश्चात्

सत्यापन होने पर पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत समस्त संभाग/जिले एवं विद्यालयों में प्रचारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संचालनालय स्तर पर समस्त विद्यालयों में छात्रों के बीच हेल्पलाइन नं. (1098) के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं प्रचारित करने के लिये सभी विद्यालयों में इस सहजदृश्य स्थान पर एवं बोर्ड पर हेल्पलाइन नं. को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उमंग किशोर हेल्पलाइन नं. 14425 जारी किया गया है, यह एक टेली काउन्सलिंग सर्विस है जिसके माध्यम से 10 से 18 वर्ष के सभी बालक/बालिकाएँ अपनी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ रख सकते हैं। जिनका समाधान प्रशिक्षित काउन्सलर द्वारा स्थानीय भाषा में दिया जाता है। यह हेल्पलाइन विभाग द्वारा UNFPA की मदद से जनवरी 2020 से संचालित की जा रही है

4.3 न्यायालयीन प्रकरण

माननीय उच्च-न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों की जॉनकारी 31.12.2020 की स्थिति निम्नानुसार है:-

रिट याचिका

मान.उच्च न्यायालय	कुल	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत	प्रत्यावर्तन शेष
जबलपुर	1698	1323	375
ग्वालियर	953	751	202
इन्दौर	1161	882	279
कुल	3812	2956	856

अवमानना प्रकरण

	कुल	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत	प्रत्यावर्तन शेष
जबलपुर	439	332	107
ग्वालियर	193	149	44
इन्दौर	46	31	15
कुल	678	512	166

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय जबलपुर, ग्वालियर तथा इन्दौर में स्थापित है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, (विधि प्रकोष्ठ) विभागीय प्रकरणों के निराकरण हेतु महाधिवक्ता, कार्यालय जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर, इन्दौर से सतत् सम्पर्क में रह कर विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों में समन्वय स्थापित करते हैं। मा. उच्च न्यायालय द्वारा कुल रिट याचिका पारित 3812 में से 2956 प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये गए एवं 856 प्रत्यावर्तन शेष है। मान. उच्च न्यायालय द्वारा कुल अवमानना 678 में से 512 में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये गए एवं 166 शेष हैं।

4.4 विभागीय जांच

वर्ष 2020-21 में विभागीय जांच की जानकारी निम्नानुसार है:-

कुल विभागीय जांच प्रकरण	कुल निराकृत प्रकरण
45	13

4.5 भर्ती/स्थानांतरण

1. **शिक्षक पद पूर्ति**— प्रदेश की शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के पदों की भर्ती के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात विज्ञापन जारी कर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 15000 एवं माध्यमिक शिक्षकों के 5670 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जावेगी।
2. **नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों की वेतन व्यवस्था**— भर्ती नियम 2018 के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लगभग 169000 प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के एम्पलाई कोड वित्त विभाग से जारी कराकर इनकी वेतन व्यवस्था कोषालय के माध्यम से की गई।

4.6 विधानसभा

मध्यप्रदेश विधानसभा वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण सत्र पूर्णतः संचालित नहीं होने से तीनों सत्रों में संचालनालय को प्राप्त प्रकरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्राप्त संख्या	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गए	लंबित
1	2	3	4	5
1	विधानसभा प्रश्न	281	281	00
2	ध्यानाकर्षण	07	06	01
3	शून्यकाल	01	01	00
4	अशा. संकल्प	01	01	00
5	आश्वासन	123	28	95
6	अभ्यावेदन	06	05	01
7	संदर्भ समिति	12	00	प्रचलन में
8	याचिका	55	40	15
9	अप्रत्यक्ष प्रश्न	22	10	12
10	अपूर्ण उत्तर	02	02	00

4.7 वाट्स एप पर विभागीय प्रशिक्षण: "अपनी बात वित्त के साथ" कैप्शन अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों को कोरोना काल में वाट्सएप के माध्यम से लगभग 115 दिवस तक निरन्तर वित्तीय विषयों पर सारगर्भित ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया।

भाग - पांच

5 अभिनव योजना / पहल

भाग - पांच अभिनव योजना/पहल



शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की सहभागिता से सांस्कृतिक आयोजन

5.1 कला से समृद्ध शिक्षा

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्टीम (STEAM) व आर्ट इन्टीग्रेटेड शिक्षा पद्धति (Arts based approach to 21st Century Skill building) के बारे में अनेक देशों के द्वारा किये जा रहे नवाचारों से परिचय हुआ। वर्ष 2019 में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" का प्रारूप जारी किया गया था। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्य सहगामी गतिविधियों (extra curricular activities) पर बहुत अधिक बल दिया गया।

मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का यह संकल्प है कि, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो और सभी विषयों के आपसी ताल मेल से स्कूली शिक्षा को और रोचक बनाया जाए। स्टीम शिक्षा पद्धति के Way Forward के रूप में तथा शिक्षा को कलाओं से समृद्ध करने के ऐसे ही विभागीय प्रयासों के दौरान स्वअनुशासन, चिंतन, लगन और अभिव्यक्ति के अवसरों के लिये अनुगूँज के आयोजन का विचार बीज अंकुरित हुआ। जो शासकीय विद्यालयों के लगभग 600 विद्यार्थियों की अथक मेहनत के साथ राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के कला गुरुओं के मार्गदर्शन में पल्लवित हो विगत 8 और 9 जनवरी 2021 को राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर सार्थक रूप से प्रदर्शित हुआ। विभाग का यह विजन था कि हमारे विद्यार्थियों में अपार प्रतिभा है और सही मार्गदर्शन, रिसोर्स और मेंटरिंग प्रदान किए जाने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से छात्र-छात्राओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक उचित मंच प्राप्त होगा और उनके उत्साह में वृद्धि होगी तथा उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने व जानने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अनुगूँज के आयोजन के लिए 12 मेंटोर्स द्वारा 50 शासकीय स्कूलों के बच्चों की स्क्रीनिंग कर 26 स्कूलों के 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया। रिहर्सल के लिए 07 स्थल नियत किए गए।

प्रतिभा हर बच्चे में होती है, सही अवसर, संसाधन और समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो वे नए आयाम छू सकते हैं। यही चरितार्थ हुआ है, "अनुगूँज" के इस आयोजन में। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिये भोपाल के राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के गुणी संस्कृतिधर्मी, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ आये और उन्होंने बच्चों के मार्गदर्शन का दायित्व निर्वहन किया। इन मेंटोर्स ने विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विधाओं की बांधकियों से ना केवल रु-ब-रु करवाया वरन् उन्हें इन विधाओं में पारंगत भी बनाया। इस आयोजन में मूल शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक और



छाऊ शैली एवं समकालीन नृत्य, गायन, वादन को पूरी परिपक्वता के साथ प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी, आयोजन के पूर्व तक इन नृत्य एवं संगीत शैलियों की बारीकियों से अपरिचित थे। वाद्य यंत्रों के सुरों को साधते और सुरों की अलाप को आत्मसात् कर पूरी परिपक्वता से प्रस्तुत करने वाले इन विद्यार्थियों ने स्वरों के आरोह अवरोह को भी कभी नहीं समझा था। अभिनय के क्षेत्र में भी इन विद्यार्थियों के लिये, मंच का अनुशासन और संवाद अदायगी का अंदाज पकड़ पाना बहुत कठिन था। पर जब ये विद्यार्थी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो, उपस्थित दर्शकों की एक ही अनुभूति थी "अद्भुत" "अकल्पनीय" और "अद्वितीय"! दर्शकों की इन्हीं प्रेरक भावनाओं ने विद्यार्थियों में उत्साह का संचार किया और इस आयोजन से विद्यार्थियों में उपजे आत्मविश्वास और सकारात्मक विचारों को दृष्टिगत रख स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया, अनुगूँज के इस आयोजन को प्रतिवर्ष आयोजित करने का।



इससे पूर्व अनेक स्थानों से अनुगूँज के पुर्नप्रदर्शन की मांग और अनुगूँज के आयोजन से सामने आए सकारात्मक आयामों को पूरे प्रदेश के शिक्षा जगत तक पहुँचाने की दृष्टि से राजधानी भोपाल में 31 जनवरी को लोकरंग के प्रतिष्ठित मंच पर अनुगूँज के धनक भाग का पुर्नप्रदर्शन भी भव्यतापूर्वक आयोजित किया गया। जिसके रसास्वाद के लिए प्रदेश के सभी संभागों के संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक गण उपस्थित थे।



अनुगूँज के प्रथम दिवस
सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
"धनक"

पंचनाद (वाद्य वृन्द) – पंचनाद के रूप में तैयार इस वाद्य वृन्द प्रस्तुति में विभिन्न वाद्य समावेश से पंचतत्त्वों आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि को सांगीतिक रूप में प्रस्तुत किया

भोपाल के 8 शासकीय विद्यालयों के लगभग 20 छात्र-छात्राओं ने इसमें अपनी सहभागिता की। प्रसिद्ध संगीत निदेशक श्री मॉरिस लाजरस के मार्गदर्शन में इन विद्यार्थियों ने प्रभावी रूप से आत्मविभोर कर देने वाली भावपूर्ण और आनंददायी संगीत रचना तैयार की।



स्वर नांदी (गीत प्रस्तुति) – कहते हैं सृष्टि में सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति हुई। नाद से स्वरों और फिर लय की उत्पत्ति हुई। यही लय, ध्वनि से भाषा और संगीत में परिवर्तित होती गई। प्रकृति के इन्हीं स्वरों को गीत और लय में पिरोकर तैयार की गई इस प्रस्तुति “स्वरनांदी” में आदिकाल से वर्तमान तक की नाद, लय, स्वर, ध्वनि, लोक संगीत, आदिवासी संगीत, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत का समावेश कर प्रस्तुत किया गया। भोपाल की लगभग 16 शासकीय शालाओं के लगभग 90 विद्यार्थियों ने इस प्रस्तुति में अपनी सहभागिता की। इन्हीं विद्यार्थियों ने, प्रसिद्ध हिन्दी कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कविता “अक्कड़-मक्कड़” को भी एक बहुत ही सुरीले बालगीत के रूप में प्रस्तुत किया, जो भाई-चारे की भावना जागृत करने को रेखांकित करता है। इन प्रस्तुतियों के लिये प्रसिद्ध संगीत सयोजक श्रुति-धर्मेश ने इन छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान किया।



मल्लारी (भरतनाट्यम् नृत्य) – भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की प्राचीनतम् नृत्य शैली, भरतनाट्यम् नृत्य में भाव भंगिमाओं का विशेष योगदान है। अनुगूँज के इस आयोजन में प्रस्तुत भरतनाट्यम् नृत्य प्रस्तुति मल्लारी, पारंपरिक मंगलाचरण है। इसमें सभी के लिये मंगलकामनाओं के साथ रंगमंच की स्तुति, चारों दिशाओं, धरती, आकाश और गुरु की स्तुति की जाती है। मल्लारी के रूप में इस मंगल कामना और स्तुति को अनुगूँज के मंच पर साकार किया, भोपाल के लगभग 10 शासकीय विद्यालयों की लगभग 100 छात्राओं ने। इन छात्राओं को नृत्य की इस विद्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और शिखर सम्मान से सम्मानित नृत्यगुरु डॉ. लता सिंह मुंशी जी ने गहन रूप से प्रशिक्षित किया।



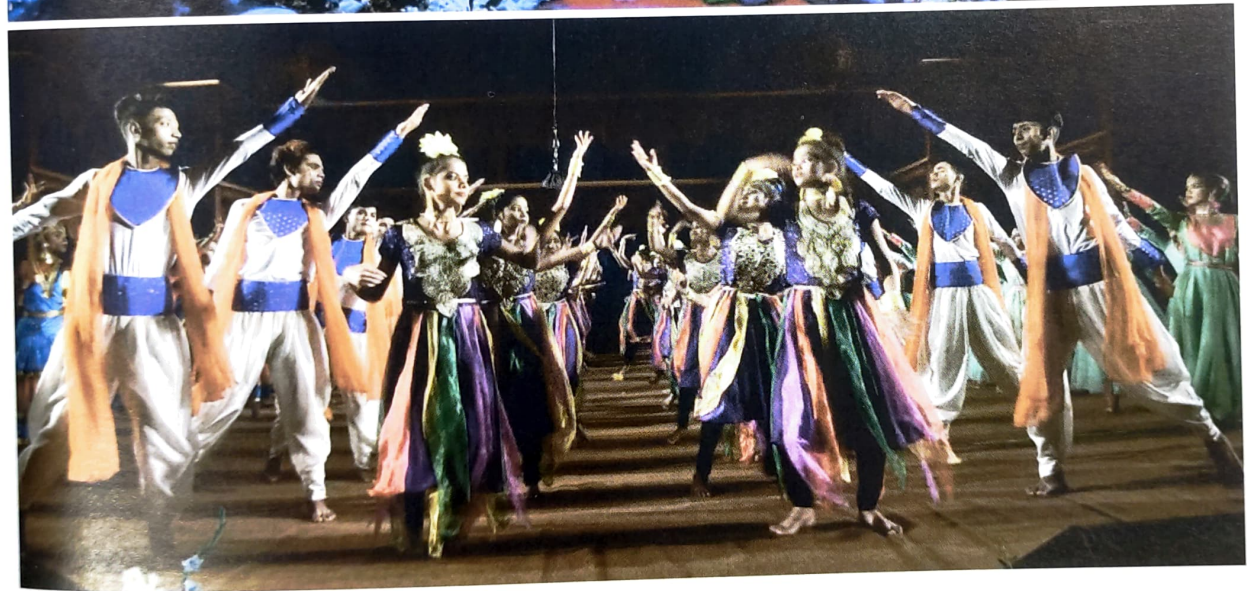
पंचु पांडव (मयूरभंज छाऊ नृत्य) – शारीरिक लोच और अपने विशेष बॉडी मूवमेंट के लिये प्रसिद्ध, मयूरभंज उडीसा के छाऊ नृत्य को प्रस्तुत करने का महती कार्य भोपाल के 5 शासकीय विद्यालयों के लगभग 45 छात्रों ने प्रसिद्ध बैले नर्तक, श्री दयानिधि मोहन्ता और श्री उपेन्द्र मोहन्ता जी के मार्गदर्शन में निरन्तर अभ्यास कर साकार किया। पंचु पांडव नृत्य की यह प्रस्तुति मुख्यतः यह दर्शाती है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडव शिष्यों के युद्ध कौशल का अभ्यास देख प्रसन्न होते हैं और उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। गुरु का आशीर्वाद पाकर पांडवगण अपने साथियों-सैनिकों के साथ खुशियां मनाते हैं।



मंगलम्/मातृभूमि वंदना/नारायण नमन (ओडिसी नृत्य) – शास्त्रीय नृत्य की ओडिसी नृत्य शैली अपने माधुर्य और लयबद्धता के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय नृत्य शैली है। मंगलम्/मातृभूमि वंदना/नारायण नमन के रूप में प्रस्तुत नृत्य में, सर्वमंगल की कामना के साथ, मातृभूमि और ईश आराधना को ताल और लय के साथ पिरोया गया, जो भारतीय संस्कारों को दर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओडिसी नृत्यांगना, सुश्री बिंदु जुनेजा जी के मार्गदर्शन में भोपाल के लगभग 10 शासकीय विद्यालयों की लगभग 70 छात्राओं ने इस नृत्य प्रस्तुति में सहभागिता की।



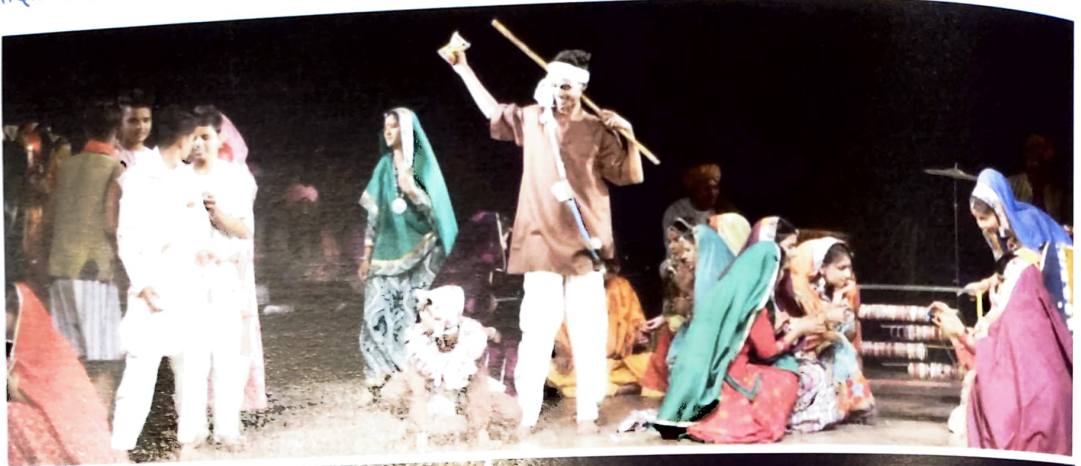
एकाकार (कथक, भरतनाट्यम एवं समकालीन नृत्यों पर आधारित) – भरतनाट्यम, कथक, समकालीन नृत्य शैलियों को आधार बनाकर, एक संयुक्त प्रस्तुति को प्रसिद्ध नृत्य साधक, सुश्री देवेन्द्र, सुश्री क्षमा मालवीय और श्री मिलिंद दाभाडे जी ने अपने मार्गदर्शन में तैयार किया। इसमें विभिन्न शासकीय विद्यालयों के लगभग 137 छात्र-छात्राओं ने अपनी सहभागिता की। मंच की से हवा की ऊँचाईयों तक (एरियल एक्ट) आती जाती नृत्य छटाओं एवं मंच सामग्री के अभिनव ने अकल्पनीय रूप से इस प्रस्तुति को मनमोहक बनाया।



अनुगूँज के द्वितीय दिवस
नाट्य प्रस्तुतियां
"रंगकार"



गजमोक्ष – बाल रंगमंच के विशेषज्ञ और प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं निदेशक श्री के. जी. त्रिवेदी, के मार्गदर्शन में तैयार, एक नेकदिल सफेद हाथी की कहानी का नाट्य रूपांतर था, नाटक, "गजमोक्ष"। जंगल का यह हाथी सभी पशु पक्षियों का मददगार तो होता है, वह एक लालची और अकर्मण्य मनुष्य से भी मित्रता करता है, वह भी इतनी, कि मित्र के भले के लिये अपने दांत भी सौंप देता है। इस रोचक कथा को अथक मेहनत और अनुशासन के साथ मंच पर साकार किया है, शासकीय विद्यालयों के लगभग 50 विद्यार्थियों ने।



पीली पूँछ – इस नाट्य प्रस्तुति में कल्पना लोक की कहानियों को मंच पर साकार किया, विभिन्न शासकीय विद्यालयों के लगभग 70 विद्यार्थियों ने। पीली पूँछ नाटक, कल्पना लोक में रहने वाली एक दादी और उनके भुल्लकड़ पोते चंदू की कहानी है। दुम कटे शेर का सपना है कि, उसे एक पीली पूँछ मिल जाए। दादी सपनों में पूँछ बुनती हैं और चंदू, शेर को पूँछ साँपने के लिये निकलता है, जंगल की ओर। भुल्लकड़ चंदू जंगल की जगह, कभी सौरमंडल में नौ ग्रहों के बीच पहुँचता है, कभी बादलों, पहाड़ों में। नाटक के लेखक और निदेशक विहान ड्रामा वर्क्स के ख्यातिलब्ध और प्रयोगधर्मी रंग निदेशक श्री सौरभ अनंत ने इस प्रस्तुति के माध्यम से नन्हें विद्यार्थियों को रंगमंच की बारीकियों में सिद्धहस्त बनाने का दायित्व निर्वहन किया।



विगत अनुगूँज के इस समूचे आयोजन में तकनीकी समन्वय, मंच आकल्पन तथा ध्वनि प्रकाश संयोजन का दायित्व निभाया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ रंगकर्मी एवं तकनीकी निदेशक अनूप जोशी "बन्टी" ने। यह कार्यक्रम विभाग के Culture of excellence की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक अनुपम उदाहरण बना। प्रतिभागी के आत्म विश्वास में वृद्धि हुई और उनके प्रदर्श करने की क्षमता में सुधार हुआ और परीक्षा परिणाम भी अच्छे आए। अभिभावकगण की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही।

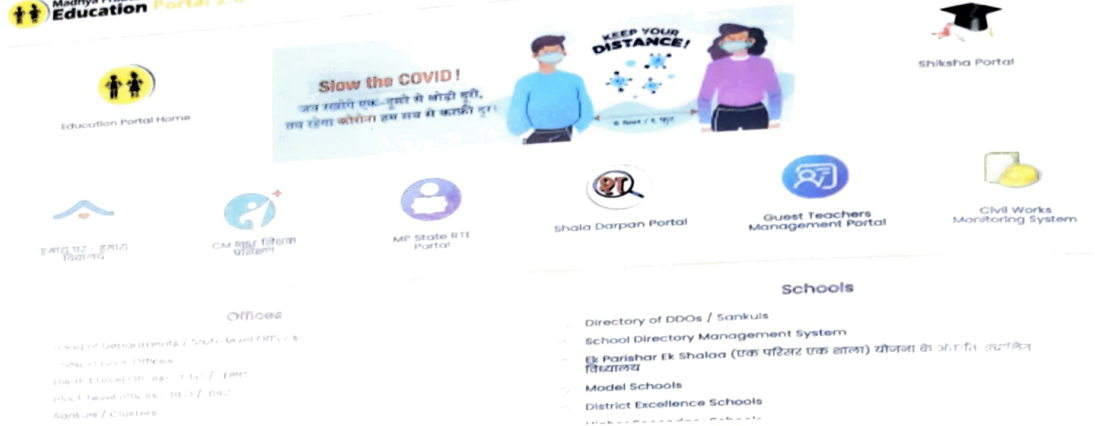
5.2 विभाग में e-Governance एवं m-Governance

अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर जानकारी की त्वरित उपलब्धता तथा उनके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008 में एन.आई.सी के सहयोग से विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल विकसित किया गया।

एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं :

- लगभग 3.9 लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल एवं ई-सेवा पुस्तिका का संधारण
- सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के ऑनलाइन वेतन देयक तैयार करने की व्यवस्था
- लगभग 1.21 लाख स्कूलों की प्रोफाइल मय जी.आई.एस. फोटो सहित
- ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली
- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन
- शिक्षा का अधिकार अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की ऑनलाईन मान्यता
- वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था कायम की गई
- इस प्रावधान के तहत अध्ययनरत् बच्चों का आधार सत्यापन तथा ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से सीधे स्कूलों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था
- प्रतिभा पर्व पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की ग्रेडिंग
- स्कूलों के निरीक्षण एवं फॉलोअप हेतु शाला दर्पण
- अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन व्यवस्था
- ई-पाठशाला
- स्कूल वार एवं विद्यार्थी वार नामांकन
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास
- शाला से बाहर बच्चों की निगरानी
- ऑनलाइन सायकिल वितरण प्रणाली
- निर्माण कार्य
- वित्तीय लेखा प्रबंधन प्रणाली
- युक्तियुक्तकरण प्रणाली
- अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन प्रणाली
- ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली

उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप विभाग को वर्ष 2017-18 Ministry of Personal, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms & Public Grievances-e-governance Divisions द्वारा Innovation in Existing Project of Government Departments other than PSUs – Category III में Gold अवार्ड प्रदान किया गया है।



भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में नियुक्ति (ऑनलाईन)

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 प्रकाशित किये गये हैं। नियमों में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में नियुक्ति की कार्यवाही जिसमें लगभग 1.85 लाख अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों का सत्यापन, संबंधितों की प्रोफाइल अपडेट करना, दावा आपत्ती प्राप्त करना एवं डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नियुक्ति आदेश जारी करना आदि समस्त कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कराई गयी। अब तक लगभग 1.81 लाख अध्यापकों के नवीन संवर्ग में नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

5.3 मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफार्म (एम-शिक्षामित्र) :

इन्टरनेट-युक्त स्मार्ट फोन की सहज उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाएँ / सेवाओं को चरणबद्ध रूप से एप्प के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए NIC के सहयोग से "m-ShikshaMitra" एप्प को एम्-गवर्नेंस प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है। एप्प के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं (स्टेक होल्डर्स यथा अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकों) को विभाग से सम्बंधित सेवायें और सुविधाएँ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गयी है। एम-शिक्षा मित्र के माध्यम से निम्न सुविधाएँ क्रमबद्ध रूप से प्रदान की जा रही है :

- सभी शालाओं की प्रोफाइल, नामांकन, पदस्थ शिक्षक, सुविधाएँ, अधोसंरचना, लोकेशन, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की सूची, शाला को राज्य स्तर से जारी प्राप्त राशियाँ / फंड्स इत्यादि
- पे-स्लिप, अवकाश आवेदन पंजीयन, ई-सेवा पुस्तिका, शिक्षको की विभागीय एवं सेवा संबंधित शिकायतों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग
- नियुक्ति आदेश डाउनलोड करना
- राज्य, संभाग, जिला, ब्लाक एवं संकुल स्तर के कार्यालयों द्वारा जारी आदेश / सर्कुलर्स
- विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि स्टेटस / ट्रैकिंग, विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रमोशन इत्यादि
- अधिकारियों / शिक्षकों / विद्यार्थियों / कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति
- किसी भी स्थान के पास संचालित सभी स्कूल का मैप पर प्रदर्शन
- निशुल्क SMS,



एम-शिक्षा मित्र एप्प

(वर्जन: 1.4.2.4, पिछला अपडेट: 31/12/2020)

में आपका स्वागत है

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, योजनाओं के प्रचार प्रसारण हेतु एम्-गवर्नेंस प्लेटफार्म

<http://educationportal.mp.gov.in/mShikshaMitra/>



Integrated m-Governance Platform for School Education Sector



NIET

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन
- ज्ञान पिटारा
- शैक्षणिक गतिविधि प्रगति
- हाजिरी मोबाइल एप आधारित प्रणाली

5.4 ऑनलाइन स्थानांतरण प्रबंधन प्रणाली

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग के लोकसेवकों के प्रशासनिक एवं स्वैक्षिक स्थानान्तरण ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किये जा रहे हैं तथा रेलीविंग ओर जोइनिंग की कार्यवाही भी ऑनलाइन की जा रही है ताकि सभी लोकसेवकों का डाटा रियल टाइम अपडेट रहे पूर्व वर्ष में लगभग 40000 लोकसेवकों के स्थानान्तरण ऑनलाइन किये गए हैं।

5.5 प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना

5.5.1 योजना का उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय विद्यालयों/छात्रावासों के भौतिक एवं अकादमिक विकास हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। इस योजना के माध्यम से शासकीय शालाओं एवं छात्रावास को सहायता उपहार या राशि के रूप में शाला/छात्रावास को उपलब्ध होगी, जिससे शाला/छात्रावास में सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उपहार दाता के रूप में कोई भी व्यक्ति/संस्था योजना से जुड़ सकते हैं। उपहार दाता का शाला से जुड़ाव मात्र उपहार देने तक ही सीमित नहीं रहेगा अपितु शाला एवं उपहार दाता के बीच जीवंत संपर्क बना रहेगा ताकि वह भी शाला के भौतिक एवं अकादमिक विकास के साक्षी बन सके।

5.5.2 प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना का स्वरूप

- प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना अन्तर्गत शाला से जुड़ने हेतु उपहार दाता के पास तीन विकल्प उपलब्ध हैं –राशि, सामग्री एवं अधोसंरचना के कार्य (अतिरिक्त कक्ष/सम्पूर्ण शाला भवन/शाला का जीर्णोद्धार/भूमि/अन्य अधोसंरचना संबंधी कार्य)।
- प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी शालाओं/छात्रावास की आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध है एवं कोई भी व्यक्ति/संस्थाओं/शालाओं/छात्रावास को राशि/उपहार देने की सहमति पोर्टल के माध्यम से दे सकेगा।

5.3 योजना अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही

- योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला उपहार समिति का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर समिति के अध्यक्ष हैं, इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (RMSA), जिला परियोजना समन्वयक (SSA) सहायक परियोजना समन्वयक मोबेलाइजेशन एवं सहायक यंत्री सर्व शिक्षा अभियान सदस्य हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं।
- राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय उपहार समिति गठित करने की व्यवस्था, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग हैं तथा आयुक्त, लोक शिक्षण, आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (सदस्य सचिव) सदस्य हैं।
- प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना शाला और समुदाय के मध्य जीवंत संपर्क निर्मित करने का उत्तम माध्यम है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से समुदाय की सक्रिय सहभागिता से शाला के अधोसंरचनात्मक एवं अकादमिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रणाम

पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में लगभग रु. 38.50 करोड़ की अनुमानित राशि (भूमि/ अद्योसंरचना, शैक्षणिक व अन्य सामग्री एवं नगद राशि के रूप में) शालाओं में प्राप्त हो चुकी है।

5.6 मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी

लोक शिक्षण संभाग जबलपुर की अनूठी पहल

आयुक्त राजस्व संभाग जबलपुर के साथ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर ने एक सघन क्षमता संवर्धन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाया, जिसके अन्तर्गत प्राचार्य (हाईस्कूल एवं हायर प्रिन्सिपल) एवं प्रिन्सिपल सुबुद्धि, जिला पंचायत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा अभियान) एवं जिला शिक्षा अधिकारी के सहायक परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा अभियान एवं आरएमएसए) द्वारा जिला स्तर पर सहायक यंत्री (समग्र शिक्षा अभियान) हेतु 27 मई 2019 से 10 जून 2019 के बीच 08 उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 1250 प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया इसी प्रकार 1100 प्रधान पाठकों हेतु 20 जून से 16 अगस्त 2019 तक 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें मीडिया प्रतिनिधियों को विशेष रूप से बुलाया गया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण विकास स्वच्छ भारत मिशन, लोक शिक्षण विभाग के जिला एवं विकासखण्ड अधिकारियों, राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक एवं स्वयं सेवक स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के लिए भी 5 सितम्बर 2019 से 4 नवम्बर 2019 तक 17 प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिसमें 1250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया योजना के तहत अल्प समय में ही जबलपुर संभाग में 20688 विद्यालयों में से 13844 विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने विद्यालय की साफ सफाई जिसमें शौचालयों की सफाई भी शामिल है एवं विद्यालय के रख रखाव का जिम्मा सफलतापूर्वक उठाया इस प्रकार 66.92 प्रतिशत शालाओं में "मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी" कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित हुआ।

मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी अंतर्गत शालाओं में साफ सफाई



भाग - छः

प्रकाशन

भाग - छः

प्रकाशन

6.1 राज्य शिक्षा केन्द्र

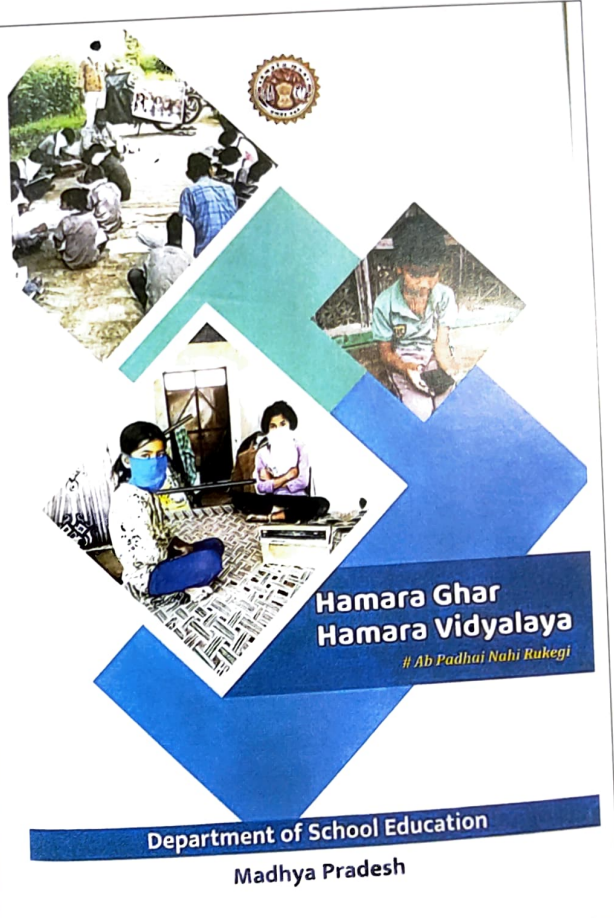
1- Hamara Ghar : Hamara Vidhyalaya

अब पढ़ाई नहीं रुकेगी

कोविड-19 के संकटकाल में मध्यप्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों की शैक्षिक निरन्तरता के लिये विभाग ने एक अभिनव पहल की, "हमारा घर-हमारा विद्यालय"।

जिसके तहत पालकों और अन्य वरिष्ठ परिवार जनों के सहयोग से विद्यार्थियों को घर में स्कूली वातावरण के तहत अध्ययन की व्यवस्था की गई।

इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी को समाहित करते हुए इस लघु पुस्तिका का प्रकाशन विभाग के द्वारा किया गया है।

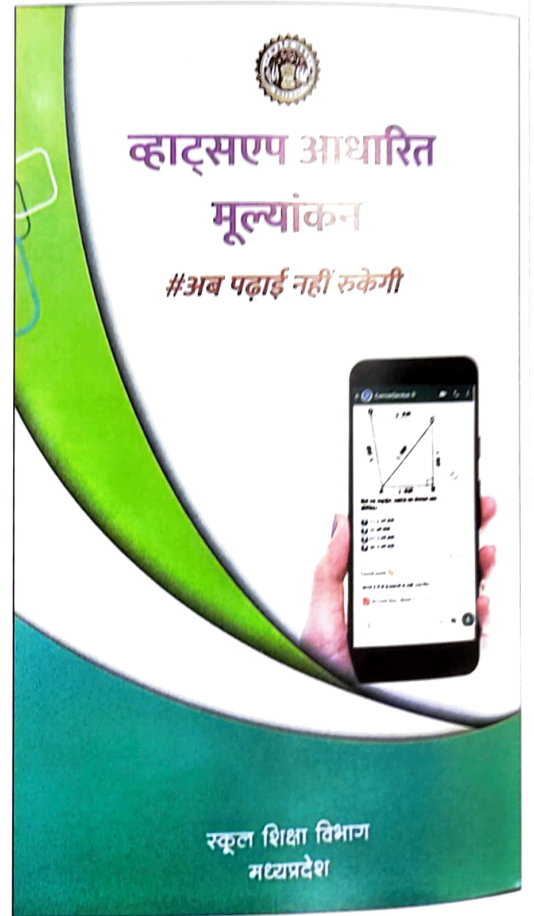


2. व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन # अब पढ़ाई नहीं रुकेगी

कोविड परिस्थितियों के कारण सीखने-सिखाने एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं में वैश्विक स्तर पर अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। पहले जहां शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भागीदारी वैकल्पिक मानी जाती थी, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गई है, चूंकि स्कूल-सुरक्षा कारणों से अब भी बंद है, इसलिए प्रौद्योगिकी वह स्थान बनती जा रही है, जिस पर इन दिनों सीखने-सिखाने एवं आकलन की प्रक्रिया टिकी हुई है।

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा डिजिलेप (डिजिटल लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम), हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा सतत रूप से प्रयास किये गये ऑनलाइन/व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गयी अधिगम सामग्री के बारे में छात्रों के सीखने की प्रगति को सतत रूप से आकलन करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केन्द्र ने कॉन्वेजीनियस के साथ "हमारा घर हमारा विद्यालय" कार्यक्रम के तहत व्यावहारिक एडटेक (EdTech) समाधान किया है। इसका इस्तेमाल व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट के जरिए किया जाता है।

इस कार्यक्रम ने कई छात्रों को एक ही डिवाइस से गणित, हिन्दी और अंग्रेजी जैसे विषयों के बुनियादी शिक्षण पाठ्यक्रम को पढ़ने और समझने की सुविधा प्रदान की है। व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की इसी प्रक्रिया की सारगर्भित जानकारी इस पुस्तिका में समाहित की गई है।

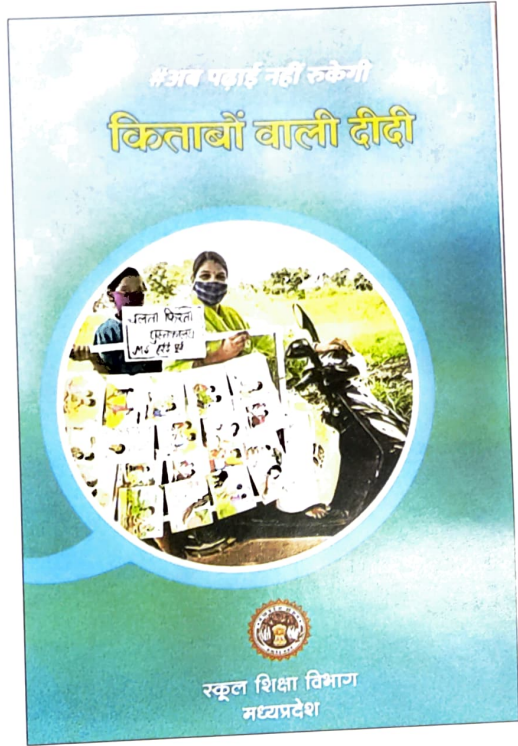


3. # अब पढ़ाई नहीं रुकेगी किताबों वाली दीदी

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के एक सरकारी स्कूल की टीचर सुश्री ऊषा दुबे का जिक्र करते हुए अन्य शिक्षकों को उनका अनुसरण करने की बात कही है।

ऊषा जी सिंगरौली जिले के बैड़न विकासखण्ड में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरई में तैनात हैं। कोरोना काल में उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद की स्कूटी में चलता फिरता पुस्तकालय बनाया और बच्चों को शिक्षित करने का अपना अभियान शुरू कर दिया।

सुश्री ऊषा दुबे के प्रयासों को रेखांकित करती एक परिचयात्मक प्रकाशन है, "किताबों वाली दीदी"।



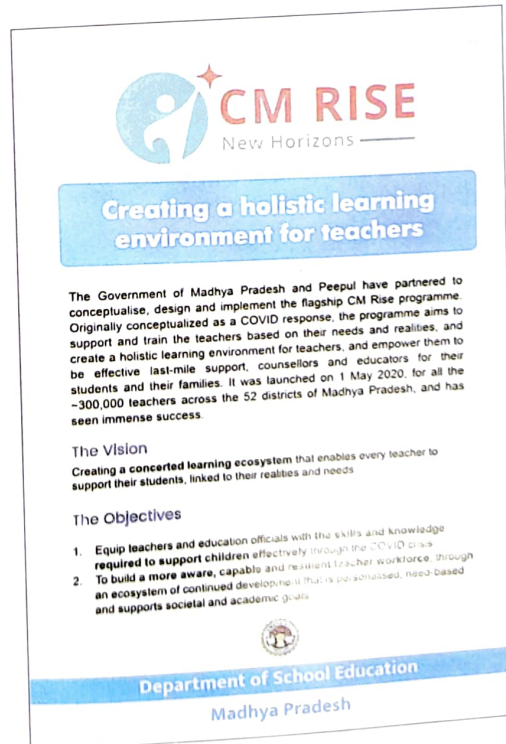
4. CM RISE

Digital Teacher Training

कोरोना संकट के समय में, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और विकास के लिए CM Rise कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

शिक्षकों के ज्ञान व कौशल निर्माण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक संस्था पीपुल द्वारा सहयोग से तैयार किये गए इस कार्यक्रम में, प्रदेश के लगभग 2 लाख 70 हजार स्कूली शिक्षकों को स्मार्ट फोन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा इस कार्यक्रम हेतु भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम का संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिचय इस प्रकाशन में समाहित किया गया है।



6.2 एनसीसी संचालनालय

प्रतिवर्ष एनसीसी जरनल का प्रकाशन किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान संपादित एनसीसी गतिविधियों इत्यादि का विवरण दर्शाया जाता है। एनसीसी ई-जरनल वर्ष 2020 (एनसीसी जरनल 56वां संस्करण) डिजीटली प्रकाशित किया गया।

6.3 भारत स्काउट एवं गाइड

बालचर रवि मासिक पत्रिका :-

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की आदर्श पत्रिका "बालचर रवि" अपने अन्दर उन सभी बातों को समाहित करती है जिनसे बालक-बालिका, युवक-युवती एवं समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी गागर में सागर की तरह परिलक्षित करती है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों के स्काउट एवं गाइड के समाचार समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लेख, विचार, कहानी, रचनाएँ, विद्यार्थियों के विकास एवं रोजगार की जानकारी देने के लिये कैरियर गाइडेन्स, स्वास्थ्य चर्चा, खेलकूद सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, महापुरुषों की जीवनी, रहस्यमय एवं रोमांचकारी घटनाएँ प्रश्नोत्तरी, दिमागी पहेली, प्रेरक प्रसंग, सामान्य ज्ञान की जानकारीयों, देशभक्ति एवं मनोरंजक कवितायें तथा नवीनतम, पठनीय एवं ज्ञानवर्द्धक जानकारीयों "बालचर रवि" में निरंतर प्रकाशित की जा रही है।

शत हस्त समाहर, सहस्रहस्त सं किरं
सौ हाथों से कमा, हजार हाथों से दान कर।

यह पत्रिका प्रदेश के स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों, जिला तथा प्रदेश के अधिकारियों, समाज सेवी, व्यवसायियों, राजनेताओं तथा अन्य प्रदेशों के पदाधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जाती है।





स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश